वार्षिक रिपोर्ट
Annual REPORT
2019-20

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेटंर सर्विसिज़ इंक.

रा.सू.वि.के. के अन्तर्गत भारत सरकार का एक उद्यम इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.

A Government of India Enterprise under NIC Ministry of Electronics and Information Technology

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक, नई दिल्ली

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (निकसी) की स्थापना 1995 में राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कंपनी धारा–8 के रूप में (भूतपूर्व धारा 25 कंपनी) की गई, जो मंत्रालयों, विभागों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के संगठनों, संघ शासित राज्य क्षेत्रों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सकल आई टी सोल्यूशन प्रदान करती है ।

दूरदृष्टिः

''भारत की प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाने के लिए नेतृत्व स्थिति को प्राप्त करना तथा अन्य विकासशील देशों को प्रभावी रुप से योगदान देकर सामाजिक–आर्थिक विकास में तेजी लाना।''

मिशनः

सामाजिक–आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ – साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ग्राहकों के लिए सेवाओं की प्राप्ति तथा व्यापार के समाधान को शामिल करते हुए पारदर्शी मूल्य आधारित सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को एंड टू एंड सोल्यूशन की सुविधा प्रदान करना तथा उसे संवर्धित करना।

उद्देश्यों:

सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर–संचार नेटवर्क, सूचना विज्ञान आदि का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केंद्र, भारत सरकार द्वारा विकसित सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, अवसंरचना एवं सुविज्ञता तथा कंप्यूटर–संचार नेटवर्क, निकनेट व संबंध अवसरंचना व सेवाओं को लाभदायक बनाते हुए भारत के आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को प्रोन्नत करना।

राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केंद्र की राजस्व अर्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए एनआईसी ने जो कुछ भी विकसित किया है, उसे पूरक करने के लिए सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञता के आगे विकास को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केंद्र तथा निकनेट द्वारा विकसित मूल अवसरंचना व सेवाओं पर मूल्य संवर्धित कंप्यूटर और कंप्यूटर–संचार सेवाओं को विकसित एवं संवर्धित करना ।

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिस इंक. अपने उद्देश्यों के अनुसार मंत्रालय, विभागों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित राज्य क्षेत्रों के संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में निम्नलिखित उत्पाद व सेवाएँ प्रदान कर रही हैः–

- डेटा एनालिटिक्स
- वेबसाइट विकास
- रोलआउट सर्विसिस
- जनशक्ति सेवाएँ
- डाटा सेंटर सेवाएं
- उत्पादकता
- वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग
- आई.टी. कंसल्टेंसी
- कॉल सेंटर सेवाएं
- प्रशिक्षण सेवाएँ

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक. पूर्णतया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सोल्यूशन कंपनी है जो राष्ट्र की सेवा में सलंग्न है।

निकसी:

पूर्णतया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सोल्यूशन कंपनी है जो राष्ट्र की सेवा में संलग्न है ।

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंकः ई–शासन में प्रौद्योगिकी प्रसार हेतु सहक्रिया का विनिर्माण।

भारत के दूरस्थ भागों में प्रौद्योगिकी लाभों के समावेशन हेतु निकसी सरकार, उद्योग एवं शिक्षा जगत में लोगों के नेटवर्क स्थापित करती है।

जिससे सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को कार्यगत किया जा सके।

NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC., NEW DELHI

National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) was set up in 1995 as a section 8 Company (erstwhile Section 25 Company) under National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India to provide total ICT solutions to Ministries, Departments, Organizations in the Central Government, State Governments, UTs and P S Us.

Vision

"Achieve leadership position in the technology enablement of India and other developing countries thereby contributing effectively to accelerate socio-economic growth".

Mission

"To promote and provide transparent value added Information and Communication Technology on end to end solutions including procurement services and business solutions to customers at competitive prices with a focus on socio-economic development".

Objectives

To provide the economic, scientific, technological, social and cultural development of India by promoting the utilization of Information Technology, Computer-Communication Networks, Informatics etc. by a spinoff of the services, technologies, infrastructure and expertise developed by the National Informatics centre of the Government of India including its computer-communication network, NICNET and associated infrastructure and services.

To promote further development of services, technologies, infrastructure and expertise to supplement what NIC has developed, in order to increase NIC's revenue earning capacity.

To develop and promote value added computer and computer-communications services over the basic infrastructure and services developed by NIC including NICNET.

In furtherance of these objectives, NICSI has been providing following Products & services to Ministries, Departments, Organizations in the Central Government, state governments, UTs and PSUs etc.:

- Data Analytics
- Website Development
- Rollout Services
- Manpower Services
- Data Centre Services
- Productization
- Video-conferencing
- I.T. Consultancy
- Call Centre Services
- Training Services

NICSI is truly a Total ICT solutions Company in the Service of the Nation.

NICSI:

Is truly a total ICT Solutions Company in the Service of the Nation.

Creating Synergy for Technology Diffusion in e-governance.

Networks people in Government, Industry & academia to permeate the technology benefits to the remotest part of India.

Harnessing Information & Communication Technologies.

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2019-20

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक
नई दिल्ली
National Informatics Centre Services Inc.
New Delhi

विषय सूची

निदेशक मंडल 07

25वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना 09

निदेशकों की रिपोर्ट 11

31 मार्च, 2020 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र 33

आय व व्यय लेखा 35

नकदी प्रवाह विवरण 37

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियॉ तथा टिप्पणियॉ 40

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट 84

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 93

CONTENTS

Board of Directors 95

Notice for 25th Annual General Meeting 97

Directors' Report 99

Balance Sheet as at 31st March, 2020 120

Income and Expenditure Account 122

Cash Flow Statement 124

Significant Accounting Policies & Notes to the Financial Statements for the year ended March 31, 2020 127

Auditor's Report 168

Comments of the Comptroller and Auditor General of India 177

निदेशक मण्डल
(31.03.2020 की स्थिति के अनुसार)

अध्यक्ष	:	श्री एस. गोपालकृष्णन, आईएएस, अतिरिक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
निदेशक	:	सुश्री ज्योति अरोड़ा, आईएएस, एसएस एंड एफए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
		श्री जयदीप मिश्रा, जेएस, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
		डॉ. बी.के. मूर्ति, वैज्ञानिक–जी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
		श्रीमति गीता कथपालिया, वैज्ञानिक–जी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डीजी, ईआरएनईटी इंडिया (आईटी विशेषज्ञ के रूप में)
		श्री नागेश शास्त्री, डीडीजी, एनआईसी
		श्रीमति रचना श्रीवास्तव, डीडीजी, एनआईसी
		श्री पवन कुमार जोशी, डीडीजी, एनआईसी
		श्री शाहिद अहमद, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी
		श्री के श्रीनिवास राघवन, वैज्ञानिक–जी और एसआईओ (टीएन), एनआईसी
		श्री प्रकाश राव, वैज्ञानिक–एफ और एसआईओ (मप्र), एनआईसी
		श्री प्रशांत कुमार मित्तल, एमडी, एनआईसीएसआई
कम्पनी सचिव	:	श्री सन्नी जैन
लेखापरीक्षक	:	मैसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना (सीआरओ 604) सनदी लेखाकार I–79, 7वां तल, हिमालय भवन, 23, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली – 110001
पंजीकृत कार्यालय	:	हॉल नं0 2 व 3, 6वाँ तल, एन बी सी सी टावर, 15वाँ, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066
बैंकर्स – नई दिल्ली	:	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली

निदेशक मण्डल
(30.09.2020 की स्थिति के अनुसार)

अध्यक्ष	:	डॉ. राजेन्द्र कुमार, आईएएस, अतिरिक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
निदेशक	:	सुश्री ज्योति अरोड़ा, आईएएस, एसएस एंड एफए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
		श्री जयदीप मिश्रा, जेएस, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
		डॉ. बी.के. मूर्ति, वैज्ञानिक–जी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
		श्रीमति गीता कथपालिया, वैज्ञानिक–जी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डीजी, ईआरएनईटी इंडिया (आईटी विशेषज्ञ के रूप में)
		श्री नागेश शास्त्री, डीडीजी, एनआईसी
		श्रीमति रचना श्रीवास्तव, डीडीजी, एनआईसी
		श्री पवन कुमार जोशी, डीडीजी, एनआईसी
		श्री शाहिद अहमद, वैज्ञानिक–जी, एनआईसी
		श्री के श्रीनिवास राघवन, वैज्ञानिक–जी और एसआईओ (टीएन), एनआईसी
		श्री प्रकाश राव, वैज्ञानिक–एफ और एसआईओ (मप्र), एनआईसी
		श्री प्रशांत कुमार मित्तल, एमडी, एनआईसीएसआई
कम्पनी सचिव	:	श्री सन्नी जैन
लेखापरीक्षक	:	मैसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना (सीआरओ 604) सनदी लेखाकार I–79, 7वां तल, हिमालय भवन, 23, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली – 110001
पंजीकृत कार्यालय	:	हॉल नं0 2 व 3, 6वाँ तल, एन बी सी सी टावर, 15वाँ, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066
बैंकर्स – नई दिल्ली	:	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली

25वीं वार्षिक आम बैठक

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंकॉर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई) के सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे बताए जा रहे कार्यों को करने के लिए, इसका 25वां वार्षिक आम बैठक बुधवार, 30 दिसंबर 2020, को दोपहर 03:00 बजे, सम्मेलन कक्ष सं. 4009, चौथा तल, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनेक्ट्रॉनिकी निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 पर या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

सामान्य व्यवसाय

31 मार्च 2020 तक लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के आय एवं व्यय खाते, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ निदेशक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करने, उस पर चर्चा करने एवं अपनाना हेतु और

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्त वर्ष 2020–21 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों के वेतन पर निर्णय लेने के लिए।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक.

ह0/–
(सन्नी जैन)
कंपनी सचिव
(एम.सं. ए 31700)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 18–12–2020

ध्यान दें:

1. उपस्थित रहने एवं मतदान करने का पात्र सदस्य अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को उपस्थित रहने एवं मतदान करने हेतु नियुक्त करने का हकदार है।
2. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 19(1) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (कंपनी अधिनियम, 1956 की पूर्ववर्ती धारा 25) के तहत पंजीकृत कंपनी के सदस्य को तब तक किसी अन्य व्यक्ति को अपने स्थान पर प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा जब तक नियुक्त किया जाने वाला अन्य व्यक्ति ऐसी कंपनी का सदस्य न हो।
3. प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी प्रारूप (फॉर्म) को सभी मायनों में पूरी तरह से भरने के बाद बैठक शुरु होने से 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करा दिया जाना चाहिए।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक.

ह0/–
(सन्नी जैन)
कंपनी सचिव
(एम.सं. ए 31700)

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 18–12–2020

25वीं वार्षिक आम बैठक

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया गया है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंकॉर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई) का 25वीं वार्षिक आम बैठक, सम्मेलन कक्ष सं. 4009, चौथा तल, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय निकेतन, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में बुधवार 30 दिसंबर 2020 को दोपहर 03.00 बजे की बजाए शाम 05.00 बजे आयोजित किया जाएगा। सभी हितधारकों एवं निदेशकों से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया समय में किए गए बदलाव पर ध्यान दें और इसी अनुसार बैठक में हिस्सा लें। .

निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक.

ह0/–
(सन्नी जैन)
कंपनी सचिव
(एम.सं. ए 31700)

सेवा में,
अध्यक्ष, एनआईसीएसआई
बोर्ड के सभी सदस्य
एनआईसीएसआई के सभी हितधारक

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित कथनों एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंकॉर्पोरेटेड ("कंपनी") के कारोबार एवं संचालन पर पच्चीसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है।

आपकी कंपनी ने 29 अगस्त 2020 को सफलतापूर्वक 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

वर्ष 2018–19 की तुलना में, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों का सारांश, इस प्रकार हैं:

(क) वित्तीय विशेषताएं

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	**विवरण**	**2019-20**	**2018-19**
(क)	**आय:**		
1	बिक्री	19,435.75	19,473.36
2	सेवा एवं सहयोग	96,192.85	95,479.47
3	ब्याज/अन्य आमदनी	10,302.89	9,080.50
	कुल (क)	**125,931.49**	**124,033.33**
(ख)	**व्यय:**		
1	खरीद'	17,829.00	24,139.51
2	सेवा एवं सहयोग	79,126.55	85,252.84
3	कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ते	856.31	1,092.63
4	वित्तीय खर्च	1,037.41	-
5	मूल्यह्रास	8,605.14	5,086.44
6	अन्य खर्चे	5,177.70	18,248.79
	कुल (ख)	**112,632.11**	**133,820.21**
	कर के समक्ष आय/(हानि) (क) – (ख)	**13,299.37**	**(9,786.87)**
6	कुल खर्चे	4223.17	(1263.53)
7	**वर्ष का आय/(हानि)**	**9076.20**	**(8523.35)**

* एनआईसी जिला अवसंरचना के संवर्धन हेतु वित्त वर्ष 2018–19 में 5,804.99 लाख रु. और वित्त वर्ष 2019–20 में 26.79 लाख रु. शामिल हैं।

(1) संचालन लाभ (ऑपरेटिंग मार्जिन)

29.09.2017 को आयोजित की गई 103वीं बैठक में निदेश मंडल ने सभी प्रकार की परियोजनाओं/सेवाओं के लिए संचालन लाभ (ऑपरेटिंग मार्जिन) की दरों को इस प्रकार मंजूरी दी थी:

परियोजना मूल्य	**परियोजना मूल्य का %**
50 करोड़ रूपये तक	7% [परियोजना का कार्यान्वयन करते समय, यदि परियोजना का मूल्य कम होता है या 50 करोड़ रु. के बराबर रहता है तो एनआईसीएसआई (निकसी) संभावित प्रभाव के साथ केवल 7% की दर से संचालन लाभ लेगी]

50 करोड़ से अधिक	5% [परियोजना का कार्यान्वयन करते समय, यदि परियोजना का मूल्य 50 करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है तो, निकसी केवल 50 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्य पर संभावित प्रभाव के साथ 5% संचालन लाभ लेगी]

(2) लाभांश

यह कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (पहले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) के तहत पंजीकृत है और धारा के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का अपने किसी भी सदस्य को लाभांश देने निषिद्ध है।

(3) आरक्षित निधि का हस्तांतरण

कंपनी ने आरक्षित निधि में कोई धनराशि हस्तांतरित नहीं की है।

(4) डीपीई द्वारा ग्रेडिंग

(i) मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया

- प्रत्येक वर्ष डीपीई (DPE) प्रशासनिक मंत्रालय (यानि एनआईसीएसआई के मामले में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय–(MeitY) के साथ समझौता करने हेतु सीपीएसई (CPSE) को दिशानिर्देश जारी करता है।
- डीपीई ने इस समझौते पर अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1	सचिव, डीपीई	अध्यक्ष
2	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयध् विभाग के सचिव या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव रैंक से नीचे के न हों	सदस्य
3	सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव रैंक से नीचे के न हों	सदस्य
4	अतिरिक्त सचिव, नीति आयोग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव रैंक से नीचे के न हों	सदस्य
5	यदि आवश्यकता पड़ी तो डीपीई के सचिव किसी वित्त विशेषज्ञ अधिकारी की सेवा ले सकते हैं।	
6	संयुक्त सचिवध् सलाहकार (एमओयू/MoU), डीपीई समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेगी।	

- वित्तीय एवं गैर–वित्तीय मानदंड वाला समझौता ज्ञापन मसौदा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से डीपीई को भेजने से पहले एनआईसीएसआई द्वारा अपने निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- आईएमसी बैठकों, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/एनआईसी और एनआईसीएसआई के अधिकारी उपस्थिति होते हैं, में मानदंडों पर चर्चा करती है और समझौता ज्ञापन में लक्ष्यों को निर्धारित करती है।
- एनआईसीएसआई और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाता है।
- वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित लेखापरीक्षित खातों को निर्धारित प्रारूप में विवरणों के साथ डीपीई में जमा कराया जाता है।
- उपरोक्त के आधार पर, डीपीई–समझौता ज्ञापन में लक्ष्यों के खिलाफ एनआईसीएसआई की वास्तविक प्रदर्शन का आकलन करती है और ग्रेडिंग की घोषणा करती है।

(ii) डी पी ई द्वारा निकसी की ग्रेडिंग

वित्तीय वर्ष	समझौता ज्ञापन के अनुसार डीपीई की ग्रेडिंग लेखापरीक्षित आंकड़े के आधार पर संयुक्त स्कोर
2018-19	खराब
2017-18	ठीक–ठाक
2016-17	उत्कृष्ट
2015-16	उत्कृष्ट
2014-15	उत्कृष्ट
2013-14	बहुत अच्छा

(iii) लक्ष्यों के खिलाफ वैकल्पिक मानदंडों पर वास्तविक प्रदर्शन–वित्त वर्ष 2019–20 के लिए समझौता ज्ञापन

- पिछले वर्षों की तुलना में कठिन राज्यों जैसे उ/पू, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि (% उम्र) (8 अंक): (–) 6.74%

  (2018–19 में 193 के मुकाबले 2019–20 में 180 परियोजनाएं प्राप्त हुईं)

- नए उत्पादों एवं सेवाओं की शुरुआत (8 अंक) : 8
- केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों/संगठनों से पिछले वर्ष के मुकाबले ई–गवर्नेंस परियोजनाओं की संख्या में प्रतिशत वृद्धि (%) : (10 अंक) : (–) 18.24%

  (2018–19 के 2395 के मुकाबले 2019–20 में 1958 परियोजनाएं मिलीं)

- संचालन (सकल) से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में व्यापार प्राप्त (शुद्ध) (दिनों की सं.) (8 अंक) : 60
- संचालन से राजस्व प्रतिशत के रूप में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर डाटा एनालिटिक्स से राजस्व (10 अंक) : 0.17%

(5) वित्त वर्ष 2019–20 में चल रही गतिविधियां

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन परियोजना)

मार्च 2010 में शुरु की गई एनकेएन परियोजना को इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा लगभग 5990 करोड़ रु. की लागत से 10 वर्षों की अवधि के लिए मंजूर किया गया था। एनआईसी इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है जबकि एनआईसीएसआई आईटी सपोर्ट की खरीद एवं प्रदान करने में सहायता कर रही है। परियोजना उच्च गति का डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करना है जो उच्च शिक्षण एवं शोध संस्थानों को, उनके बीच ज्ञान संसाधनों के निर्माण, अधिग्रहण एवं स्थापना को सक्षम बनाने के लिए एक दूसरे से जोड़ेगी। यह एनआईसी के जिला केंद्रों पर संस्थान की कनेक्टिविटी की शुरुआत कर सहयोगात्मक अनुसंधान, देशव्यापी कक्षाओं आदि की भी सुविधा देगी, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रों की स्थापना करेगी। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, एनआईसीएसआई को इस परियोजना के लिए इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से 274.64 करोड़ रुपये मिले थे। 31.03.2020 तक कुल 4050.70 करोड़ रुपये मिल चुके थे। हालांकि इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा एनकेएन परियोजना में विस्तार किया गया और पूर्ववर्ती वित्तीय लागत के तहत एक वर्ष यानि मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

शास्त्री पार्क, दिल्ली में एनआईसीएसआई डाटा सेंटर (एनडीसी)

दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित एनडीसी अत्याधुनिक टियर–।।। सुविधा के साथ सरकारी विभागों और उनके संगठनों को आपदा प्रबंधन सुविधा के साथ सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्ष के दौरान गतिविधियां सुचारू एवं सफलतापूर्वक चलती रहीं। एनआईसीएसआई ने क्लाउड सुविधा के साथ केंद्र के कुछ रैक्स को अपग्रेड किया है। इस कार्य के लिए कुल 191.81 करोड़ रु. के अनुमोदित खर्च में से पिछले 4 वर्षों में लगभग 178.81 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं।

लक्ष्मी नगर, दिल्ली में डाटा सेंटर

एनआईसीएसआई का लक्ष्मी नगर में अपना डाटा सेंटर है। इसमें 62 रैक्स हैं जिसमें से 45 रैक्स एंड–यूजर्स को पट्टे पर दिए गए हैं और बाकी के रैक्स आंतरिक आवश्कताओं के लिए रखे गए हैं। यह विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों और उनके संगटनों को उनके डाटा रखने में सेवाएं प्रदान कर रहा है। करीब 53 करोड़ रुपयों की लागत से एनआईसीएसआई ने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लगभग 16–20 रैक्स को अपग्रेड किया है (यानि 5 वर्षों में 45 करोड़ रु. CAPEX और 8 करोड़ रु. OPEX)

नेशनल डाटा सेंटर, भुवनेश्वर, ओडिशा

एनआईसी का भुवनेश्वर में 50 रैक्स वाला डाटा सेंटर है। एनआईसीएसआई ने 97.76 करोड़ रु. की लागत से 14 रैक्स में क्लाउड सुविधा प्रादन की। इसमें से वित्त वर्ष 2019–20 में 45.52 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष 5.29 करोड़ रुपये खर्च किए गए और बाकी के 35.95 करोड़ रुपये भविष्य में खर्च किए जाएंगे। बाकी के 36 रैक्स को भी एनआईसीएसआई द्वारा लगभग 228 करोड़ रु. की लागत से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड किया जा रहा है (यानि 5 वर्ष में 3 चरणों में 211 करोड़ रु. CAPEX और 17 करोड़ रु. OPEX)।

एनआईसीएसआई डेवलपमेंट सेंटर (विकास केंद्र)

डीएमआरसी के आईटीपार्क, शास्त्री पार्क, दिल्ली के दूसरे तल पर, 417 वर्कस्टेशन के साथ, स्थित डेवलपमेंट सेंटर परियोजनाओं के सुचारू एवं संतोषप्रद कार्यान्वयन हेतु उपयोगकर्ताओं को लगातार सेवाएं प्रदान कर रहा है।

(6) अन्य परियोजनाएं

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, एनआईसीएसआई को कार्यान्वयन हेतु 1958 नई परियोजनाएं मिलीं, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(i) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से मिली परियोजनाएं

वर्ष के दौरान, एनआईसीएसआई ने इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से मिली विभिन्न परियोजनाओं के तहत गतिविधियां इस प्रकार जारी रखीं:

परियोजना का नाम
आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस/AEBAS)
सामान्य न्यूनतम ढांचे का विकास (सीएमएफ/CMF)
निकनेट (NICNET) की सुरक्षा संवर्धन
एसटीक्यूसी केंद्र के साथ सुरक्षा मूल्यांकन अनुसंधान एवं अन्वेषण परीक्षण केंद्र की स्थापना
साइबर सुरक्षा उत्पाद आश्वासन हेतु सुविधाओं का विस्तार
भारत में ई–गवर्नेंस कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए वेबसाइट गुणवत्ता मूल्यांकन
वेब अंतरराष्ट्रीयकरण, मानकीकरण एवं डब्ल्यू3सी (W3C) इंडिया इनिशिएटिव
सक्रिए शासन संचालन एवं समयबद्ध कार्यान्वयन (प्रगति)/प्रो–एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन
भारत सरकार के लिए ई–मेल सॉल्यूशन
भारत सरकार के लिए ई–मेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करना
एनडीएसएपी (NDSAP) के लिए ओपन गवर्नमेंट डाटा प्लेटफॉर्म तैयार करना और उसे बढ़ावा देना
नेशनल डाटा सेंटर पर राष्ट्रीय ई–गव एपस्टोर
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ट्रेनिंग के तहत ई–हॉस्पिटल
ई–ताल

(ii) विभागों/संगठनों से परियोजनाएं (इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अलावा)

विभाग/संगठन	निकसी की परियोजना कोड	विवरण
सुप्रीम कोर्ट	C190040NWND	सीपीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित सुप्रीम कोर्ट परियोजना अतिरिक्त कार्यालय परिसर के लिए नेटवर्क संबंधी वस्तुओं की खरीद
न्याय विभाग	C190396GNND	ईकोर्ट्स एमएमपी (eCourts MMP) पर विभिन्न वस्तुओं की खरीद
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमि. (ई–पावर)	S190787GNRJ	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमि. में विभिन्न वस्तुओं की खरीद
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय (कैग)	C191325GNND	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) द्वारा नेटवर्क वस्तुओं की खरीद
दक्षिण दिल्ली नगर निगम का आईटी विभाग	C191481GNND	दक्षिण दिल्ली नगर निगम के आईटी विभागके लिए विभिन्न वस्तुओं की खरीद
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी	C191593GNND	राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के लिए काउंसलिंग
राजकॉम्प इंफो सर्विसेस लिमि.	S191733MPRJ	राजकॉम्प इंफो सर्विसेस लिमि द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति
डाटा हार्मनाइजेशन फॉर रियलटाइम इनसाइट्स एंड सिक्योरिटी थ्रेट (दृष्टि/DHRISTI), राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस/NSCS)	C191952GNND	राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस/NSCS) में विभिन्न वस्तुओं की खरीद
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस)	C191856GNND	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में विभिन्न वस्तुओं की खरीद

7. एनआईसीएसआई (NICSI) में नया व्यापार प्रभाग स्थापित करना

उत्पाद व्यवसाय प्रभाग (पी बी डी)
पीबीजी का उद्देश्य दक्षिण एशियाई, अफ्रीकी, लातिन अमेरिकी आदि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एआईसी/एनआईसीएसआई सॉफ्टवेर एप्लीकेशंस के उत्पादीकरण, मानकीकरण एवं संवर्धन को सुविधाजनक बनाना है। प्रत्येक विदेशी परियोजना हेतु विदेश मंत्रालय से सहमति प्राप्त करनी होगी। लागत समझौताकारी होगा क्योंकि इसका विकास एनआईसी के बजट से पूरा किया जाएगा।
सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर डाटा एनालिटिक्स (सीईडीए/CEDA)
डाटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञता एवं उत्कृष्टता का स्थान बनाकर उन्नत एनालिटिक्स/मशीन लर्निंग क्षमताओं में तेजी लाना और उसे जल्ददृसेदृजल्द अपनाना। यह उचित टूल्स, तकनीकों की पहचान कर, उपुक्त विशेषज्ञता एवं जटिल नीतिगत मामलों को हल करने में मदद करने वाले लोगों को नियुक्त कर सभी स्तरों पर सरकारी विभागों को गुणवत्तापूर्ण डाटा एनालिटिक्स सर्विसेस प्रदान करेगा।
क्लाउड सर्विसेस एवं डाटा सेंटर बिजनेस डिविजन
एनआईसीएसआई शात्री पार्क, पुणे एवं भुवनेश्वर में एनडीसी से क्लाउड सेवाएं दे रहा है। वर्तमान क्लाउड सर्विसेस एवं भविष्य में कुशल एवं प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए नए डिविजन की स्थापना की गई है।

(8) वित्तीय वर्ष 2019–20 की मुख्य विशेषताएं

		01.04.2019 से 31.03.2020 (सं. में)	01.04.2018 से 31.03.2019 (सं. में)
(क) प्राप्त हुईं नई परियोजनाओं का सेग्मेंट–वार विवरणः	1. हार्डवेयर की वस्तुएं	5	35
	2. वेबसाइट/सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट	135	66
	3. कर्मचारी	677	1120
	4. नेटवर्क	45	72
	5. सामान्य परियोजनाएं (हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कर्मचारी आदि को मिलाकर)	400	492
	6. अन्य परियोजनाएं (एसएमएस/बीएएस/ई–मेल आदि)	653	610
	कुल	**1915**	**2395**

(ख) सेग्मेंट–वार कार्य आदेश (डब्ल्यूओ/WOs) विवरणः		01.04.2019 से 31.03.2020		01.04.2018 से 31.03.2019	
		जारी किए डब्ल्यूओ की सं.	धनराशि (करोड़ रु. में)	जारी किए डब्ल्यूओ की सं.	धनराशि (करोड़ रु. में)
	कर्मचारी	6743	738.19	7348	785.96
	विविध	135	58.36	100	176.60
	नेटवर्क	259	35.55	369	54.23
	एनकेएन	26	181.41	28	8.64
	रॉल आउट	147	10.19	121	5.83
	सुरक्षा ऑडिट	152	4.38	133	2.97
	एसएमएस	674	47.84	442	39.23
	वेबसाइट डेवलपमेंट	167	71.78	150	100.58
	जीईएम (GeM)	327	109.97	347	213.73
	एलपीसी और अन्य	156	23.18	122	19.15
	कुल	**8786**	**1280.85**	**9160**	**1406.92**

(ग) सेग्मेंट–वार प्रोफॉर्मा चालान (पीआई) विवरणः		01.04.2019 से 31.03.2020		01.04.2018 से 31.03.2019	
		जारी किए गए पीआई की सं.	धनराशि (करोड़ रु. में)	जारी किए गए पीआई की सं.	धनराशि (करोड़ रु. में)
	कर्मचारी	3989	718.62	5227	949.08
	विविध	60	49.40	49	94.07
	नेटवर्क	239	40.98	446	130.42
	एनकेएन	6	4.69	3	0.90
	रॉल आउट	68	9.44	65	5.94
	सुरक्षा ऑडिट	161	5.49	156	7.64
	एसएमएस	2130	109.17	1596	136.09
	वेबसाइट डेवलपमेंट	236	115.08	205	124.73
	जीईएम (GeM)	77	173.63	98	129.99
	कुल	**6966**	**1226.50**	**7845**	**1578.86**

(घ) मंगाई गईं निविदाएं		**01.04.2019 से 31.03.2020 (सं. में)**	**01.04.2018 से 31.03.2019 (सं. में)**
	खुली निविदाओं की संख्या	10	19
	सीमित निविदाओं की संख्या	00	01
	कुल	**10**	**20**
(ड.) समझौता ज्ञापन/समझौते		**01.04.2019 से 31.03.2020 (सं. में)**	**01.04.2018 से 31.03.2019 (सं. में)**
	विभिन्न विभागों/संगठनों के साथ एनआईसीएसआई द्वारा किए गए	55	51

(9) कर्मचारी

भारत के राजपत्र में दिनांक 03.03.1998 को दी गई अधिसूचना के माध्यम से सरकार द्वारा स्वीकृत कर्मचारी प्रोफाइल के अनुसार एनआईसीएसआई में कर्मचारी की नियुक्ति एनआईसी में उनके पदों के साथ अस्थायी, बारी–बारी से (रोटेशनल), प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी।

31 मार्च 2020 को एनआईसी से एनआईसीएसआई में आने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 29 थी।

(10) कर्मचारियों का विवरण

कंपनी का कोई भी कर्मचारी, कंपनी (नियुक्ति एवं प्रबंधक का वेतन) नियम, 2014 के नियम 5(2) के तहत निर्धारित वेतन सीमा से अधिक वेतन नहीं प्राप्त कर रहा था।

(11) कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी (कॉरपोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी)

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक. (एनआईसीएसआई) एक धारा 8 कंपनी है (पूर्वर्ती धारा 25 कंपनी)। एनआईसीएसआई का उद्देश्य आईसीटी सॉल्यूशंस एवं तकनीक को बढ़ावा देना एवं अपने लाभ, यदि हो या अन्य आमदनी को अपने उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना एवं अपने सदस्यों को किसी भी प्रकार का लाभांश न देना है।

26 दिसंबर 2016 को बोर्ड ने अपनी 99वीं बैठक में सीएसआर समीति का गठन किया था, जिसका संदर्भ नीचे दिया गया है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार एनआईसीएसआई द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बताने वाली सीएसआई नीति बनाना एवं बोर्ड को उसकी संस्तुति करना;
- कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों पर किए जाने वाले खर्च की राशि की समीक्षा एवं संस्तुति करना;
- समय–समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की जांच करना;
- समय–समय पर निदेशक मंडल द्वारा मंजूर किए जाने के बाद या जैसा निदेशक मंडल निर्देश दें सीएसआर समिति द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई भी अन्य बात।

एनआईसीएसआई के कंपनी सचिव सीएसआर समिति के सचिव के रूप में काम करेंगे।

सीएसआर समिति की बैठक के कोरम में उसके सदस्यों की कुल संख्या के एक–तिहाई सदस्य (इस एक तिहाई में निहित किसी अंश को एक समाप्त कर एक बना दिया जाएगा) या दो सदस्य, जो भी अधिक हो, हिस्सा लेंगे ।

बोर्ड ने 28 जनवरी 2020 को आयोजित की गई अपनी 112वीं बैठक में सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया था, जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे:

क्र.सं.	नाम और पद	पद
1.	डॉ. जयदीप मिश्रा, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	श्री नागेश शास्त्री, डीडीजी, एनआईसी	सदस्य
3.	सुश्री रचना श्रीवास्तव, डीडीजी, एनआईसी	सदस्य
4.	श्री पवन जोशी, डीडीजी, एनआईसी	सदस्य

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों एवं अन्य प्रावधानों के अनुसार, जैसा लागू हो, वित्त वर्ष 2019–20 में एनआईसीएसआई द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर इस प्रकार 40 लाख रुपये खर्च किए गए:

(करोड़ रु. में)

वित्त वर्ष	**कर पूर्व शुद्ध लाभ**	**पहले 3 वर्षों में औसत शुद्ध लाभ**	**पहले 3 वर्षों में औसत शुद्ध लाभ का 2%**
2016–17	107.02	19.94	0.40
2017–18	50.65		
2018–19	(97.86)		

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची VII की मद सं. (viii), जो कंपनियों द्वारा उनके सीएसआर दायित्वों को पूरा करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों के बारे में बताता है, अन्य बातों के साथ भी बताता है कि केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक–आर्थिक विकास एवं राहत हेतु स्थापित किसी भी कोष में योगदान करना सीएसआर व्यय माना जाएगा।

भारत में नए कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ/WHO) द्वारा इसे महामारी घोषित करने एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 23 मार्च 2020 को सामान्य परिपत्र सं. 10/2020 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा इसे अधिसूचित आपदा माने जाने का निर्णय, को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि कोविड–19 के लिए सीएसआर निधि का खर्च किया जाना सीएसआर गतिविधि के तहत किए जाने वाले खर्च के योग्य है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट की स्थिति से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत कोष (पीएम केयर्स फंड/PM CARES Fund) की स्थापना की। तदनुसार, पीएम केयर्स फंड में किया जाने वाला कोई भी योगदान कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सीएसआर व्यय माना जाएगा।

इसके अलावा, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव श्री इंजेति श्रीनिवास ("सरकारी प्राधिकरण") ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से पीएम केयर्स फंड में उदारता के साथ योगदान करने की अपील की है, इसमें खर्च नहीं की गई सीएसआर धनराशि, यदि लागू हो, भी हो सकती है।

उपरोक्त के अलावा, पीएम केयर्स फंड में योगदान देने पर कंपनियों को नीचे बताए गए रियायत/छूट/कर लाभ दिए हैं:

(क) यदि कोई भी कंपनी न्यूनतम निर्धारित धनराशि से अधिक धनराशि पीएम केयर्स फंड में देती है, जिसे आने वाले वर्षों में सीएसआर दायित्वों के मद में समायोजित किया जा सकता है। और

(ख) 31 मार्च 2020 तक पीएम केयर्स फंड में किया गया कोई भी योगदान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत 80जी (80G) की छूट का पात्र होगा। 1 अप्रैल 2020 से सिर्फ उन्हीं कंपनियों को यह लाभ मिल पाएगा जिन्होंने पुरानी कर संरचना में बना रहना चुना था।

उपरोक्त के मद्देनजर, कंपनी ने 31.03.2020 को पीएम केयर्स फंड में 0.40 करोड़ रु. का योगदान किया था और 26 जून 2020 को सीएसआर समिति की हुई बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा और 29 जून 2020 को निदेशक मंडल की हुई बैठक में निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।

(12) कार्पोरेट गवर्नेंस

कार्पोरेट गवर्नेंस नैतिक रूप से संचालित व्यावसायिक प्रक्रिया है जो किसी संगठन के ब्रांड एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध होती है। इसे आदर्शों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ नैतिकतापूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेने एवं व्यापार करके सुनिश्चित किया जाता है। एनआईसीएसआई में, हमारी कंपनी के मामलों का निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रबंधन अनिवार्य है। हमारे हितधारकों का विश्वास हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

वित्त वर्ष 2019–20 में आयोजित की गईं बोर्ड की बैठकें और आम बैठकें

क्र.सं0	वित्तीय वर्ष 2019–20	दिनांक	स्थान
1.	110वीं बोर्ड बैठक	30-07-2019	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन सम्मेलन कक्ष सं. 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003.
2.	111वीं बोर्ड बैठक	25-09-2019	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन सम्मेलन कक्ष सं. 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
3.	112बीं बोर्ड बैठक	28-01-2020	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन सम्मेलन कक्ष सं. 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
4.	24वीं वार्षिक आम बैठक	26-09-2019	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन सम्मेलन कक्ष सं. 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
5.	24वीं वार्षिक आम बैठक स्थगित	30-09-2019	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन सम्मेलन कक्ष सं. 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003.
6.	असाधारण आम बैठक	30-10-2019	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ए– ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
7.	असाधारण आम बैठक	10-12-2019	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ए– ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

ध्यान दें: बोर्ड की 113वीं बैठक 31 मार्च 2020, मंगलवार, को आयोजित की जाने वाली थी लेकिन देश में कोविड–19 के प्रसार के कारण 25 मार्च 2020 से अचानक लगाए गए लॉकडाउन के कारण आयोजित नहीं की जा सकी।

(13) लेखापरीक्षा समिति

एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के तहत, इसे कंपनी (निदेशक मंडल की बैठक एवं उनके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पढ़ा जाएगा, कंपनी के लिए लेखापरीक्षा समिति गठित करना आवश्यक नहीं था। हालांकि, निदेशक मंडल ने 26 दिसंबर 2016 को आयोजित अपनी 99वीं बैठक में, सुशासन प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, एनआईसीएसआई की वित्तीय एवं लेखापरीक्षा मामलों की समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा समिति का गठन किया और सुनिश्चित किया कि एनआईसीएसआई निर्धारित वित्तीय नियमों एवं विनियमों का पालन करे। एनआईसीएसआई के कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

28.01.2020 को 112वीं बैठक में, बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे:

क्र.सं.	नाम व पदनाम	पद
1	श्रीमति ज्योति अरोड़ा, एसएस और एफए, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)	अध्यक्ष
2	डॉ. जयदीप मिश्रा, संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)	सदस्य
3	श्री नागेश शास्त्री, डीडीजी, एनआईसी	सदस्य
4	श्री शाहिद अहमद, डीडीजी, एनआईसी	सदस्य

लेखापरीक्षा समिति की 5वीं बैठक 24–07–2020 को हुई थी, जिसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक लेखा–जोखा पर विचार किया गया था और निदेशक मंडल एवं शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गई थी।

(14) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम, 2014 की धारा 149(4) और नियम 4 के तहत स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी इसलिए कोई घोषणा नहीं की गई है।

(15) धारा 178 की उप–धारा (3) के तहत योग्यता निर्धारित करने हेतु मानदंड, सकारात्मक गुण, एक निदेशक की स्वतंत्रता एवं अन्य मामलों समेत निदेशकों की नियुक्ति एवं वेतन पर कंपनी की नीति

पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के नाते, कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1); कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं उसके अधिकार) नियम, 2014 के नियम 6 के तहत नामांकन एवं वेतन समिति और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) के तहत हितधारक संबंध समिति बनाने की आवश्यकता है।

(16) फॉर्म एमजीटी–9 (MGT–9) में वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार फॉर्म एमजीटी (MGT) 9 यानि वार्षिक रिटर्न का सार अनुबंध में दिया गया है।

(17) वित्त वर्ष के समाप्त होने एवं बोर्ड रिपोर्ट की तिथि के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

कंपनी के वित्त वर्ष के समाप्त होने, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं और रिपोर्ट की तिथि के बीच ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है या प्रतिबद्धताएं नहीं की गईं हैं जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो।

(18) कारोबार की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(19) भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्त वर्ष 2019–20 का वार्षिक लेखा

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक लेखा भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया गया है।

(20) ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

ऊर्जा संरक्षण एवं तकनीकी समावेश पर जानकारी नहीं है। विदेशी मुद्रा में आय नहीं हुई थी और वर्ष के दौरान कंपनी से विदेशी मुद्रा में व्यय भी नहीं किया गया था।

(21) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋणों, गारंटी या निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया/गारंटी नहीं दी/निवेश नहीं किया।

(22) संबंधित पक्ष से लेन–देन

संबंधित पक्षों से अनुबंध या व्यवस्था का विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के फॉर्म एओसी–2 (AOC–2) में धारा 188 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट है।

वित्त वर्ष के दौरान किए गए संबंधित पक्ष लेन–देन निष्पक्ष लेनदेन आधार पर किए गए एवं साधारण व्यवसाय थे।

अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ज) एवं कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसारः

1. निष्पक्ष लेन–देन आधार पर नहीं किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरणः शून्य
2. निष्पक्ष लेन–देन आधार पर किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरणः शून्य

(23) नियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेश जो लाभकारी संस्था के दर्जे एवं भविष्य में कंपनी के संचालनों को प्रभावित कर सकते हैं

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया जिससे कंपनी के लाभकारी संस्था के दर्जे एवं भविष्य में कंपनी का संचालन प्रभावित हो।

(24) सहायक कंपनी

31 मार्च 2020 तक, कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

(25) लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनआईसीएसआई के खातों की लेखापरीक्षा के लिए मेसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना (CR0604), चार्टर्ड अकाउंटेंट, I–79, 7वां तल, हिमालय हाउस, 23, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली–110001 को सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

(26) निदेशक का दायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के तहत आवश्यकता के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने बताया है किः

क) वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करने में महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित उचित विवरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

ख) वित्त वर्ष के समाप्त होने पर कंपनी के मामलों पर और इस अवदि के दौरान कंपनी के लाभ और हानि को सच्चा एवं निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करने के लिए कंपनी के निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया एवं उन्हें लागू किया और ऐसे निर्णय लिए एवं अनुमान लाए जो उचित एवं विवेकपूर्ण हैं;

ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी एवं अन्य प्रकार की अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए निदेशकों ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने का उचित एवं पर्याप्त ख्याल रखा;

घ) निदेशकों ने लाभकारी संस्था के आधार पर वार्षिक लेखा–जोखा तैयार किया था; और

ड़) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और वे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे एवं प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे।

च) निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थी और वे प्रणालियां पर्याप्त थीं एवं प्रभावी तरीके से काम कर रही थीं।

(27) अभिस्वीकृति

एनआईसी एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) समेत केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों/ संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा कंपनी को दिए गए सहयोग, सहायता एवं मार्गदर्शन का बोर्ड आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और लेखापरीक्षकों का उनके सहयोग के लिए भी आभारी हैं। बोर्ड अपने सदस्यों, बैंकरों एवं ग्रहाकों का, उनकी निरंतर समर्थन के लिए कृतज्ञ है। बोर्ड कंपनी के सभी स्टाफ और कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों को धन्यवाद सहित तहे दिल से स्वीकार करता है।

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक. के
निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली

फार्म सं. एमजीटी–9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष तक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन)
नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

I. पंजीकरण एंव अन्य विवरण

i)	सीआईएन	यू74899डीएल1995एनपीएल072045
ii)	पंजीकरण तिथि	29.08.1995
iii)	कंपनी का नाम	नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकोर्पोरेटिड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन प्राइवेट लिमिटेड धारा 25 (अब धारा 8 कंपनी) कंपनी
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	कक्ष सं. 2 और 3, 6वां तल, एनबीसीसी टावर, 15, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066 फोन : 91–11–26105054, 26105193
vi)	सूचीबद्ध कंपनी है या नहीं	नहीं
vii)	कुलसचिव (रजिस्ट्रार) और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि हो	नहीं

II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में बताया जाएगाः

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं के नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एन आई सी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	आईसीटी सॉल्यूशन – हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर	–	16.81
2	जनशक्ति, नेटवर्क और अन्य	–	83.19

III. होल्डिंग, अनुषंगी और सहयोगी कंपनियां

क्र.सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/अनुषंगी और सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1	कोई नहीं				

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

(i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरू में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष की समाप्ति पर धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयर का %	डीमेट	फिजिकल	कुल	कुल शेयर का %	
क. प्रोमोटर्स									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत/एचयूएफ									
(ख)केंद्रीय सरकार	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य
(ग)राज्य सरकार (सरकारें)									
(घ)निकाय निगम									
(ड़)बैंक/वित्तीय संस्थान									
(च)कोई अन्य									
उप–योग (क) (1)									
(2) विदेशी									
क) अनिवासी भारतीय									
ख) अन्य व्यक्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)निकाय निगम									
(घ)बैंक/वित्तीय संस्थान									
(ड़)कोई अन्य									
उप–योग (क) (2)									
प्रोमोटर्स (क) कुल शेयर होल्डिंग (क) = (क)(1)+(क)(2)	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य
ख. सार्वजनिक हिस्सेदारी (पब्लिक शेयरहोल्डिंग)	लागू नहीं								
1. संस्थान	लागू नहीं								
क) म्यूचुअल फंड									
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान									
ग) केंद्रीय सरकार									
घ) राज्य सरकार(रें)									
ड) उपक्रम पूंजी कोष									
च) बीमा कंपनियां									
छ) एफआईआई									
ज) विदेशी उपक्रम पूंजी कोष									
झ) अन्य (बताएं)									
उप– कुल (ख)(1)									

2 .गैर– संस्थागत क) निकाय निगम i) भारतीय ii) विदेशी ख) व्यक्तियों i) 1 लाख रु. तक की अभिहित अंश पूंजी रखने वाला व्यक्तिगत शेयरधारक ii) 1 लाख रु. से अधिक की अभिहित अंश पूंजी रखने वाला व्यक्तिगत शेयरधारक ग) अन्य (बताएं) **उप–कुल (ख)(2)**	लागू नहीं								
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	लागू नहीं								
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए निधिपाल (कस्टोडियन) द्वारा धारित शेयर	लागू नहीं								
कुल योग (क+ख+ग)	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य

(ii) प्रमोटरों की हिस्सेदारी

क्र.सं.	**शेयर होल्डर का नाम**	**वर्ष के आरंभ में हिस्सेदारी**			**वर्ष के अंत में हिस्सेदारी**			
		शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों के लिए गिरवी/ भारित शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों के लिए गिरवी/ भारित शेयरों का %**	**वर्ष के दौरान हिस्सेदारी में हुए परिवर्तन का %**
1	एनआईसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	200000	100	शून्य	200000	100	शून्य	शून्य
	कुल	**200000**	**100**	**शून्य**	**200000**	**100**	**शून्य**	**शून्य**

(iii) प्रमोटरों की हिस्सेदारी में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन न हुआ हो तो कृपया बताएं)

क्र.सं.		**वर्ष के आरंभ में हिस्सेदारी**		**वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी**	
1		**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
2	वर्ष के शुरू में	कोई परिवर्तन नहीं			
3	वर्ष के दौरान प्रोमोटर की हिस्सेदारी में तिथि वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी का कारण (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि) बताएं।				
4	वर्ष की समाप्ति पर				

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग का पैटर्न (निदेशकों, प्रोमोटरों एवं GDRs और ADRs धारकों के अलावा):

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी	
	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं			
	वर्ष के दौरान प्रोमोटर की हिस्सेदारी में तिथि वार वृद्धि/कमी, वृद्धि/ कमी का कारण (जैसे आवंटन/ हस्तांतरण/ बोनस/ स्वेट इक्विटी आदि) बताएं।				
	वर्ष के अंत में (या अलग होने की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान अलग हुए हों)				

(v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की हिस्सेदारी:

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में हिस्सेदारी		वर्ष के दौरान संचयी हिस्सेदारी	
	प्रत्येक निदेशक एवं केएमपी के लिए	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
	वर्ष के आरंभ में	शून्य			
	वर्ष के दौरान प्रोमोटर की हिस्सेदारी में तिथि वार वृद्धि/ कमी, वृद्धि/ कमी का कारण (जैसे आवंटन/ हस्तांतरण/ बोनस/ स्वेट इक्विटी आदि) बताएं।				
	वर्ष के अंत में				

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/अर्जित ब्याज समेत कंपनी की ऋणग्रस्तता लेकिन भुगतान देय नहीं

	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण	**असुरक्षित जमा**	**जमा**	**कुल ऋणग्रस्तता**
वित्त वर्ष ASQ की शुरुआत में ऋणग्रस्तता i) मूलधन ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया iii) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं **कुल (i+ii+iii)**	लागू नहीं			
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन .. वृद्धि .. कमी				
शुद्ध परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i) मूलधन ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया iii) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं				
योग (i+ii+iii)				

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों का वेतन

क. प्रबंध निदेशक, पूर्ण–कालिक निदेशकों और/या प्रबंधकों का वेतनः

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना ज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से एनआईसीएसआई को प्राइवेट लिमिटेड धारा 25 कंपनी (अब धारा 8 कंपनी) के रूप में प्रवर्तित किया गया है। कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 59(i) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की ओर से एनआईसी के महानिदेशक द्वारा एनआईसी के उपयुक्त अधिकारी को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जाएगा।

क्र. सं.	वेतन विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम		कुल धनराशि (रु. में)
		श्री मनोज कुमार मिश्रा (01.04.2019 से 13.02.2020)	श्री प्रशांत कुमार मित्तल (14.02.2020 से 31.03.2020)	
1	कुल वेतन (क) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अतिरिक्त सुविधाओं का मूल्य (ग) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	36.81 लाख रु.	4.10 लाख रु.	40.91 लाख रु.
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं		
3	स्वीट इक्विटी			
4	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, बताएं..			
5	अन्य, कृपया बताएं कुल (क) अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा			

ख. अन्य निदेशकों को वेतन

क्र.सं.	वेतन का विवरण	निदेशकों का नाम		कुल धन राशि	
		-------	-------	-------	-------
	1. स्वतंत्र निदेशक बोर्ड/समिति की बैठकों में हिस्सा लेने को स्वतंत्र कमिशन अन्य, कृपया बताएं	लागू नहीं			
	योग (1)				
	2. अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक बोर्ड/समिति की बैठकों में हिस्सा लेने को स्वतंत्र कमिशन अन्य, कृपया बताएं				
	योग (2)				
	योग (ख)=(1+2)				
	कुल प्रबंधकीय वेतन				
	अधिनियम के अनुसार कुल अधिकतम सीमा				

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों का वेतन

क्र.सं.	वेतन का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी कंपनी सचिव		
		श्री गिरीश कुमार (01.04.2019 से 04.08.2019)	**श्री सन्नी जैन (16.12.2019 से 31.03.2020)**	**कुल**
1	कुल वेतन (क) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अतिरिक्त सुविधाओं का मूल्य (ग) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	3.48 लाख रु.	2.87 लाख रु.	6.35 लाख रु.
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं		
3	स्वीट इक्विटी			
4	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, बताएं			
5	अन्य, कृपया बताएं			
	कुल			

VII. आर्थिक दंड/ सजा/ क्षतिपूर्ति

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धाराएं	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए आर्थिक दंड/ सजा/ क्षतिपूर्ति राशि का विवरण	प्राधिकरण [आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायलय]	यदि कोई अपील की गई हो (विवरण दें)
आर्थिक दंड	शून्य				
सजा					
क्षतिपूर्ति					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
आर्थिक दंड	शून्य				
सजा					
क्षतिपूर्ति					

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक के
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विर्सिज इंकोरपोरेटिड (निकसी)

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए एनआईसीएसआई के खातों पर मेसर्स अग्रवाल एंड सक्सेना, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संवैधानिक लेखा परीक्षको की रिपोर्ट की टिप्पणियों का उत्तर

लेखा परीक्षा टिप्पणी	एनआईसीएसआई का उत्तर
विशेषज्ञ राय (क्वालिफायड ओपिनियन) का आधार	
1. कंपनी ने 01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 तक, बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सिस्टम ऑडिट कराए बिना ERP अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया। इस प्रणाली की संभावित कमियों के कारण भारतीय लेखांकन मानक कथनों (Ind AS Financial Statements) में बताए गए परिसंपत्तियों/देनदारियों और/या आय/व्यय पर प्रभाव, यदि कोई हो, तो वर्तमान में उसका पता लगा पाना संभव नहीं है।	वित्त वर्ष 2018–19 के लिए एनआईसीएसआई के खातों पर लेखा परीक्षा परामर्श के अनुसार, एनआईसीएसआई ने, ईआरपी सत्यापन करने एवं इसके लिए जाने वाले शुल्क के बारे में बताने हेतु मामले को दिनांक 14.11.2019 को लिखे पत्र के माध्यम से एसटीक्यूसी निदेशालय के समक्ष उठाया था। इसके बाद 13.02.2020 और 08.05.2020 को इसी मामले से संबंधित लिखे ईमेल के माध्यम से एसटीक्यूसी निदेशालय को अनुस्मारक मेल भेजे गए। हालांकि, अभी तक एसटीक्यूसी निदेशालय से कोई उत्तर नहीं मिला है और इसलिए, दिनांक 07.07.2020 को कार्यालय आदेश सं. 3 (1)/2020–प्रशासन. के माध्यम से बाहरी एजेंसी द्वारा ईआरपी लेखांकन सॉफ्टवेयर के सत्यापन हेतु एनआईसीएसआई में एक समिति बनाई गई। समिति द्वारा जांच प्रक्रिया जारी है।
2. हमारे विचार से, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, राजस्व अभिलेखन, खरीद अभिलेखन, कमर्चारियों को दिए गए अग्रिम/विक्रेताओं की पुष्टि/उपयोगकर्ता शेष का समन्वय, विक्रेता प्रदर्शन बैंक गारंटी जारी करने की प्रक्रिया, ई–भुगतान/या अन्य माध्यम के जरिए ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा करना एवं बकाया की वसूली, के भौतिक सत्यापन के संबंध में कंपनी में वर्तमान आंतरिक नियंत्रण, इसके संचालन के आकार एवं प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। (अनुबंध "क" देखें)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, राजस्व अभिलेखन, खरीद अभिलेखन, कमर्चारियों को दिए गए अग्रिम/विक्रेताओं की पुष्टि/उपयोगकर्ता शेष का समन्वय, विक्रेता प्रदर्शन बैंक गारंटी जारी करने की प्रक्रिया, ई–भुगतान/या अन्य माध्यम के जरिए ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा करना एवं बकाया की वसूली, के भौतिक सत्यापन के संबंध में कंपनी में वर्तमान आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को वर्ष के दौरान मजबूत बनाया गया है। हालांकि कोविड–19 लॉकडाउन के कारण, इन मामलों में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है। निकट भविष्य में स्थिति में सुधार होते ही इन सभी गतिविधियों को पूरे जोरशोर से किया जाएगा।
3. व्यापार देय (नोट 19), व्यापार प्राप्य (नोट 10), उपभोक्ताओं से मिलने वाले अग्रिम (अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं समेत) (नोट 21), बयाना धन जमा रसीद (नोट 20), सुरक्षा जमा देय (नोट 18), आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (नोट 9 और 15) और उपभोक्ताओं से मिलने वाले अनुदान–सहयाता (नोट 21) से संबंधित शेष, वर्ष के समाप्त होने पर प्राप्त किए जाने/प्राप्त होने और/या परिणामी संतुलन बनाए जाने की पुष्टि के विषयाधीन हैं।ऐसी पुष्टि एवं समन्वय का, परिसंपत्तियों–देनदारियों और/या आय/व्यय पर प्रभाव, यदि कोई हो, तो वर्तमान में उसका पता लगा पाना संभव नहीं है।	31.03.2020 तक की बकाया राशि के लिए बकाया पुष्टि पत्र जारी कर दिए गए हैं। विभागों/संगठनों आदि को ऐसे पत्र जारी किया जाना नियमित कार्य है लेकिन इसके लिए बहुत नगण्य प्रतिक्रिया मिली है। एनआईसीएसआई अपने ईआरपी सिस्टम में इसे स्वचालित करने की प्रक्रिया में है ताकि ऐसी गतिविधियों को तत्काल एवं उचित तरीके से पूरा किया जा सके।

4. ग्राहकों से प्राप्त होने वाले 1,24,647.66 लाख रुपये के संदर्भ में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन में नोट सं. 21 के लिए संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। व्यक्तिगत खातों की समीक्षा से पता चला कि ऐसे कई ग्राहक हैं जिन पर, वर्ष के समाप्त होने पर, 3 वर्ष से भी अधिक से बकाया है। इनमें से ज्यादातर अग्रिम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और भारत सरकार के मंत्रालयों से लिया गया है और कंपनी द्वारा विभिन्न बैंकों में अलग–अलग ब्याज दरों एवं मैच्युरिटी प्रोफाइल पर सावधि जमा में निवेश कर दिया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रख कर कि उपभोक्ता से मिलने वाले अग्रिम का प्रयोग नहीं किया गया और उसे सावधि जमा में निवेश कर दिया गया, प्रबंधन को ऐसे प्रत्येक अग्रिम एवं वापसी की, हर एक उपभोक्ता के साथ किए गए अनुबंध की नियमों एवं शर्तों के आधार पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। ऐसे हर एक अग्रिम से संबंधित दस्तावेजों, अनुबंधों और विवरणों के न होने पर पूर्ववर्ती पैरा में संदर्भित मामलों का, इस तरह के विवरण के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों/देनदारियों और/या आय/व्यय पर पड़ने वाला समग्र प्रभाव का वर्तमान में पता लगा पाना संभव नहीं है।	एनआईसीएसआई को विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से हजारों नए खरीद आदेश मिलते हैं। उन आदेशों से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने के बाद, एनआईसीएसआई ने अंतिम लेखा निपटान विवरण तैयार किया और संबंधित उपयोगकर्ता को भेज दिया ताकि अतिरिक्त व्यय के खिलाफ धनराशि की प्रतिपूर्ति की जा सके या उसमें खर्च नहीं की गई धनराशि की वापसी हेतु बैंक विवरण दिया जा सके। हालांकि कुछ उपयोगकर्ताओं ने बैंक विवरण भेजे लेकिन कई मामलों में ये नहीं भेजे गए और इसलिए खर्च नहीं की गई धनराशि अभी भी एनआईसीएसआई के पास है। हालांकि, लेखापरीक्षा की जांच के अनुसार, एनआईसीएसआई ऐसे मामलों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करेगी और जल्द–से–जल्द खर्च नहीं हुई धनराशि उपयोगकर्ता को वापस करने का प्रयास करेगी।
5. किए गए कार्य से संबंधित राजस्व, जिसके लिए 496.91 लाख रुपये के खर्च किए गए थे, वित्त वर्ष 2019–20 में आय एवं व्यय खाता के विभिन्न मदों में लिखे गए थे, इन्हें अगले वित्त वर्ष (यानि 2020–21) में दर्ज किया गया जिसके कारण मिलान अवधारणा का पालन नहीं हो सका। इसकी वजह से, कर के लिए 531.69 लाख रुपये की आमदनी एवं संचालन से राजस्व में 531.69 लाख रुपये की कमी दिखाई गई	रिपोर्ट में चिन्हित राशियों के बारे में, एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2020–21 में आय की है। लेखा परीक्षक की राय का भविष्य में अनुपालन किया जाएगा।
6. आय एवं व्यय खाते की नोट सं. 66 के संदर्भ में, विक्रेताओं द्वारा चालान जमा न किए जाने/ देर से जमा किए जाने के कारण वित्त वर्षदृ 2019–20 के भारतीय– लेखांकन मानक फाइनेंशल्स में दर्ज नहीं किए गए खर्च के विवरण की वजह से कट–ऑफ प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा सका। इस प्रकार के बिलों को सक्षम अधिकारी द्वारा बाद में मंजूरी दिए जाने के बाद आगामी रिपोर्टिंग अवधि में दर्ज किया गया। परिसंपत्तियों/देनदारियों और/या आय/व्यय पर व्यय के देर से दर्ज किए जाने के प्रभाव का, सहायताप्राप्त परियोजनाओं पर, रिपोर्ट की जाने वाली तिथि पर विक्रेताओं द्वारा बिल जमा नहीं किए जाने के कारण, पता नहीं लगाया जा सकता है।	समय पर जीएसटी जमा करने और रिटर्न भरने के कारण पिछले वर्ष में दी गई सेवाओं के लिए वेंडरों से बिल लेने की कट–ऑफ तिथि निर्धारित करना अनिवार्य हो जाता है।
7. कंपनी ने महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (देखें नोट 2 (VII) के संदर्भ में चालान बनाते समय, 'नियंत्रण' के हस्तांतरण के समय पहचान किए जाने की बजाए वस्तुओं की बिक्री पर मिलने वाले राजस्व को गलत तरीके से पहचाने जाने के संबंध में कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 द्वारा निर्धारित "उपभोक्ताओं के साथ अनुबंध से मिलने वाले राजस्व" पर भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 115 का पालन नहीं किया। रिपोर्ट की गई आमदनी, हानि और कंपनी की परिसंपत्तियों/देनदारियों पर, भारतीय लेखांकन मानक 115 के सदंर्भ में राजस्व के पहचान में इसके प्रभाव का वर्तमान में पता लगा पाना संभव नहीं है।	एनआईसीएसआई की नीति के अनुसार, वस्तुओं की बिक्री के लिए चालान बनाते समय यह अपने राजस्व का पता लगा लेती है। वित्त वर्ष 2019–20 के लिए वित्तीय कथन तैयार करते समय कंपनी ने लागू भारतीय लेखांकन मानकों के सभी प्रावधानों एवं आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया है और यह राजस्व पहचान पर भारतीय लेखांकन मानक 18 द्वारा वर्णित मिलान अवधारणा के अनुसार है। एनआईसीएसआई अपने ईआरपी सिस्टम में इसे स्वचालित किए जाने की प्रक्रिया में है ताकि ऐसी गतिविधियां तत्काल एवं उचित तरीके से पूरी की जा सकें।

विषय पर बल	
1. नोट सं. 46 के लिए संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसमें वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निर्देश पर वित्त वर्ष 2018–19 से प्रभावी कंपनी का संचालन मार्जिन को सहसंबद्ध किया गया और एवं ओएंडएम खर्च एवं बुनियादी/आईसीटी अवसंरचना के उन्नयन लागत के 7% पर अनुमोदित किया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान शास्त्री पार्क एवं भुवनेश्वर नेशनल डाटा सेंटर के तुलना में कंपनी के संचालन मार्जिन में काफी कमी आई और इसका प्रभाव वर्ष के आय एवं व्यय खाते के लाभ पर भी दिखा।	इस मामले पर 27.12.2018 को एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल की 108वीं बैठक में विचार किया गया था। विस्तृत विचार–विमर्श के बाद बोर्ड ने इस प्रकार अनुमोदन किया था: ➢ एनडीसीएसपी, दिल्ली और एनडीसी, भुवनेश्वर, ओडिशा के लिए एनआईसीएसआई अलग परियोजना पूल अकाउंट बना सकती है; ➢ एनडीसी, एसपी, दिल्ली और एनडीसी, भुवनेश्वर, ओडिशा के माध्यम से दी जाने वाली डाटा सेंटर सह–विन्यास सेवाओं से होने वाली आमदनी को प्रस्तावित परियोजना मद(दों) के तहत साझा किया जाएगा; ➢ इस आमदनी का प्रयोग दोनों ही नेशनल डाटा सेंटर की बुनियादी संरचनाओं के ओएंडएम व्यय और उन्नयन के लिए किया जाएगा; ➢ एनआईसीएसआई द्वारा एनडीसीएसपी पर को–लोकेशन सर्विस के लिए प्रयोग में लाए जा रहे वर्तमान 60 रैक्स के अलावा एनआईसी आने वाले वर्षों के लिए ओएंडएम खर्चों को पूरा करने हेतु और बुनियादी अवसंरचना के उन्नयन हेतु भी, पर्याप्त धनराशि जुटाने के लिए और अधिक रैक्स जोड़ सकती है। ➢ वित्त वर्ष 2018–19 के बाद से एनआईसीएसआई ने एनडीसीएसपी के ओएंडएम खर्च के लिए प्रति वर्ष 8 करोड़ रुपए खर्च नहीं करेगी। प्रति वर्ष मिलने वाले राजस्व से कथित 60 रैकों और एनआईसी द्वारा शामिल किए जाने वाले अन्य रैकों से होने वाली आमदनी का प्रयोग ओएंडएम खर्च को पूरा करने और नेशनल डाटा सेंटर की बुनियादी संरचना के उन्नयन में किया जाएगा। ➢ एनआईसीएसआई, उपरोक्त मानदंडों के अनुसार, वित्त वर्ष 2018–19 से उपर उल्लिखित ओएंडएम खर्चों और संबंधित नेशनल डाटा सेंटरों के बुनियादी और/या आईसीटी अवसंरचना के उन्नयन पर होने वाले खर्च पर 7% का ऑपरेटिंग मार्जिन और टैक्स लेगी। एनआईसीएसआई बोर्ड द्वारा कथित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार 01.04.2018 के अनुसार अपना ऑपरेटिंग मार्जिन और लागू कर ले रही है।
2- हम भारतीय–लेखांकन मानक वित्तीय कथन के नोट सं. 40 पर ध्यान दिलाना चाहेंगे जिसमें भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली के भवन के संबंध में 931.50 लाख रुपये के संवहन/स्वामित्व लेख (टाइटल डीड) वर्ष के समाप्त होने तक पंजीकरण हेतु लंबित था।	एनआईसीएसआई द्वारा क्रमशः वर्ष 2003 और 2000 में भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली स्थित एनबीसीसी के छठे तल पर खरीदे गए हॉल सं. 2 और 3 के लिए एनबीसीसी से संवहन/स्वामित्व लेख (टाइटल डीड) पाने के लिए एनआईसीएसआई प्रयास कर रही है। इस बारे में, एनआईसीएसआई के एमडी ने दिनांक 17.07.2020 को लिखे पत्र के माध्यम से एनबीसीसी के सीएमडी को मामले की एक बार फिर जानकारी दी है। एनआईसीएसआई भविष्य में भी इस मामले पर एनबीसीसी के साथ आगे की कार्यवाही जारी रखेगा।
आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति रिपोर्ट पर विशेषज्ञ राय (क्वालिफायड ओपिनियन)	
d- वेंडर शेष का समन्वय/पुष्टि क्योंकि इसके कारण बकाया शेष में महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है;	31.03.2020 तक शेष धनराशि से संबंधित शेष पुष्टि पत्र जारी कर दिए गए हैं। विभागों/संगठनों आदि को ऐसा पत्र जारी करना नियमित प्रक्रिया है लेकिन इसके प्रति बहुत कम प्रतिक्रिया प्राप्त होती है।

[k- वेंडरों को प्रदर्शन बैंक गारंटी वापस करना क्योंकि इसकी वजह से दोषी वेंडरों से नुकसान की भरपाई न कर पाने की संभावना हो सकती है;	लेखापरीक्षा की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है और बकाया प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। उसके आधार पर, पीबीजी के खिलाफ धनराशि, जिसके लिए नामिकायन अवधि समाप्त हो गई है, को वापस/जारी किया जाएगा। एनआईसीएसआई अपनी ईआरपी सिस्टम में इसे स्वचालित किए जाने की प्रक्रिया में है ताकि ऐसी गतिविधियों को तत्काल एवं उचित तरीके से पूरा किया जा सके।
x- उपलब्ध निधि के संभावित अपर्याप्त उपयोग से बचने के लिए ग्राहकों/विभागों द्वारा कंपनी के बैंक खाते में सीधे/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई धनराशी का लेखांकनः	उपयोगकर्ता विभाग/संगठन एनआईसीएसआई को इलेक्ट्रॉनिक मोड में धन हस्तांतरित करते हैं। हालांकि ऐसे अधिकांश पावतियां खरीद आदेश से संबद्ध हैं, लेकिन विभिन्न प्रयासों के बावजूद उनमें से कुछ अभी भी अज्ञात हैं। लेखा परीक्षा की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है और ऐसी धनराशि के समन्वय हेतु भविष्य में और अधिक प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, प्राप्त धनराशि के स्रोत का पता लगाने के लिए संबंधित बैंकों को लिंक देने का निर्देश दिया गया है ताकि उन उपभोक्ताओं के साथ एनआईसीएसआई मामले पर चर्चा कर सके। हालांकि, 21.07.2020 से पीएफएमएस के माध्यम से मिलने वाली धनराशि के मामलों में स्वतः ही ध्यान रखा जाएगा और अन्य धनराशि के लिए एनआईसीएसआई जिन बैंकों में धनराशि डाली गई है, उनसे संपर्क करेगी।
?k- ग्राहकों से बकाया एवं वेंडरों से अग्रिम की वसूली एवं उनका फॉलो अप करना क्योंकि ऐसा न करने से ग्राहकों और वेंडरों के अग्रिम से बकाया देय में महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है; और	लेखापरीक्षा की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है और उपभोक्ताओं और वेंडरों से ऐसी धनराशि की वसूली या निपटान हेतु भविष्य में और अधिक प्रयास किए जाएंगे।
M- संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन जिनका लेखांकन, वर्गीकरण एवं उपरोक्त के प्रकटीकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता हो।	परिसंपत्तियों का, उनके जारी/निपटान किए जाने के संबंध में उचित विवरण के साथ निर्धारित पंजी में रिकॉर्ड रखा जा रहा है। इसके अलावा, एनआईसीएसआई मुख्यालय (एसपी और एलएनडीसी समेत) और उसकी राजकीय इकाईयों का, प्रत्येक वित्त वर्ष के समाप्त होने पर, 3 सदस्यों वाली समिति द्वारा सभी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इसके अलावा, एनआईसीएसआई में एक समिति गठित की गई है और 31.03.2020 तक पुरानी/अनुपयोगी घोषित की जा चुकी वस्तुओं को जीएफआर में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नीलाम/निपटान करने की प्रक्रिया चल रही है।
p- कंपनी ने आय एवं व्यय बिल को दर्ज करते समय कट ऑफ प्रक्रियाओं एवं मिलान अवधारण (मैचिंग कॉन्सेप्ट) का पालन नहीं किया है।	समय पर जीएसटी जमा करने और रिटर्न फाइल करने के लिए पिछले वर्ष वेंडरों द्वारा दी गई सेवाओं का चालान प्राप्त करने के लिए कट–ऑफ तिथि निर्धारित करना अनिवार्य हो जाता है।

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक के
निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम उदगम

सीआईएनः यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31.03.2020 बैलंस शीट

₹ लाखो में

ब्यौरेवार रिपोर्ट	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	4,692.75	5,405.80
संपत्ति के उपयोग का अधिकार	4	18,924.70	-
अन्य अमूर्त संपत्तियां	5	4,356.78	7,065.05
वित्तीय संपत्तियांः			
ऋण	6	107.08	701.43
अन्य वित्तीय संपत्तियां	7	494.59	458.50
आस्थगित कर संपत्तियां (शुद्ध)	8	4,309.46	3,516.83
अन्य स्थायी संपत्तियां	9	1,164.64	1,677.48
चालू संपत्तियां			
वित्तीय संपत्तियांः			
व्यापार प्राप्य	10	18,987.52	17,398.08
नकद एवं नकद समकक्ष	11	74,608.42	62,678.42
उपर (ख) को छोड़ कर बैंक बैलेंस	12	76,137.47	87,350.17
अन्य वित्तीय संपत्तियां	13	4,060.72	4,479.16
चालू कर संपत्तियां (शुद्ध)	14	14,148.29	14,034.31
अन्य वर्तमान संपत्तियां	15	29,515.90	24,984.22
कुल संपत्तियां		**2,51,508.32**	**2,29,749.45**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	16	200.00	200.00
अन्य इक्विटी	17	59,014.02	49,937.82
देयताएं			

ब्यौरेवार रिपोर्ट	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
स्थायी देयताएं			
वित्तीय देयदाएं			
अन्य वित्तीय देयदाएं	18	16,669.42	40.46
चालू देयदाएं			
वित्तीय देयताएं			
व्यापार देय	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया शेष		817.14	466.66
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्यों का कुल बकाया शेष		23,591.47	34,465.51
अन्य वित्तीय देयताएं	20	3,804.85	1,466.94
अन्य चालू देयताएं	21	1,47,336.90	1,43,097.54
प्रावधान	22	74.52	74.52
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**2,51,508.32**	**2,29,749.45**
खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एंव टिप्पणीया	2		

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

हमारी तिथि तक हमारी रिपोर्ट के अनुसार
अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या 002405सी

ह0/–
अक्षय सेठी
साझेदार
सदस्यता सं. 539439

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
प्रशांत कुमार मित्तल
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08710751

ह0/–
डॉ. राजेन्द्र कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02677079

ह0/–
सन्नी जैन
कंपनी सचिव
एसीएसः 31700

ह0/–
दीपक सक्सेना
एफए/सीए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.07.2020

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएनः यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एंव व्यय लेखा

₹ लाखो में

क्र. सं.	ब्यौरेवार रिपोर्ट	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुआ वर्ष
	आय			
I	संचालन से आय	23	1,15,628.59	1,14,952.83
II	अन्य आय	24	10,302.89	9,080.50
III	**कुल आय (I+II)**		**1,25,931.48**	**1,24,033.33**
IV	**व्यय**			
	बिक्री माल की खरीद	25	17,829.00	24,139.51
	सेवा सहयोग व्यय		79,126.55	85,252.84
	कर्मचारी लाभ व्यय	26	856.31	1,092.63
	वित्त लागत	27	1,037.41	-
	मूल्यह्रास एवं ऋणमुक्ति व्यय	28	8,605.14	5,086.44
	अन्य व्यय	29	5,177.70	18,248.79
	कुल व्यय (IV)		**1,12,632.11**	**1,33,820.21**
V	**कर पूर्व आय/(व्यय) (III–IV)**		13,299.37	(9,786.87)
VI	**कर व्ययः**		**4,223.17**	**(1,263.53)**
	(1) वर्तमान कर		4,820.17	752.37
	(2) आस्थगित कर		(792.63)	(3,662.45)
	(3) पहले के वर्षों का कर समायोजन/(प्रतिलेखन)		195.63	1,646.55
VII	**जारी संचालन से वर्ष के लिए आय/(व्यय) (V–VI)**		**9,076.20**	**(8,523.35)**
VIII	**अन्य व्यापक आय**		-	-

क्र. सं.	ब्यौरेवार रिपोर्ट	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुआ वर्ष
IX	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (आय/(व्यय) समेत और वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय)		**9,076.20**	**(8,523.35)**
X	**प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य 100 रु.)**			
	(1) बेसिक (रु. में)	30	4,538.10	(4,261.67)
	(2) डायलूटेड (रु. में)	30	4,538.10	(4,261.67)

खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियां 2

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय कथनों का अभिन्न हिस्सा है।

इस तिथि तक हमारी रिपोर्ट के अनुसार
अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या 002405सी

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
अक्षय सेठी
साझेदार
सदस्यता सं. 539439

ह0/–
प्रशांत कुमार मित्तल
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08710751

ह0/–
डॉ. राजेन्द्र कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02677079

ह0/–
सन्नी जैन
कंपनी सचिव
एसीएसः 31700

ह0/–
दीपक सक्सेना
एफए/सीए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.07.2020

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएनः यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31 मार्च 2020 नकद प्रवाह कथन

₹ लाखो में

ब्यौरेवार रिपोर्ट	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुआ वर्ष
संचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व अधिशेष/(हानि) और असाधारण मद	13,299.37	(9,786.87)
के लिए समायोजनः		
मूल्यह्रास और ऋणशोधन व्यय	8,605.14	5,086.44
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ/ (हानि)	(2.37)	(1.49)
वित्तीय लागत	1,037.41	
ब्याज से आय	(8,161.28)	(6,644.77)
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान/ (पुनर्प्राप्ति)	(1,454.25)	9,588.17
अग्रिमों के खिलाफ प्रावधान/ (पुनर्प्राप्ति)	(451.32)	1,712.20
बिक्री कर एवं टीडीएस और डब्ल्यूसीटी के खिलाफ प्रावधान	0.41	120.04
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व का संचालन अधिशेष/(घाटा)	**12,873.11**	**73.71**
के लिए समायोजनः		
व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	(135.20)	1,848.91
ऋण और अग्रिमों एवं अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(4,322.32)	(546.63)
व्यापार देय एवं अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(8,405.61)	2,726.05
संचालनों से मिलने वाला नकद	**9.98**	**4,102.04**
आय कर भुगतान	(4,820.17)	(752.37)
पिछले वर्षों के लिए आय कर भुगतान	(195.63)	(1,646.55)
जीआईए परियोजना से संबंधित पूर्ववर्ती वर्ष का ब्याज	-	(4,766.01)
संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह/(बहिर्वाह) (क)	**(5,005.82)**	**(3,062.88)**
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(2,823.15)	(8,582.47)
एफडीआर में में निवेश	11,212.70	27,374.20
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	2.63	6.59
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां	-	-

प्राप्त ब्याज	8,543.63	6,644.77
संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह/(बहिर्वाह) (ख)	**16,935.82**	**25,443.10**
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
ब्याज का भुगतान	-	-
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद प्रवाह/(बहिर्वाह) (ग)	-	-
नकद एवं नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	**11,930.00**	**22,380.22**
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समकक्ष	**62,678.42**	**40,298.21**
वर्ष के समाप्त होने पर नकद एवं नकद समकक्ष	**74,608.42**	**62,678.42**

टिप्पणी

1) वर्ष के समाप्त होने पर बचे नकद और शेष को बैंकों में नकद एवं शेष राशि में शामिल कर दिया गया है। विवरण इस प्रकार है:

ब्यौरेवार रिपोर्ट	**31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ वर्ष**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त हुआ वर्ष**
नकद एवं नकद समकक्ष		
बैंकों में शेष	32,287.27	28,395.00
अग्रदाय खाता	0.50	0.50
अन्य बैंक शेष		
सावधि जमा	42,320.65	34,282.92
	74,608.42	**62,678.42**

इस तिथि तक हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या 002405सी

ह0/–
अक्षय सेठी
साझेदार
सदस्यता सं. 539439

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
प्रशांत कुमार मित्तल
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08710751

ह0/–
डॉ. राजेन्द्र कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02677079

ह0/–
सन्नी जैन
कंपनी सचिव
एसीएसः 31700

ह0/–
दीपक सक्सेना
एफए/सीए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.07.2020

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएनः यू74899डीएल1995एनपीएल072045

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन कथन

क. 100 रु./– प्रति शेयर के जारी, सब्सक्राइब और भुगतान किए गए शेयर के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

₹ लाखो में

ब्यौरवार विवरण	टिप्पणी सं.	धन राशि
1 अप्रैल 2018 तक	16	200.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन		-
31 मार्च 2019 तक	16	200.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन		-
31 मार्च 2020 तक	16	200.00

ख. अन्य ईक्विटी (टिप्पणी 17 देखें)

₹ लाखो में

ब्यौरवार विवरण	आरक्षित निधियां और अधिशेष प्रतधारित आय	अन्य कुल इक्विटी
31 मार्च 2018 तक	63,682.39	63,682.39
एनकेएन के अलावा जीआईए परियोजना से संबंधित ब्याज (टिप्पणी सं, 54 देखें)	(3,351.27)	(3,351.27)
जीआईए परियोजना एनकेएन से संबंधित ब्याज (टिप्पणी सं, 54 देखें)	(1,414.74)	(1,414.74)
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए मूल्यह्रास (टिप्पणी सं, 57 देखें)	(455.22)	(455.22)
31 मार्च 2018 तक (पुर्नउल्लिखित)	**58,461.16**	**58,461.16**
वर्ष के लिए अधिशेष/(कमी)	(8,523.35)	(8,523.35)
31 मार्च 2019 तक	**49,937.82**	**49,937.82**
वर्ष के लिए अधिशेष/(कमी)	9,076.20	9,076.20
31 मार्च 2020 तक	**59,014.02**	**59,014.02**

इस तिथि तक हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते अग्रवाल एंड सक्सेना
सनदी लेखाकार
कंपनी पंजीकरण संख्या 002405सी

ह0/–
अक्षय सेठी
साझेदार
सदस्यता सं. 539439

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
प्रशांत कुमार मित्तल
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08710751

ह0/–
डॉ. राजेन्द्र कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02677079

ह0/–
सन्नी जैन
कंपनी सचिव
एसीएसः 31700

ह0/–
दीपक सक्सेना
एफए/सीए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.07.2020

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज़ इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत भारत सरकार का उपक्रम)

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की महत्तवपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

1. कॉर्पोरेट सूचना

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक ('संस्था') को 29 अगस्त 1995 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ('एनआईसी'), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन निगमित किया गया था। संस्था सरकारी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को पूर्ण आईटी समाधान प्रदान करने में लगी हुई है।

दिनांक 29 जुलाई 2020 को निदेशक मंडल के एक संकल्प के आधार पर वित्तीय कथनों में जारी करने करना अधिकृत किया गया था।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

i. वित्तीय कथनों को तैयार करने का आधार

कंपनी का वित्तीय कथन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133, जिसे कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा जाएगा, और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के तहत जारी किए गए नियमों और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के तहत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों (अभी के बाद इसे 'भारतीय लेखांकन मानक'/'Ind AS') के अनुसार तैयार किया गया है।

वित्तीय कथनों को ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है, निम्नलिखित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को छोड़कर जिन्हें उचित मूल्य पर परिमित किया गया है:

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है (वित्तीय उपकरणों के संबंध में लेखांकन नीति देखें)।

वित्तीय कथनों को भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार लाभकारी संस्था के आधार पर तैयार किया गया है।

वित्तीय कथन भारतीय रुपये (INR) में प्रस्तुत किया गया है, यह कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है। अनुसूची ।।। की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय कथनों और नोट्स में उल्लिखित सभी धनराशि को, जब तक अलग से बताया न गया हो, निकटतम लाख रूपयों में लिखा गया है। निकटतम रुपय निकालते समय होने वाली गलतियों की अनदेखी की गई है।

ii. परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का वर्तमान बनाम गैर–वर्तमान वर्गीकरण:

किसी परिसंपत्ति को वर्तमान तब कहा जाता है जब:

- जिससे वसूली की उम्मीद हो या बेचने का इरादा हो या सामान्य संचालन चक्र में उपयोग में लाया जा चुका हो;
- मुख्य रूप से व्यापार हेतु रखी गई हो;
- रिपोर्ट करने की अवधि के बाद 12 माह के भीतर बेच दिए जाने की उम्मीद हो;
- रिपोर्ट करने की अवधि के बाद कम–से–कम बारह महीने के लिए जब तक आदान–प्रदान करने हेतु प्रतिबंधित नहीं किया जाता या देनदारी को चुकाने में प्रयोग नहीं किया जाता, तब तक नकद या नकद के समकक्ष।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–वर्तमान माना जाता है।

देनदारी को तब वर्तमान माना जाता है जब:

- इसके सामान्य परिचालन चक्र में चुका दिए जाने की उम्मीद हो;

- मुख्य रूप से व्यापार हेतु रखी गई हो;
- रिपोर्ट किए जाने की अवधि के बाद 12 माह के भीतर निपटान किया जाना हो, या
- रिपोर्ट किए जाने की अवधि के कम–से–कम 12 माह बाद तक देनदारी चुकाना स्थगित करने का कोई शर्तरहित अधिकार न हो।

अन्य सभी प्रकार की परिसंपत्तियों को गैर–वर्तमान माना जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर–वर्तामन परिसंपत्ति एवं देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संचालन चक्र प्रसंस्करण हेतु परिसंपत्तियों के अधिग्रहण एवं नकद और नकद समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है। कंपनी ने 12 माह को अपना संचालन चक्र माना है।

iii. परिसंपत्ति संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई/PPE) और मूल्यह्रास

(क) मान्यता एवं प्रारंभिक मूल्य निर्धारण

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उनके अधिग्रहण लागत पर बताया गया है। भारतीय लेखांकन मानक के परिवर्तन काल पर, कंपनी ने अपनी सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों का मूल्य निर्धारण पूर्ववर्ती जीएएपी (GAAP) मूल्य (अनुमानित लागत) पर करने का निर्णय लिया है।

इस लागत में खरीद मूल्य, उधार मूल्य शामिल है, यदि पूंजीकरण मानदंड को पूरा कर लिया गया हो और संभावित उपयोग हेतु परिसंपत्तियों को कामकाजी स्थिति में लाने में यह प्रत्यक्ष रूप से योगदान कर रहा हो। खरीद मूल्य निकालने के लिए किसी भी व्यापार छूट एवं बट्टे को घटा लिया जाएगा। बाद की लागत को परिसंपत्ति की रख–रखाव लागत या अलग परिसंपत्ति में शामिल किया जाता है, जैसा उचित हो, ऐसा तभी होगा जब भविष्य में इनसे होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को मिले। जब संयंत्र और मशीनों के महत्वपूर्ण पुर्जों को समय–समय पर बदले जाने की आवश्यकता हो तो कंपनी उनके उपयोगी जीवन के आधार पर अलग से मूल्यह्रास करेगी। इसी प्रकार, जब प्रमुख जांच किया जाएगा, तब मान्यता मानदंड को पूरा करने पर इस खर्च को संयंत्र एवं उपकरण के रखाव लागत माना जाएगा। मरम्मत एवं रख–रखाव संबंधी अन्य सभी खर्चों को लाभ और हानि कथन में लिखा जाएगा।

(क) अनुवर्ती पैमाइश (मूल्यह्रास और उपयोगी जीवन)

पीपीई की वस्तुओं का मूल्यह्रास ह्रासिल मूल्य मान विधि और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में निर्धारित दरों पर प्रदान की गई है। संस्था ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। के अनुसार पीपीई की सभी वस्तुओं का उपयोगी जीवन निर्धारित किया है।

प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में अवशिष्ट मान, उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास विधि की समीक्षा की जाती है।

(ख) मान्यता रद्द करना

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कोई वस्तु और कोई महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे शुरुआत में निपटान पर बेकार माना गया हो या उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की उम्मीद न हो। परिसंपत्ति के बेकार होने से होने वाला कोई भी लाभ या हानि (परिसंपत्ति के शुद्ध निपटान आय एवं रख–रखाव लागत के अंतर से निकाला जाता है) को आय कथन में शामिल किया जाता है जब परिसंपत्ति को बेकर मान लिया जाता है। प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास विधियों की समीक्षा की जाती है और उचित पाए जाने पर समायोजित किया जाता है।

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण के बेकार होने के बाद हुए लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय एवं संपत्ति के रख–रखाव लागत के अंतर से मापा जाता है और संपत्ति के बेकार हो जाने पर उसका विवरण लाभ और हानि कथन में दिया जाता है।

iv. अमूर्त संपत्ति और ऋणशोधन

आरंभ में अमूर्त संपत्ति की गणना लागत पर की गई। इसके बाद अमूर्त संपत्तियों की गणना लागत में से संचित ऋणशोधन और

संचित अक्षमता हानि को घटा कर की गई। अमूर्त संपत्तियों का उपयोगी जीवन परिमित या अनंत हो सकती है। परिमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों का ऋणशोधन ह्रासित मूल्य मान विधि के अनुसार उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के साथ किया गया है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों के लिए ऋणशोधन अवधि और ऋणशोधन विधि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के समाप्त होने पर कम–से–कम एक बार समीक्षा की जाती है। ऋणशोधन अवधि या विधि में संशोधन करते समय अपेक्षित उपयोगी जीवन या संपत्ति से संबद्ध भविष्य के आर्थिक लाभों का अपेक्षित खपत पैटर्न में परिवर्तन पर विचार किया गया है, जैसा उपयुक्त हो, और उन्हें लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना गया है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों पर ऋणशोधन खर्च को तब तक आय एवं व्यय कथन में लिखा जाता है जब तक ऐसे खर्च किसी अन्य संपत्ति के रख–रखाव खर्च का हिस्सा न हों।

कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सर्वर से संबंधित खर्च उनके क्रमशः तीन वर्ष और छह वर्ष के अनुमानित उपयोगी आर्थिक जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर पूंजीकृत और ऋणशोधित की जाती है। ईआरपी सॉफ्टवेयर से संबंधित खर्च को इसके दस वर्ष के अनुमानित उपयोगी आर्थिक जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर पूंजीकृत और ऋणशोधित किया जाता है।

v. वित्तीय साधन

एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को बढ़ाने वाला कोई अनुबंध वित्तीय साधन कहलाता है।

वित्तीय पूंजी

प्रारंभिक मान्यता और गणना

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों का आकलन आरंभ में उचित मूल्य पर किया गया है, यदि लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों को दर्ज नहीं किया जाता है, ऐसे मामले में वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण में योगदान करने वाले लेन–देन खर्च को स्वीकार किया जाता है। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार (नियमित रूप से किए जाने वाले व्यापार) द्वारा स्थापित नियमन या परंपरा के अनुसार एक समय–सीमा के भीतर परिसंपत्तियों के वितरण की आवश्यकता होती है, को व्यापार तिथि पर माना जाता है यानि वह तिथि जिस पर कंपनी संपत्ति को खरीदने या बेचने का वचन देती है।

अनुवर्ती पैमाइश

अनुवर्ती पैमाइश के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः

ऋणशोधन लागत पर ऋण साधन

एक 'ऋण साधन' को ऋणशोधन लागत पर तब मापा जाता है जब निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी हो रही होंः

क) परिसंपत्ति एक ऐसे व्यवसाय मॉडल के अधीन हो जिसका उद्देश्य अनुबंधात्मक नकद प्रवाह को एकत्र करने के संपत्ति पर अधिकार बनाए रखना हो और

ख) परिसंपत्ति की संविदा शर्तें निर्धारित तिथि पर नकद प्रवाह बढ़ा देती हों जो परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें बकाया मूलधन पर केवल मूलधन एवं ब्याज भुगतान (एसपीपीआई) हो।

सभी वित्तीय देनदारियां प्रारंभिक पहचान पर उचित मूल्य पर मान्यतादृप्राप्त हैं। वित्तीय देनदारियों में प्रत्यक्ष रूप से योगदान करने वाले वित्तीय लागत, जो आय या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं हैं, को प्रारंभिक पहचान पर उचित मूल्य में जोड़ दिया गया है। आरंभिक पैमाइश के बाद, ऐसी वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग कर ऋणशोधन लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम और ईआईआर के अभिन्न शुल्क या लागत को ध्यान में रख कर की जाती है। ईआईआर परिशोधन वित्तीय आय में लाभ या हानि में शामिल है। नुकसान से होने वाली हानि लाभ या हानि में लिखा जाता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीओसीआई/FVTOCI)

एक 'ऋण साधन' को तब एफवीटीओसीआई (FVTOCI) कहा जाता है जब निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती होंरू

क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य अनुबंधात्मक नकद प्रवाह को एकत्र करने एवं वित्तीय संपत्तियों की बिक्री, दोनों द्वारा पूरी हो

रही हों और

ख) परिसंपत्ति का अनुबंधात्मक नकद प्रवाह एसपीपीआई / SPPI का प्रतिनिधित्व करता हो।

एफवीटीओसीआई (FVTOCI) श्रेणी में शामिल ऋण साधन को प्रारंभ में और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा गया है। उचित मूल्य प्रवृत्ति को अन्य व्यापक आय (OCI) में जगह दी गई है। हालांकि, कंपनी ने लाभ एवं हानि खाते में ब्याज से होने वाली आय, नुकसान हानि एवं निरसन और विदेशी विनिमय लाभ या हानि को जगह दी है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर, ओसीआई / OCI में पूर्व में हुए लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि खाते में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। एफवीटीओसीआई (FVTOCI) ऋण साधन से अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि (EIR method) का उपयोग कर ब्याज से हुई आमदनी के रूप में बताया गया है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (FVTPL)

ऋण साधन के लिए एफवीटीपीएल (FVTPL) अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन जो ऋणशोधन लागत पर या FVTOCI के अनुसार वर्गीकरण मानदंड को पूरा न करता हो को FVTPL में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी एक ऋण साधन को, जो ऋणशोधन लागत या FVTOCI मानदंड को पूरा करता हो, FVTPL में रख सकती है। हालांकि, ऐसा करने की अनुमति केवल तभी होगी जब ऐसा करने से पैमाइश या मान्यता की असंगतता कम या दूर हो रही हो (इसे 'लेखांकन असंतुलन' कहते हैं)। कंपनी ने किसी भी ऋण साधन को FVTPL निर्दिष्ट नहीं किया है।

FVTPL श्रेणी में शामिल किए गए ऋण साधन की पैमाइश, लाभ और हानि खाते में स्वीकृत सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर की गई है।

इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 109 के दायरे में किए गए सभी इक्विटी निवेश की पैमाइश उचित मूल्य पर की जाती है। ऐसे सभी इक्विटी साधन जिन्हें एक व्यावसायिक संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा कारोबार एवं आकस्मिक विचार हेतु संघटित किया गया हो और जिस पर भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 103 (व्यापार संयोजन) लागू हो, FVTPL पर वर्गीकृत हैं। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया गया है और अपरिवर्तनीय है।

यदि कंपनी किसी इक्विटी साधन को FVTOCI के रूप में वर्गीकृत करने का फैसला करती है तो लाभांश को छोड़ कर ऐसे साधन के उचित मूल्य में हुए सभी परिवर्तन को OCI में दर्ज किया जाएगा। OCI से लाभ और हानि (P&L) में, यहां तक कि निवेश की बिक्री पर भी, किसी भी धनराशि का पुनरावर्तन नहीं किया जाता। हालांकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि का हस्तांतरण कर सकती है।

FVTPL श्रेणी मे शामिल इक्विटी साधनों की पैमाइश उचित मूल्य पर की जाती है और सभी परिवर्तनों को लाभ और हानि (P&L) में दर्ज किया जाता है।

मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या एक जैसी वित्तीय समूहों का हिस्सा) मुख्य रूप से तब रद्द की जाती है जबः

परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार की समय–सीमा समाप्त हो जाए, या

संबंधित कंपनी परिसंपत्ति से मिलने वाले नकद प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकार हस्तांतरित कर दे या बिना किसी देरी के 'पास–थ्रू' समझौते के तहत किसी तीसरे पक्ष को प्राप्त होने वाली नकद प्रवाह के भुगतान का दायित्व दे दे; और

या तो कंपनीः

(क) ने सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया हो या

(ख) संपत्ति के सभी जोखिमों और लाभों को न तो हस्तांतरित किया हो न ही पर्याप्त रूप से अपने पास रखा हो लेकिन संपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया हो।

जब कंपनी ने संपत्ति से मिलने वाले नकदी प्रवाह पर अपने अधिकार हस्तांतरित कर दिए हों या पास–थ्रू समझौते कर लिया हो, तब वह इसका मूल्यांकन करेगी कि यदि और किस सीमा तक उसके पास स्वामित्व के जोखिम और लाभ बचे हैं। जब कंपनी ने संपत्ति के सभी जोखिमों और लाभों को न तो हस्तांतरित किया हो न ही पर्याप्त रूप से अपने पास रखा हो, न ही संपत्ति पर नियंत्रण को हस्तांतरित किया हो तो कंपनी की सतत भागीदारी की सीमा तक कंपनी हस्तांतरित संपत्ति पर अधिकार बनाए रखेगी। ऐसे मामले में, कंपनी पर संबद्ध देयता भी होगी। हस्तांतरित संपत्ति और संबद्ध देयता कंपनी के अधिकारों एवं दायित्वों के प्रभाव के आधार पर मापी जाएगी।

सतत भागीदारी जो हस्तांतरित संपत्ति पर गारंटी होगी, संपत्ति के न्यूनतम मूल रखदृरखाव लागत और कंपनी द्वारा चुकाए जाने वाले अधिकतम विचाराधीन राशि पर मापी जाएगी।

वित्तीय संपत्तियों की हानि

भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और ऋण जोखिम पर हानि को मापने एवं स्वीकार करने के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ECL) मॉडल अपनाती हैः

क) ऋण साधन बन चुकी वित्तीय परिसंपत्तियां और जिन्हें ऋणशोधन लागत पर मापा जाता है जासे ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक बैलेंस।

कंपनी रिपोर्ट करने की प्रत्येक तिथि पर, आजीवन ECLs पर आधारित नुकसान हानि भत्ता, इसके प्रारंभिक पहचान किए जाने के समय से ही, स्वीकार करती है।

अवधि के दौरान दिए जाने वाले ECL नुकसान हानि भत्ता (या रिवर्सल) को लाभ और हानि खाता कथन में आय/व्यय के रूप में लिखा गया है

vi. उचित मूल्य पैमाइश

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों की पैमाइश करती है।

उचित मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी संपत्ति को बेचने से प्राप्त हो सकता है या पैमाइश तिथि पर बाजार के प्रतिभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में देयता हस्तांतरित करने के लिए जिस मूल्य का भुगतान किया गया हो। उचित मूल्य पैमाइश इस अनुमान पर आधारित है कि संपत्ति को बेचने या देयता का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से होता हैः

- संपत्ति या देयता के लिए मूल बाजार में या
- या मूल बाजार की अनुपस्थिति में, संपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभकारी बाजार में।

मुख्य या सबसे लाभकारी बाजार कंपनी के लिए सुलभ होना चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन अनुमानों का प्रयोग कर मापा जाता है जिसमें यह मानते हुए कि बाजार के प्रतिभागी अपने आर्थिक हितों का ध्यान रखते हुए संपत्ति या देयताओं के मूल्य निर्धारण में इनका प्रयोग करेंगे, के माध्यम से मापा जाता है। एक गैर–वित्तीय संपत्ति की उचित मूल्य पैमाइश करते समय बाजार के प्रतिभागी की संपत्ति का सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक उपयोग कर आर्थिक लाभ कमाने की क्षमता या बाजार के किसी दूसरे प्रतिभागी को बेच कर जो इस संपत्ति का सर्वोत्तम और सर्वाधिक उपयोग कर सके, को ध्यान में रखा जाता है।

कंपनी परिस्थियों के लिए उपयुक्त मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हों, संबंधित अवलोकन योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग और अलक्षित इनपुट के न्यूनतम प्रयोग सुनिश्चित कर सकें।

वित्तीय कथनों में ऐसी सभी संपत्तियों एवं देयताओं जिनके लिए उचित मूल्य को मापा गया है, को उचित मूल्य पदानुक्रम में वर्गीकृत किया गया है, विवरण इस प्रकार है, यह उचित मूल्य पैमाइश के लिए संपूर्णता में महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित हैः

- स्तर 1 – अभिन्न संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिए बाजार में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट जो उचित मूल्य पैमाइश के लिए महत्वपूर्ण है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचारणीय हो

- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य पैमाइश हेतु न्यूनतम स्तर इनपुट महत्वपूर्ण हो, विचारणीय न हो।

उचित मूल्य प्रकटीकरण हेतु, कंपनी ने संपत्ति या देनदारी की प्रकृति, विशेषता और जोखिम एवं उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर संपत्तियों एवं देनदारियों की श्रेणी निर्धारित की है।

रिपोर्ट करने की प्रत्येक तिथि पर, कंपनी प्रबंधन कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनर्पैमाइश या पुनर्मूल्यांकित किए जाने की आवश्यकता वाली संपत्तियों और देनदारियों के मूल्यों में हुए बदलावों का विश्लेषण करता है।

वित्तीय कथनों में आवर्ती आधार पर पहचान की गईं संपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी रिपोर्ट किए जाने की प्रत्येक अवधि के समाप्त होने पर यह निर्धारित करती है कि क्या पुनर्मूल्यांकन वर्गीकरण द्वारा पदानुक्रम में स्तरों के बीच हस्तांतरण हुए हैं (उचित मूल्य पैमाइश के लिए महत्वपूर्ण न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर)।

यह व्याख्या उचित मूल्य निर्धारण हेतु लेखांकन नीति का सार प्रस्तुत करती है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण निम्नलिखइत के रूप में प्रासंगिक विवरणों में दिए गए हैं:

- महत्वपूर्ण अनुमानों एवं धारणाओं के लिए प्रकटीकरण
- उचित मूल्य पैमाइश पदानुक्रम का मात्रात्मक प्रकटीकरण
- वित्तीय साधन (ऋणशोधन लागत पर किए गए समेत)

vii. उपभोक्ता के साथ किए गए अनुबंध से मिलने वाले राजस्व

राजस्व को इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है कि कंपनी को आर्थिक लाभ होने की संभावना है और भुगतान कभी भी किया जा रहा हो, राजस्व को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है। राजस्व को स्वीकार किए जाने से पहले निम्नलिखित विशेष स्वीकार मानदंडों को अवश्य पूरा किया जाना चाहिए: –

वस्तुओं/सेवा की बिक्री के संदर्भ में राजस्व

राजस्व की पहचान इस सीमा तक की जाती है कि संभव है निगम को आर्थिक लाभ होगा और राजस्व को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकेगा। राजस्व को प्राप्त या प्राप्य आय के उचित मूल्य पर मापा जाता है। इसमें भुगतान की अनुबंधित शर्तों का ध्यान रखा जाता है और सरकार की तरफ ले लिए गए कर या शुल्कों को शामिल नहीं किया जाता।

वस्तुओं/स्टॉक की बिक्री एवं बिक्री वस्तुओं के संबंध में राजस्व चालान बनाने के समय या वस्तुओं का नियंत्रण खरीददारों को दिए जाने के समय, आमतौर पर वस्तुओं की डिलीवरी किए जाने और डिलीवरी किए जाने के प्रमाण पर, स्वीकार किया जाता है। वस्तुओं की बिक्री से मिलने वाले राजस्व को प्राप्त या प्राप्य आय के उचित मूल्य, शुद्ध रिटर्न एवं भत्तों, व्यापार छूट एवं बड़ी छूट पर मापा जाता है।

सेवा की बिक्री के संबंध में राजस्व बिल बनाए जाने के समय या खरीददारों को सेवा दे दी जाने पर, आमतौर पर सेवा के प्रमाण पर स्वीकार किया जाता है। सेवा की बिक्री से मिलने वाला राजस्व प्राप्त या प्राप्य आय के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

निगम, परियोजना लागत के आधार पर समय–समय पर निर्धारित किए जाने वाले स्लैब दरों पर संचालन लाभ (ऑपरेटिंग मार्जिन) निर्धारित करता है। आमतौर पर संचालन लाभ दर परियोजना लागत के विपरीत होता है यानि परियोजना की लागत जितनी अधिक होगी संचालन लाभ दर उतना कम होगा। परियोजना लागत में होने वाली वृद्धि के कारण संचालन लाभ दर में होने वाली कोई भी अनुवर्ती कमी का लेखा–जोखा वर्ष के समाप्त होने पर या परियोजना के बंद होने के समय संबंधित क्रेडिट नोट जारी कर किया जाता है। इस प्रकार जारी किए गए क्रेडिड नोट आय के संबंधित मदों से हटा दिए जाते हैं।

ब्याज से होने वाली आय

सभी ऋण साधनों के लिए जो अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋणशोधन लागत पर या उचित मूल्य पर मापे गए हों, ब्याज से होने वाली आय को प्रभावी ब्याज दर (EIR) का प्रयोग कर दर्ज किया जाता है। EIR वह दर होती है जिस दर पर या अल्प अवधि के लिए, जहां उचित हो, वित्तीय संपत्ति के सकल रख–रखाव लागत या वित्तीय क्षमता की ऋणशोधन लागत तक, वित्तीय साधन की अपेक्षित जीवन पर अनुमानित भावी नकद भुगतानों या पावतियों पर छूट दी जाती है। प्रभावी ब्याज दर की गणना करते समय, कंपनी वित्तीय साधन के सभी अनुबंधात्मक शर्तों (जैसे पूर्वभुगतान, विस्तार, मांग और समान विकल्पों) पर विचार करते हुए अपेक्षित नकद प्रवाह का

अनुमान लगाती है लेकिन अपेक्षित ऋण हानि पर विचार नहीं करती। ब्याज से होने वाली आमदनी को वित्त आय में लाभ और हानि कथन में शामिल किया जाता है।

viii. विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी विभागों से अनुदान परियोजना हेतु अग्रिम

एनआईसीएसआई को विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी विभागों से वस्तु और सेवा की बिक्री हेतु अग्रिम प्राप्त हुआ है। ये लेनदेन निकाय के सामान्य व्यापारिक लेनदेन हैं। मंत्रालयों से मिले अग्रिम को वित्तीय कथन में, 'अन्य वर्तमान देनदारियों' के मद में 'उपभोक्ताओं से मिले अनुदान' के रूप में अलग से बताया गया है, क्योंकि ये सामान्य व्यापारिक लेनदृदेन हैं। इन अग्रिमों का प्रयोग संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है और यदि एनआईसीएसआई के पास संबंधित परियोजना के समाप्त होने पर धनराशि बच जाती है तो उस धनराशि को ब्याज समेत (यदि हो) अनुदाता संस्थान को वापस कर दिया जाता है। सभी अनुदान सहायता राशि केवल परियोजनाओं के लिए प्राप्त किए जाते हैं।

एनआईसीएसआई हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर खरीदने और कर्मचारी प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से मिलने वाले आदेशों को लागू करता है। यह अपने निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर अनुमोदित दरों के अनुसार प्रत्येक आदेश के कुल लागत पर संचालन लाभ लेता है। एनआईसीएसआई विभागों/संगठनों से ऐसे आदेशों के लिए अग्रिम के रूप में धन प्राप्त करता है। एनआईसीएसआई को किसी अन्य रूप में सरकारी मदद नहीं मिलती, जिससे उसे प्रत्यक्ष रूप से लाभ हो। एनआईसीएसआई को रियायती दर या मुफ्त में किसी प्रकार का मौद्रिक या गैर–मौद्रिक संपत्ति अनुदान नहीं दिया गया है।

एनआईसीएसआई मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुदान जारी किए जाने हेतु सभी प्रशासनिक अनुमोदनों/मंजूरियों से जुड़े सभी नियमों और शर्तों को पूरा करता है।

ix. सामान (इन्वेंटरी)

सामान की लागत में खरीद पर किया गया सभी प्रकार का खर्च, रूपांतरण खर्च और सामानों को उनके वर्तमान स्थान एवं स्थिति पर लाने में हुए सभी खर्च शामिल होते हैं। सामान (सॉफ्टवेयर के सामान समेत) का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति मूलय पर, फर्स्ट–इन–फर्स्ट– आउट (फीफो/FIFO) विधि पर जो भी कम हो, पर किया गया है। उपभोग्य वस्तुओं पर खरीद के वर्ष में राजस्व शुल्क लिया गया है, जो नगण्य हैं।

x सेवानृत्ति लाभ

एनआईसी के साथ किए गए समझौते के अनुसार, अवकाश वेतन एवं पेंशन योगदान के लिए दी जाने वाली धनराशि की गणना संबंधित कर्मचारी के मूल वेतन और वेतनमान (ग्रेड पे) पर की जाएगी जो कि भारत सरकार द्वार निर्धारित एवं एनआईसी को पारित प्रतिशत पर आधारित होगा। कंपनी कर्मचारियों को ऐसी किसी प्रकार की अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने की उत्तरदायी नहीं है, जिसे भविष्य में एनआईसी द्वारा वहन किया जाना हो।

xi. पूर्व अवधि मद (प्रायर पीरियड आइट्म्स)

पूर्व अवधि मद निकाय के पूर्व अवधि वित्तीय कथनों में चूक/गलत बयानी होता है, इसमें बैलेंसशीट में किया गया गलत वर्गीकरण भी शामिल है। भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 8 के अनुसार अनुमोदित वित्तीय कथन के पहले सेट में पूर्व अवधि मद की गलतियों को पूर्वप्रभावी रूप में सुधारने की आवश्यकता होती है, उनकी पहचान किए जाने के बाद, प्रस्तुत किए गए पूर्व अवधियों के लिए, जिसमें गलति हुई है, तुलनात्मक धनराशि को फिर से लिख कर। हालांकि यदि ऐसा करना अव्यवहारिक हो यानि यदि कोई निकाय प्रत्येक उचित प्रयास करने के बाद भी ऐसा कर पाने में असमर्थ हो तो भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार ऐसे पूर्व अवधि मदों के पहले की अवधि की तुलना में पुनर्कथन की आवश्यकता नहीं है।

xii. रिपोर्ट की जाने वाली अवधि के बाद की घटनाएं

निगम को, प्रत्येक वर्ष, रिपोर्ट की जाने वाली अवधि के समाप्त होने के बाद रिपोर्ट की जाने वाली अवधि से संबंधित कुछ व्यय चालान मिलते हैं। एक रिपोर्टिंग अवधि से संबंधित व्यय चालान, जो निगम को रिपोर्ट की जाने वाली अवधि के बाद लेकिन प्रबंधन द्वारा कट–ऑफ तिथि को मंजूर किए जाने या निगम के निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय कथनों को मंजूर किए जाने से पहले मिलते हैं, को रिपोर्ट की जाने वाली अवधि के बाद की समायोजित घटना माना जाता है और वे जिस रिपोर्ट की जाने वाली अवधि से संबंधित

होते हैं उसी का माना जाता है। ऐसे व्यय चालानों पर होने वाली संबंधित आय भी उसी रिपोर्टिंग अवधि में शामिल की जाती है। व्यय चालान, एक रिपोर्ट की जाने वाली अवधि से संबंधित, जो निगम को रिपोर्ट की जाने वाली अवधि के बाद और प्रबंधन द्वारा कट–ऑफ तिथि को मंजूर किए जाने या निगम के निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षित वित्तीय कथनों को मंजूर किए जाने के बाद मिलता है, को रिपोर्ट की जाने वाली अवधि के बाद की गैर–समायोजित घटना माना जाता है और रिपोर्ट की जाने वाली जिस अवधि में ऐसे चालान मिलते हैं, उसी अवधि में इसे शामिल किया जाता है। इससे होनी वाली आय भी व्यय चालान मिलने वाली रिपोर्टिंग अवधि में शामिल की जाती है और उसी में इसका लेखा–जोखा किया जाता है।

xiii. पट्टा

कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग कर भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 116 को लागू किया है और इसलिए तुलनात्मक सूचना को फिर से नहीं लिखा गया है और उसे भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 17 में रिपोर्ट किया जाना जारी है।

पट्टेदार के रूप में

कंपनी संपत्ति का उचित उपयोग करती है और उस पर पट्टा आरंभ तिथि पर पट्टा देयता है। संपत्ति के उचित उपयोग को शुरुआत में लागत पर मापा जाता है, जिसमें आरंभ तिथि को या उससे पहले किसी भी पट्टे भुगतान के लिए समायोजित की गई पट्टा देयता की आरंभिक धनराशि के साथ किया गया कोई भी आरंभिक प्रत्यक्ष खर्च और अंतर्निहित संपत्ति को ढहाने और हटाने में होने वाले खर्च का अनुमान या अंतर्निहित संपत्ति या जिस स्थान पर वह है, उसकी मरम्मत करने का खर्च में से मिलने वाले किसी प्रकार के पट्टा प्रलोभन को घटा लिया जाता है।

संपत्ति के उचित उपयोग का बाद में सीधी–रेखा पद्धति का उपयोग कर, आरंभ तिथि से संपत्ति के उचित उपयोग के उपयोगी जीवन के समाप्त होने या पट्टा अवधि समाप्त होने की तिथि पर मूल्यह्रास किया गया है। संपत्ति के उचित उपयोग की अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण संपत्ति और उपकरण के उपयोगी जीवन निर्धारण वाले आधार पर ही किया जाता है। इसके अलावा, संपत्ति का उचित उपयोग, समय–समय पर होने वाले नुकसान से हुई हानि से कम कर लिया जाता है, यदि हो, और पट्टा देयता की कुछ पुनः–पैमाइश के लिए समायोजित किया जाता है।

पट्टा देयता की गणना शुरुआत में पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य, जिनका पट्टा आरंभ होने की तिथि पर भुगतान नहीं किया गया हो, पर की जाती है; ब्याज दर का प्रयोग कर (यानि सरकारी बॉन्ड की औसत ब्याज दर –7.75%) छूट दी जाती है।

पट्टा देयता को मापने में शामिल पट्टा भुगतान में निम्नलिखित होते हैं:

- निश्चित भुगतान, इन–सब्सटांस फिक्स्ड पेमेंट्स समेत।
- किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करने ले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान, शुरुआत में इसकी गणना आरंभ तिथि के सूचकांक या दर का उपयोग कर की जाती है;
- अवशिष्य मूल्य गारंटी के तहत देय धनराशि; और
- खरीद विकल्प के तहत अभ्यास मूल्य (एक्सरसाइज प्राइस) जो कंपनी के अपनाना यथोचित है, यदि कंपनी विस्तार विकल्प चुनती है तो वैकल्पिक नवीकरण अवधि में पट्टे का भुगतान और जब तक कंपनी समय से पहले समाप्त किए जाने को यथोचित निश्चित न हो पट्टे का समय से पहले समाप्त किए जाने पर जुर्माना।

पट्टा देयता की गणना प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग कर ऋणशोधन लागत पर की जाती है। सूचकांक या दर में होने वाले परिवर्तन से भविष्य के पट्टा भुगतान में परिर्तन होने पर, अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशि से संबंधित कंपनी के अनुमान में परिवर्तन होता है या कंपनी अपने मूल्यनिर्धारण में परिवर्तन कर बताती है कि वह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प में से किसी का प्रयोग करेगी, तो इसकी गणना फिर से की जाती है।

जब पट्टा देयता की गणना इस प्रकार फिर से की जाती है, तो संपत्ति के उचित उपयोग हेतु रख–रखाव राशि के लिए उचित समायोजन किया जाता है या संपत्ति के उचित उपयोग हेतु रख–रखाव राशि को कम कर शून्य कर दिया जाता है तो इसे लाभ या हानि में दर्ज किया जाता है।

कंपनी ने 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' में निवेश संपत्ति और 'अन्य वित्तीय देयताएं' में पट्टा देयता की परिभाषा पर खड़ी नहीं उतने

वाली संपत्ति के उचित उपयोग को बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया है।

अल्पकालिक पट्टा और कम–मूल्य वाली संपत्तियों का पट्टा

कंपनी ने 12 माह के पट्टा अवधि वाले रियल स्टेट संपत्तियों के अल्पकालिक पट्टे हेतु संपत्ति के उचित उपयोग और पट्टा देयताओं के बारे में न बताने का विकल्प चुना है। कंपनी ने इन पट्टों से संबंधित पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के लिए सीधी–रेखा आधार पर किए गए खर्च के रूप में मान्यता दी है।

एक पट्टे को उसके शुरु होने की तिथि पर वित्त पट्टा या संचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसा पट्टा जो कंपनी के स्वामित्व के अनुषंगी सभी जोखिमों एवं पुरस्कारों का पर्याप्त हस्तांतरण करता है, वित्त पट्टा कलता है। वित्त पट्टे का पूंजीकरण, आरंभ होने की तिथि पर पट्टे की शुरुआत पर, पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य या यदि कम हो, न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। पट्टा भुगतान को वित्त शुल्कों एवं पट्टा देयता में कमी में बांट दिया जाता है ताकि शेष देयता पर स्थिर ब्याज दर निर्धारित किया जा सके। वित्त शुल्कों को लाभ और हानि कथन में वित्त खर्च के रूप में लिखा जाता है, जब तक वे अर्हक संपत्तियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदानकारी न हों, ऐसे मामले में इनका पूंजीकरण उधार लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार किया जाता है। आकस्मिक किराया (रेंटल्स) खर्च माने जाते हैं और जिस अवधि में किए जाते हैं उसी अवधि में लिखे जाते हैं।

पट्टा पर ली गई संपत्ति का संपत्ति के उपयोगी जीवन के अनुसार मूल्यह्रास होता है। हालांकि, यदि पट्टा अवधि के समाप्त होने पर यदि कंपनी द्वारा स्वामित्व पाए जाने की कोई उचित निश्चितता न हो तो संपत्ति का मूल्यह्रास संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन और पट्टा अवधि के निकट किया जाता है।

संचालन पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि पर सीधीदृ रेखा आधार पर लाभ और हानि कथन में खर्च के रूप में लिखा जाता है।

इस बात का निर्धारण करना कि क्या कोई व्यवस्था एक पट्टा (या निहित) है, पट्टे के शुरुआत में संपत्ति की व्यवस्था पर आधारित होता है। व्यवस्था एक पट्टा या निहित, तब होता है जब व्यवस्था की पूर्ति विशेष संपत्ति या संपत्तियों के उपयोग पर निर्भर हो और व्यवस्था में संपत्ति या संपत्तियों के उपयोग का अधिकार दिया गया हो, तब भी जब व्यवस्था में अधिकार स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न हों।

पट्टा युक्त व्यवस्था का मूल्यांकन संक्रमण तिथि पर वित्त या संचालन पट्टा के रूप में वर्गीकरण हेतु उस तिथि पर भारतीय लेखांकन मानक आधार के लिए वर्तमान तथ्यों एवं परिस्थितियों पर, भारतीय लेखांकन मानक (Ind–AS) 101 पहली–बार भारतीय लेखांकन मानक को अपनाना के अनुसार संक्रमण तिथि यानि 1 अप्रैल 2016 को किया गया है।

xiv. आय कर

वर्तमान आय कर

वर्तमान आय कर संपत्ति एवं देनदारियों की गणना कराधान प्राधिकरणों से मिलने वाली या उन्हें देय अपेक्षित धनराशि पर की जाती है। इस धनराशि की गणना के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो भारत में रिपोर्ट की जाने वाली तिथि पर अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित थे।

लाभ और हानि के बाहर रखे गए वर्तमान आयकर संबंधी मद को लाभ या हानि के बाहर रखा गया है (या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में)। प्रबंधन समय–समय पर स्थिति के अनुसार टैक्स रिटर्न की स्थिति का आकलन करती है जिसमें लागू कर नियम व्याख्या के अधीन होते हैं और जहां उचित हो वहां प्रावधान बनाए जाते हैं।

वर्तमान आय कर संपत्ति एवं देयता को समायोजित किया जाता है यदि इनके समायोजन हेतु कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हों।

आस्थगित कर

आस्थगित कर की गणना रिपोर्ट की जाने वाली तिथि पर संपत्तियों एवं देयताओं के कर आधार और वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों हेतु रख–रखाव राशि के अस्थायी अंतर पर देयता विधि का उपयोग कर किया जाता है।

आस्थगित कर सभी करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्य होता है।

आस्थगित कर संपत्तियां कटौती योग्य सभी अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिट को आगे बढ़ाने एवं किसी भी अप्रयुक्त कर हानि के लिए मान्य होती हैं। आस्थगित कर संपत्तियां उस सीमा तक मान्य हैं जिस सीमा तक कटौती योग्य अस्थायी अंतरों पर कर

योग्य लाभ मिले और अप्रयुक्त कर क्रेडिट को आगे बढ़ाने एवं किसी भी अप्रयुक्त कर हानि का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों की रख–रखाव राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और उसे उस सीमा तक कम किया जाता है जहां तक आस्थगित कर संपत्ति के पूर्ण या अंश के उपयोग किए जाने की अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना न हो। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर गैर–मान्यताप्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों की पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उसे उस सीमा तक मान्यता प्रदान की जाती है जिस सीमा तक भविष्य में कर योग्य लाभ के आस्थगित कर संपत्ति वसूली की अनुमति देने की संभावना हो।

ऐसी स्थितियों में जिनमें कंपनी, भारत में अधिनियमित, आय कर अधिनियम, 1961 के तहत कर–मुक्त अवधि की हकदार हो, अस्थायी अंतरों के संदर्भ में कर–मुक्ति अवधि के दौरान रद्द (रिवर्स) किया गया कोई भी आस्थगित कर (संपत्ति या देयता) मान्य नहीं होगा।

अस्थायी अंतरों के संदर्भ में आस्थगित कर जिन्हें कर–मुक्त अवधि के बाद रिवर्स कर दिया गया था उसे जिस वर्ष वह अस्थायी अंतर पैदा हुआ उसी वर्ष का माना जाएगा।

हालांकि, कंपनी आस्थगित कर संपत्तियों को उसी सीमा तक मान्यता देगी जिस सीमा तक यह निश्चित होगा कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ ऐसी आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली की जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों की गणना उन कर दरों पर की जाती है जिनके संपत्ति से वसूली या देनदारी चुकाने के वर्ष में लागू होने की संभावना हो, यह रिपोर्ट की जाने वाली तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित हैं।

लाभ या हानि के बाहर स्वीकृत वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि के बाहर (ओसीआई या इक्विटी में) स्वीकृत किया गया है। आस्थगित कर वस्तुओं को ओसीआई (OCI) या सीधे इक्विटी में अंतर्निहित लेनदेन के सहसंबंध में स्वीकृत है।

आस्थगित कर संपत्तियों और आस्थगित कर देयताओं का समायोजन किया जा सकता है यदि वर्तमान कर देयताओं के खिलाफ वर्तमान कर संपत्तियों के समायोजन के लिए कानून प्रवर्तनीय अधिकार हों और आस्थगित कर उसी करयोग्य निकाय और उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित हो।

न्यूनतम वैकल्पिक कर

न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी/MAT) का भुगतान कर कानूनों के अनुसार किया जाता है, जो भविष्य में होने वाली आय पर कर देयता के समायोजन के रूप में आर्थिक लाभ देता है, को संपत्ति माना जाता है यदि इस बात के पूर्ण प्रमाण हों के कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। तदनुसार, एमएटी को बैलेंस शीट में संपत्ति बताया जाता है जब इस बात की संभावना हो कि इससे जुड़े भावी आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे।

xv. गैर–वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इस बात का आकलन करती है कि क्या संपत्ति के खराब होने का कोई संकेत है। यदि ऐसा संकेत मिलता है या जब संपत्ति के लिए वार्षिक नुकसान जांच कराना आवश्यक हो, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। संपत्ति की वसूली योग्य राशि संपत्ति या नकद–पैदा करने वाली इकाई (सीजीयू) के उचित मूल्य में से निपटान खर्च और उसकी उपयोग मूल्य को कम करने से मिलने वाले मूल्य से अधिक है। किसी व्यक्तिगत संपत्ति के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता जब तक संपत्ति ऐसा नकदी प्रवाह नहीं देती जो अन्य संपत्तियों या संपत्तियों के समूह से बहुत हद तक स्वतंत्र हो। जब किसी संपत्ति की रख–रखाव राशि या सीजीयू उसके वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाए, तब उस संपत्ति को खराब संपत्ति माना जाता है और उसे वसूली योग्य राशि के लिए अवलेखित किया गया है।

उपयोग में मूल्य के आकलन में, पूर्व–कर छूट दर का प्रयोग कर अनुमानित भावी नकद प्रवाहों को उनके वर्तमान मान से घटा लिया गया है जो मुद्रा के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन एवं संपत्ति के लिए विशेष जोखिम को दर्शाता है। निपटान खर्च निकाल कर उचित मूल्य निकालने में हाल में किए गए बाजार लेन–देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया जा सकता हो तो उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्य निर्धारण गुणकों, सार्वजनिक कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए उद्धृत शेयर मूल्यों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा पुष्टि कर किया जाता है।

साख को छोड़ कर संपत्ति के लिए, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह निर्धारित करने के लिए कि पहले हुई हानि के संकेत अब समाप्त हो चुके हैं या कम हुए है, मूल्यांकन किया जाता है। यदि ऐसे संकेत मिलते हों तो कंपनी संपत्ति या सीजीयू से वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। पहले से स्वीकृत क्षति हानि को केवल तभी रद्द किया जाएगा जब पिछले क्षति हानि का पता लगने के बाद से संपत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मान्यताओं में बदलाव हुआ हो। चूंकि रद्द किए जाने को सीमित किया गया है ताकि संपत्ति के रख–रखाव की लागत उसके वसूलीयोग्य राशि से अधिक न हो और न ही निर्धारित की गई रख–रखाव राशि, मूल्यह्रास से अधिक हो, पिछले वर्षों में संपत्ति को कोई नुकसान न हुआ हो। इस प्रकार के रद्दीकरण को लाभ या हानि कथन में तब लिखा जाएगा जब संपत्ति पुनर्मूल्यांकित राशि पर हो, इस स्थिति में, रद्दीकरण को पुनर्मूल्यांकन में वृद्धि के रूप में माना जाता है।

xvi. डूबंत एवं संदिग्ध ऋण के लिए वित्तीय संपत्तियों/प्रावधान में कमी

बैलेंस शीट की तिथि पर तीन वर्षों से अधिक से बकाया व्यापार प्राप्यों पर 5% की दर का प्रावधान है।

xvii. प्रति इक्विटी शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों के देय शुद्ध मुनाफे में अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर भारित औसत संख्या से भाग दे कर की जाती है। डायलूटेड अर्निंग्स प्रति इक्विटी शेयर की गणना, कंपनी के इक्विटी धारकों के देय शुद्ध मुनाफे में प्रति इक्विटी शेयर होने वाली मूल आय निकालने के लिए विचार किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित संख्या द्वारा भाग दे कर और सभी डायलूटिव पोटेंशल इक्विटी शेयरों को बदलने के आधार पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित संख्या से भाग दे कर की जाती है। डायलूटिव पोटेंशल इक्विटी शेयर प्राप्य लाभ के लिए समायोजित किए जाते हैं, में, उचित मूल्य पर जारी किए गए वास्तविक इक्विटी शेयर होते हें (यानि शेष इक्विटी शेयरों का औसत बाजार मूल्य)। डायलूटिव पोटेंशल इक्विटी शेयरों को अवधि की शुरुआत में परिवर्तित माना जाता है जब तक बाद की तिथि में न जारी किया जाए। डायलूटिव पोटेंशल इक्विटी शेयर प्रस्तुत प्रत्येक अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से निर्धारित किए जाते हैं।

इक्विटी शेयरों और संभावित डायलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या को किसी भी शेयर विभाजन या बोनस शेयर जारी किए जाने हेतु सभी प्रस्तुत अवधियों के लिए पूर्वव्यापी रूप से समायोजित किया जाता है, इसमें निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय कथनों के अनुमोदन से पूर्व प्रभावी परिवर्तन भी शामिल हैं।'

xviii. प्रावधान और आकस्मिकता

एक प्रावधान को तब स्वीकृत किया जाता है जब किसी उद्यम पर पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व हो और इस बात की संभावना हो कि दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। दीर्घकालिक प्रावधानों पर उचित जोखिम समायोजित छूट दर पर उनके वर्तमान मूल्यों के लिए छूट दी जा सकती है। अल्पकालिक प्रावधानों पर छूट देने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की गई है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजन किया गया है। रचनात्मक दायित्वों के संदर्भ में भी प्रावधान बनाए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, रिपोर्टिंग अवधि में निगम पर कोई रचनात्मक दायित्व नहीं थे।

आकस्मिक दायित्वों का प्रकटीकरण, पिछली घटनाओं के कारण पैदा होने वाले संभावित दायित्वों के संबंध में और जिसके होने की पुष्टि भविष्य की होने या न होने वाली घटनाओं, जिस पर कंपनी का पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा, द्वारा ही की जाएगी।

xix. नकद और नकद– समकक्ष

बैलेंस शीट में नकद और अल्प–कालिक जमा में ष्बैंक में रखा नकद और रोकड़ शेष और तीन माह या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अल्पदृकालिक जमा होते हैं जो मूल्य में मामूली बदलाव के जोखिमों के अधीन है।

नकद और नकद समकक्ष में बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है जो कंपनी के नकद प्रबंधन का अभिन्न अंग है।

2.1 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और धारणाएं

कंपनी के वित्तीय कथनों को तैयार करते समय प्रबंधन को राजस्व, खर्च, संपत्तियों एवं देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करने वाले निर्णय, अनुमान एवं धारणाएं और वित्तीय कथनों की तिथि पर खुलासे और आकस्मिक देनदारियों के खुलासा करने की

आवश्यकता होती है। अनुमानों और धारणाओं का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और ये प्रबंधन के अनुभव एवं अन्य कारकों पर आधारित होते हैं। इसमें परिस्थितियों के अधीन भविष्य की उचित घटनाओं की अपेक्षाएं भी शामिल होता है। इन धारणाओं एवं अनुमानों से संबंधित अनिश्चितता से ऐसे परिणाम सामने आ सकते हैं जिन्हें भविष्य की अवधि में प्रभावित होने वाली परिसंपत्तियों या देनदारियों की रख–रखाव राशि के लिए वस्तुगत समायोजन करने की आवश्यकता हो।

विशेष रूप से, कंपनी ने निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें महत्वपूर्ण निर्णय, अनुमान और धारणाओं की आवश्यकता है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र पर और विभिन्न लेखांकन नीतियों को ये किस प्रकार प्रभावित करेंगी, के बारे में अधिक जानकारी नीचे दी जा रही है और वित्तीय कथनों के प्रासंगिक टिप्पणियों में भी जानकारी दी गई है। अनुमानों में परिवर्तन संभावित रूप से किया जाता है।

निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय कथनों में दी गई धनराशि पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है:

आकस्मिक खर्च

कंपनी के खिलाफ दावों के संबंध में सामान्य कारोबार से आकस्मिक खर्च पैदा हो सकते हैं, इसमें कानूनी, अनुबंधात्मक, भूमि उपयोग एवं अन्य दावे शामिल हैं। अपनी प्रकृति से, आकस्मिक खर्चों का समाधान केवल तभी किया जाएगा जब एक या एक से अधिक भावी अनिश्चित घटनाएं हों या न हो पाएं। आकस्मिक खर्च की संभावना और संभावित मात्रा का आकलन में स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रयोग किया जाना और भावी घटनाओं के परिणाम के संबंध में अनुमानों का प्रयोग शामिल है।

अनुमान और धारणाएं

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य की अनिश्चितता और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में महत्वपूर्ण धारणाएं जिनके पास आगामी वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की रख–रखाव राशि के लिए वस्तुगत समायोजन के महत्वपूर्ण जोखिम के बारे में नीचे बताया जा रहा है। कंपनी ने समेकित वित्तीय कथन तैयार करते समय उपलब्ध मानदंडों पर अपने अनुमान और धारणा बनाए हैं। भविष्य में होने वाले विकास के बारे में वर्तमान परिस्थितियां एवं अनुमान, हालांकि, बाजार में होने वाले परिवर्तन या कंपनी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। ऐसे बदलावों को उनके होने पर अनुमान में दिखाए गए हैं।

(क) गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों में हानि

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इस बात का आकलन करती है कि क्या संपत्ति में किसी प्रकार के नुकसान का संकेत है। यदि किसी प्रकार का संकेत हो, या जब संपत्ति के लिए वार्षिक नुकसान जांच की आवश्यकता हो तो, कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य रासि का अनुमान लगाती है। संपत्ति की वसूली योग्य राशि संपत्ति या सीजीयू के उचित मूल्य में से निपटान मूल्य को घटाने के बाद मिली राशि और उसके उपयोग मूल्य से अधिक है। यह तब तक व्यक्तिगत संपत्ति हेतु निर्धारित किया जाता है जब तक संपत्ति ऐसा नकद प्रवाह न दे जो अन्य संपत्तियों या संपत्तियों के समूह से व्यापक रूप से स्वतंत्र हो। जहां किसी संपत्ति या सीजीयू की रख–रखाव राशि अपनी वसूली योग्य राशि से अधिक हो वहां संपत्ति को नुकसानदेह माना जाता है और उसे उसकी वसूली योग्य राशि तक अवलेखित किया जाता है।

उपयोग में मूल्य का आकलन करते समय, पूर्व–कर छूट दर का प्रयोग कर अनुमानित भावी नकद प्रवाह को उनके वर्तमान मान पर छूट दी जाती है जो मुद्रा के समय मान के वर्तमान बाजार मूल्यांकन और संपत्ति के लिए विशेष जोखिम को दर्शाता है। उचित मूल्य में से निपटान लागत को कम करते समय वर्तमान बाजार लेन–देन का ध्यान रखा जाता है। यदि ऐसा कोई लेन–देन नहीं पाया जाए तो उचित मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। ये गणनाएं मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली सहायक कंपनियों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा समर्थित होती हैं।

(ख) वित्तीय साधनों का उचित मूल्य लगाना

जब बैलेंस शीट में दर्ज वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य सक्रिए बाजार में उद्धृत मूल्य के आधार पर न मापा जा सके तो डीसीएफ (DCF) मॉडल समेत मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग कर उनका उचित मूल्य निकाला जाएगा। इन मॉडलों के लिए इनपुट जहां संभव हो वहां प्रत्यक्ष बाजारों से लिए जाते हैं लेकिन जहां ऐसा करना संभव न हो, वहां उचित मूल्य निकालने के

लिए निर्णय करने की आवश्यकता होती है। ऐसे निर्णय में तरलता जोखिम, ऋण जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार किया जाना शामिल है। इन कारकों के बारे में अनुमानों में बदलाव वित्तीय साधनों में रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

(ग) वित्तीय परिसंपत्तियों का नुकसान

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए नुकासन प्रावधान दोष के जोखिम एवं अपेक्षित हानि दरों के बारे में अनुमानों पर आधारित है। कंपनी इन धारणाओं को बनाने में निर्णय का उपयोग करती है और कंपनी के पिछले इतिहास, वर्तमान बाजार स्थितियों के साथ–साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के समाप्त होने पर आगामी अनुमानों के आधार पर हानि की गणना हेतु इनपुट का चुनाव करती है।

आस्थगित कर संपत्तियों की स्वीकृति–आस्थगित कर संपत्तियों को जिस सीमा तक स्वीकृत किया जा सकता है, वह भावी करयोग्य आय, जिसके खिलाफ आस्थगित कर संपत्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, की संभाव्यता के आकलन पर आधारित है।

2.2 हाल में किए गए लेखांकन घोषणा भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 116:

भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 117 जारी करना–बीमा अनुबंध

भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 117 भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 104 बीमा अनुबंधों के स्थान पर लागू किया गया है। यह मानक के दायरे में बीमा अनुबंधों की मान्यता, पैमाइश, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के सिद्धांत स्थापित करता है। भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 117 मॉडल के तहत बीमा अनुबंध देयताएं की गणना जोखिम के लिए प्रावधान के साथ भावी बीमा नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर की जाएगी। इस मानक को लागू करने से कंपनी के वित्तीय कथनों पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव के पड़ने की उम्मीद नहीं है।

वर्तमान मानकों में संशोधन

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित लेखांकन मानकों में संशोधन किए हैं:

1. भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 103 – व्यवसाय संयोजन
2. भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 1, वित्तीय कथनों की प्रस्तुति और भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS 8), लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और गलतियां
3. भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 40 – निवेश संपत्ति

कंपनी जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हुए नए संशोधनों के प्रभाव के मूल्यांकन की प्रक्रिया में है।

3 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	भवन	फर्नीचर और फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरण	कंप्यूटर	कुल
लागत						
01 अप्रैल 2018 तक	1,985.85	563.70	7.02	3,977.22	6,940.44	13,474.23
खरीद	-	1,028.01	-	339.72	77.83	1,445.56
निपटान	-	-	-	18.35	88.72	107.07
31 मार्च 2019 तक	**1,985.85**	**1,591.71**	**7.02**	**4,298.59**	**6,929.55**	**14,812.72**
खरीद	-	7.96	-	37.06	70.52	115.55
निपटान	-	-	-	0.46	4.92	5.37
31 मार्च 2020 तक	**1,985.85**	**1,599.67**	**7.02**	**4,335.20**	**6,995.16**	**14,922.90**
मूल्यह्रास						
01 अप्रैल 2018 तक	1,012.65	471.01	6.27	2,167.18	4,075.65	7,732.76
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	47.61	288.55	0.25	771.73	212.76	1,320.91
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए मूल्यह्रास (टिप्पणी सं. 57 देखें)		455.22				455.22
खराबी से हुई हानि	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
निपटान	**-**	**-**	**-**	**17.43**	**84.54**	**101.97**
31 मार्च 2019 तक	**1,060.26**	**1,214.79**	**6.52**	**2,921.47**	**4,203.88**	**9,406.92**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	45.28	97.33	0.17	545.78	139.78	828.34
खराबी से हुई हानि	-	-	-	-	-	-
निपटान	-	-	-	0.43	4.68	5.11
31 मार्च 2020 तक	1,105.55	1,312.12	6.68	3,466.82	4,338.98	10,230.15
शुद्ध बुक वैल्यू:						
31 मार्च 2020 को	880.31	287.55	0.33	868.38	2,656.18	4,692.75
31 मार्च 2019 को	925.59	376.92	0.50	1,377.12	2,725.67	5,405.80

4 – संपत्तियों के प्रयोग का अधिकार

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	संपत्ति के प्रयोग का अधिकार	कुल
1 अप्रैल 2019 तक	21,285.61	21,285.61
खरीद		-
निपटान	-	-
31 मार्च 2020 को	21,285.61	21,285.61
ऋणशोधन		
वर्ष के लिए ऋणशोधन शुल्क	2,360.92	2,360.92
31 मार्च 2020 को	**2,360.92**	**2,360.92**
शुद्ध बुक वैल्यू		
31 मार्च 2020 को	18,924.70	18,924.70

5. अन्य अमूर्त संपत्तियां

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	सॉफ्टवेयर	कुल
लागत		
1 अप्रैल 2018 को	7,738.80	7,738.80
खरीद	7,136.91	7,136.91
निपटान		-
31 मार्च 2019 को	**14,875.70**	**14,875.70**
खरीद	2,707.60	2,707.60
निपटान	**-**	**-**
31 मार्च 2020 को	**17,583.31**	**17,583.31**
ऋणशोधन		
1 अप्रैल 2018 को	4,045.12	4,045.12
वर्ष के लिए ऋणशोधन शुल्क	3,765.53	3,765.53
खराबी से हुई हानि	**-**	**-**
निपटान	-	-
31 मार्च 2019 को	**7,810.65**	**7,810.65**
वर्ष के लिए ऋणशोधन शुल्क	**5,415.88**	**5,415.88**
खराबी से हुई हानि	-	-
निपटान	-	-
31 मार्च 2020 को	**13,226.53**	**13,226.53**
शुद्ध बुक वैल्यू:		
31 मार्च 2020 को	**4,356.78**	**4,356.78**
31 मार्च 2019 को	**7,065.06**	**7,065.06**

टिप्पणी सं. 6 : ऋण

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	**स्थायी**	
	31 मार्च 2020 को	**31 मार्च 2019 को**
सुरक्षा जमा		
प्रतिभूति–रहित, अच्छा माना गया	107.08	701.43
कुल	**107.08**	**701.43**

ध्यान दें–स्थायी सुरक्षा जमा को एनआईएल के कर–पूर्व छूट रहित दर (पिछले वर्ष 10.85%) प्रति वर्ष का उपयोग कर उनके वर्तमान मूल्य में से कम कर लिया गया है।

टिप्पणी सं. 7– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	**स्थायी**	
	31 मार्च 2020 को	**31 मार्च 2019 को**
सावधि जमा		
12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले बैंक जमा*	291.60	291.60
सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज		
उपार्जित ब्याज	202.99	166.90
कुल	**494.59**	**458.50**

*बैंक गारंटी के लिए गिरवी रखे गए सावधि जमा

8. आस्थगित कर

वर्ष के लिए आय कर व्यय के प्रमुख घटक

क. आय एवं व्यय लेखा

₹ लाखो में

	ब्यौरेवार विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
(i)	**आय या हानि खंड**		
	वर्तमान आय कर शुल्क	4,820.17	752.37
	पिछले वर्ष के वर्तमान आय कर में समायोजन	195.63	1,646.55
	आस्थगित करः		
	उत्पत्ति से संबंधित और अस्थायी अंतर में परिवर्तन	(792.63)	(3,662.45)
	आय एवं व्यय लेखा में रिपोर्ट की गई आय कर व्यय	**4,223.17**	**(1,263.53)**

(ii)	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई) खंड**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में पहचान किए गए मदों से संबंधित आस्थगित कर	-	-
	कुल	**4,223.17**	**(1,263.53)**

ख. 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए कर व्यय और लेखांकन लाभ का समन्वय गुना भारत की घरेलू कर दरः

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
जारी संचालनों से कर पूर्व लेखांकन आय	13,299.37	(9,786.87)
बंद हो चुकी परियोजना से कर पूर्व आय	-	-
आय कर से पूर्व लेखांकन आय	**13,299.37**	**(9,786.87)**
भारत के संवैधानिक आय कर दर 39.944% (31 मार्च 2019रू 34.944%) पर	4,647.33	(3,419.93)
पिछले वर्षों के वर्तमान आय कर के संदर्भ में समायोजन	195.63	1,646.55
कर मुक्त सरकारी अनुदान		-
छूट प्राप्त आय		-
अन्य परिसंपत्तियां	(646.70)	-
कर उद्देश्यों के लिए नहीं काटे जाने योग्य व्यय	**26.90**	**509.85**
प्रभावी आय कर दर 31.75% (31 मार्च 2019: 12.91%) पर	4,223.17	(1,263.53)
आय एवं व्यय लेखा में रिपोर्ट की गई आय कर व्यय	4,223.17	(1,263.53)
बंद किए जा चुके कार्य के लिए आय कर	-	-
कुल	**4,223.17**	**(1,263.53)**

ग. आस्थगित करः

आस्थगित कर निम्नलिखित से संबंधित हैः **₹ लाखो में**

ब्यौरेवार विवरण	**बैलेंस शीट**		**आय एवं व्यय कथन**	
	31 मार्च 2020 को	**31 मार्च 2019 को**	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
कर उद्देश्यों के लिए त्वरित मूल्यह्रास	455.88	(20.10)	(475.98)	(304.80)
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	3,387.86	3,455.43	67.56	(3,351.11)
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान		-	-	
संपत्तियों के प्रयोग का अधिकार शुद्ध पट्टा देयताएं	465.72	-	(465.72)	
सुरक्षा जमा (परिसंपत्तियां) का वर्तमान मूल्यांकन	-	81.51	81.51	(6.54)
आस्थगित कर व्यय/(आय)			**(792.63)**	**(3,662.45)**
शुद्ध आस्थगित कर संपतियां/(देनदारियां)	**4,309.46**	**3,516.83**		

बैलेंस शीट में इस प्रकार दिखाया गयाः

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	4,309.46	3,536.93
आस्थगति कर देयताएं		20.10
आस्थहित कर परिसंपत्तियां/(देयदाएं), शुद्ध	**4,309.46**	**3,516.83**

टिप्पणी सं. 9 – अन्य स्थायी संपत्तियां

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
असुरक्षित, जब तक अन्यथा नहीं बताया जाए अच्छा माना गया		
आस्थगित पट्टा व्यय	-	640.41
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	1,164.64	1,037.07
कुल	**1,164.64**	**1,677.48**

टिप्पणी सं. 10 – व्यापार प्रदेय

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	**31 मार्च 2020 को**	**31 मार्च 2019 को**
असुरक्षित, अच्छा माना गया	18,987.52	17,398.08
असुरक्षित, संदिग्ध माना गया*	8,435.35	9,889.60
कमः संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(8,435.35)	(9,889.60)
कुल	**18,987.52**	**17,398.08**

* वित्त वर्ष 2018–19 के 9,889.60 लाख रु. मूल्य के संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान परिवर्तित कर दिया गया था। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान बैलेंस शीट तिथि, टिप्पणी सं. 58 देखें, पर 3 वर्ष से अधिक से बकाया संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर की बजाए 8,435.35 लाख रु. के प्रावधान किए गए थे।

11 – नकद और नकद समकक्ष

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	चालू परिसंपत्तियां	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
बैंक में शेष		
बचत खाता	32,287.27	28,395.00
अन्य		
अग्रदाय खाता	0.50	0.50
सावधि जमा (मूल परिपक्वता अवधि 3 माह से कम)*	42,320.65	34,282.92
कुल	**74,608.42**	**62,678.42**

***स्वीप जमा खातों के बैंक शेष समेत**

12 – नकद एवं नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	चालू परिसंपत्तियां	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
सावधि जमा	73,239.18	83,073.38
बैंक गारंटी के लिए गिरवी रखी सावधि जमा	2,898.29	4,276.79
कुल	**76,137.47**	**87,350.17**

टिप्पणी सं. 13– अन्य वित्तीय संपत्तियां

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	चालू परिसंपत्तियां	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज		
आर्जित ब्याज	4,060.72	4,479.16
कुल	**4,060.72**	**4,479.16**

14 – वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आय कर भुगतान (शुद्ध प्रावधान 7877.62 लाख रु. (पिछले वर्ष 10,454.36)	15,951.21	15,680.86
कम:		
आय कर प्रावधान (रिफंड प्राप्त नहीं हुआ)	(1,802.91)	(1,646.55)
(टिप्पणी सं. 64 देखें)		
कुल	**14,148.29**	**14,034.31**

15– अन्य चालू परिसंपत्तियां

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य		
कर्मचारियों को अग्रिम		
असुरक्षित, अच्छा माना गया	33.12	36.11
कुल (क)	**33.12**	**36.11**
अन्य अग्रिम		
असुरक्षित, अच्छा माना गया		
अग्रिम पर जीएसटी और अन्य	28,559.12	21,103.62
प्रीपेड व्यय	2.41	336.28
वसूली योग्य कर*	-	3.21
कुल (ख)	**28,561.53**	**21,443.11**
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	**2,182.13**	**5,217.21**
कम:		
आपूर्तिकर्ताओं के अग्रिम हेतु प्रावधान (समायोजित नहीं/समायोजित)	**1,260.88**	**1,712.20**
(टिप्पणी सं. 59 देखें)		
कुल (ग)	**921.25**	**3,505.01**
कुल योग (क+ख+ग)	**29,515.90**	**24,984.22**

***वसूली योग्य कर का ब्यौरा**

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वसूली योग्य बिक्री कर/डीवैट (1996–97 से 2013–14)	117.91	120.71
कार्य अनुबंध 2000–2001 पर टीडीएस	2.54	2.54
कमःदृ		
बिक्री करध्ध वैट के लिए प्रावधान (रिफंड नहीं किया गया)	**117.91**	**117.70**
डब्ल्यूसीटी पर टीडीएस के लिए प्रावधान (रिफंड नहीं किया गया)	**2.54**	**2.34**
(टिप्पणी सं. 64 देखें)		
कुल	**-**	**3.21**

16 – इक्विटी शेयर पूंजी

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अधिकृत		
200,000 (पिछले वर्ष 200,000) 100/– प्रति इक्विटी शेयर	200.00	200.00
जारी, सब्सक्राइब और पूर्णतया भुगतान किया		
200,000 (पिछले वर्ष 200,000) 100/– प्रति इक्विटी शेयर	200.00	200.00
कुल	**200.00**	**200.00**

क. शेयरधारकों पर सूचना (5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के विवरण समेत)

शेयरधारकों के नाम	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	धारित इक्विटी शेयरों की सं.	प्रतिशत (%)	धारित इक्विटी शेयरों की सं.	प्रतिशत (%)
डीजी, एनआईसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	1,99,995	99.9975	1,99,995	99.9975
श्री श्याम बिहारी सिंह	1	0.0005	1	0.0005
श्री नागेश शास्त्री	1	0.0005	1	0.0005
श्री दीपक चंद्र मिश्रा	1	0.0005	1	0.0005
श्री विष्णु चंद्र	1	0.0005	1	0.0005
श्री आर एस मणि	1	0.0005	1	0.0005
कुल	**200,000.00**	**100.00**	**200,000.00**	**100.00**

*भारत सरकार की तरफ से धारित किया है।

(ख) रिपोर्ट किए जाने वाले वर्ष के आरंभ और समाप्त होने पर शेयरों के बकाया भुगतान का सामंजस्य

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	संख्या	मात्रा	संख्या	मात्रा
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00
शामिल करें–वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर / (वापस खरीदे गए)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00

ग. इक्विटी शेयरों से संबंधित अधिकार, पसंद और प्रतिबंध

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का एक वर्ग है जिसमें प्रति शेयर का मूल्य 100 / – रु. है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक एक वोट प्रति शेयर का हकदार है।

घ. 31 मार्च 2020 से तुरंत पहले के पांच वर्ष की अवधि में, न तो एक भी बोनस शेयर जारी किया गया न ही नकद के अलावा किसी अन्य चीज के लिए एक भी शेयर दिया गया। इसके अलावा, कथित अवधि के दौरान एक भी शेयर को वापस नहीं खरीदा गया।

17 – अन्य इक्विटी

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आय एवं व्यय खाते के अनुसार अधिशेष		
प्रारंभिक शेष	49,937.82	63,682.39
पूर्व अवधि त्रुटि का प्रभाव		
एनकेएन के अलावा जीआईए प्रोजेक्ट से संबंधित ब्याज (टिप्पणी सं. 54 देखें)	-	(3,351.27)
जीआईए प्रोजेक्ट एनकेएन से संबंधित ब्याज (टिप्पणी सं. 54 देखें)	-	(1,414.74)
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए मूल्यह्रास (टिप्पणी सं. 57 देखें)	-	(455.22)
पुनर्कथित प्रारंभिक शेष	**49,937.82**	**58,461.16**
शामिल करें– वर्ष के लिए अधिशेष / (कमी)	9,076.20	(8,523.35)
कुल	**59,014.02**	**49,937.82**

18– अन्य वित्तीय देयताएं

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	स्थायी	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
सुरक्षा जमा देय	39.46	40.46
पट्टा देयताएं	16,629.96	-
कुल	**16,669.42**	**40.46**

19– व्यापार देय

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
व्यापार देय		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया*	817.14	466.66
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्यों का कुल बकाया	23,591.47	34,465.51
कुल	**24,408.60**	**34,932.17**

*टिप्पणी सं. 46 देखें

20 अन्य वित्तीय देयताएं

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	चालू	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
बयाना जमा देय	1,193.26	931.11
कर्मचारी लाभ देय	207.87	274.45
व्यय देय	0.00	19.00
पट्टा देयताएं	2,161.34	-
प्रतिधारण धन (प्रदर्शन बैंक गारंटी)*	242.38	242.38
कुल	**3,804.85**	**1,466.94**

*प्रदर्शन बैंक गारंटी के खिलाफ विक्रेता से प्रतिधारण

21 – अन्य वर्तमान देयताएं

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अन्य		
वैधानिक बकाया और कर	8,587.10	1,450.60
उपभोक्ताओं से प्राप्त अग्रिम	1,24,647.66	1,11,852.71
उपभोक्ताओं से प्राप्त अनुदान सहायता	14,102.14	29,518.24
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	-	276.00
कुल	**1,47,336.90**	**1,43,097.54**

22 – प्रावधान

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	चालू	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
स्टांप ड्यूटी के लिए प्रावधान (टिप्पणी सं. 44 देखें)	74.52	74.52
कुल	**74.52**	**74.52**

23 संचालन से राजस्व

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ वर्ष
संचालनों से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री	18,908.56	19,433.70
सेवाओं की बिक्री	96,192.85	95,479.47
कुल (क)	**1,15,101.41**	**1,14,913.17**
अन्य संचालन राजस्व		
प्रशासनिक शुल्क	527.19	39.66
कुल (ख)	**527.19**	**39.66**
संचालनों से कुल राजस्व (क) (ख)	**1,15,628.59**	**1,14,952.83**

24– अन्य आय

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ वर्ष
ब्याज से आय	8,530.90	9,094.45
कमः–		
अनुदान परियोजनाओं (एनकेएन के अलावा) पर ब्याज	397.49	587.22
एनकेएन परियोजनाओं पर ब्याज (अनुदान सहायता)	27.87	77.45
सुरक्षा जमा पर छूट हटाना	-	51.96
अन्य गैर–संचालन आय	291.78	598.77
संदिग्ध ऋण (टिप्पणी सं. 58 देखें)	1,454.25	-
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (असमायोजित/समायोजित) (टिप्पणी सं. 59 देखें)	451.32	-
	10,302.89	**9,080.50**

25– बिक्री माल की खरीद

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ वर्ष
खरीदः–		
हार्डवेयर	16,476.12	17,145.55
सॉफ्टवेयर	1,326.09	1,188.97
जिला अवसंरचना का संवर्धन	26.79	5,804.99
कुल	**17,829.00**	**24,139.51**

26– कर्मचारी लाभ व्यय

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ वर्ष
वेतन और भत्ते	824.43	1,057.11
कर्मचारी कल्याण	31.87	35.52
कुल	**856.31**	**1,092.63**

27 वित्तीय लागत

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ वर्ष
पट्टा देयताओं को समाप्त करने पर हुआ ब्याज व्यय	1,037.41	-
कुल	**1,037.41**	**-**

28– मूल्यह्रास और ऋणशोधन व्यय

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (टिप्पणी सं. 3 देखें)	828.34	1,320.91
संपत्ति उपयोग का अधिकार (टिप्पणी सं. 4 देखें)	2,360.92	-
अन्य अमूर्त संपत्तियां (टिप्पणी सं. 5 देखें)	5,415.88	3,765.53
कुल	**8,605.14**	**5,086.44**

29– अन्य व्यय

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क (टिप्पणी सं. 39 देखें)	8.06	7.22
बैंक शुल्क	12.00	4.29
बोर्ड की बैठक का व्यय	0.43	0.20
किताबें और पत्र–पत्रिकाएं	2.67	14.94
व्यापार संवर्धन	8.15	8.22
जीएसटी (खर्च वहन करना होगा)	18.95	28.42
सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला व्यय	41.28	133.99
उपभोग्य स्टोर	48.29	41.14
वाहन खर्च	5.85	7.71
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	40.00	176.00
डी.जी. सेट के लिए डीजल	1.17	2.29
संदिग्ध ऋण	-	9,588.17
बिजली और पानी शुल्क	706.78	561.75
किराया शुल्क	3.08	7.04
हाउस कीपिंग और साफ–सफाई शुल्क	377.24	327.70
आवास किराया शुल्क	4.40	4.37
कृषि कल्याण उपकर और स्वच्छ भारत उपकर (खर्च वहन करना होगा)	-	1.28
सदस्यता एवं सब्सक्रिप्शन शुल्क	1.03	1.43
अन्य खर्च	9.70	8.83
कार्यालय खर्च	2,569.28	1,804.48
कार्यालय किराया	30.21	2,186.94
मुद्रण एवं स्टेशनरी	5.71	6.98
पेशेवर एवं परामर्श शुल्क	234.33	221.08
किराया दर एवं कर	9.94	9.94
मरम्मत एवं रख–रखाव	363.73	597.97
सेवा कर (खर्च वहन करना होगा)	-	30.49
टैक्सी किराया शुल्क	308.27	273.37
टेलिफोन खर्च	38.70	42.72
यात्रा खर्च	326.46	315.92
वाहन–पेट्रोल	1.59	1.69
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (गैर समायोजित/समायोजित)	-	1,712.20
बिक्री कर/वैट प्रावधान	0.21	117.70
डब्ल्यूसीटी पर टीडीएस प्रावधान	0.20	2.34
कुल	**5,177.70**	**18,248.79**

बिजली एवं पानी शुल्क और हाउसकीपिंग एवं साफ–सफाई शुल्कों के मद में दिए गए आंकड़े शुद्ध प्रतिपूर्ति के बाद के हैं।

30– प्रति शेयर आय

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ वर्ष
प्रति शेयर आय		
इक्विटी शेयरधारकों के लिए अधिशेष	9,076.20	(8,523.35)
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	2,00,000	2,00,000
प्रति शेयर मूल आय (रु. में)	**4,538.10**	**(4,261.67)**
प्रति शेयर डायलूटेड आय (रु. में)	**4,538.10**	**(4,261.67)**
प्रति शेयर अंकित मूल्य	100.00	100.00

31–उचित मूल्य निकालना

(i) श्रेणीवार वित्तीय साधन

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
		एफवीटीपीएल	ऋणशोधन लागत	एफवीटीपीएल	ऋणशोधन लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां					
व्यापार प्राप्य	10	-	18,987.52	-	17,398.08
नकद एवं नकद समकक्ष	11	-	74,608.42	-	62,678.42
नकद एवं नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष	12	-	76,137.47	-	87,350.17
उपार्जित ब्याज (चालू)	13	-	4,060.72	-	4,479.16
सुरक्षा जमा	6	-	107.08	-	701.43
सावधि जमा	7	-	291.60	-	291.60
उपार्जित ब्याज (स्थायी)	7	-	202.99	-	166.90
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**-**	**1,74,395.80**	**-**	**1,73,065.76**
वित्तीय देयताएं					
व्यापार देय	19	-	24,408.60	-	34,932.17
अन्य वित्तीय देयताएं (चालू)	18	-	3,804.85	-	1,466.94
अन्य वित्तीय देयताएं (स्थायी)	20	-	16,669.42	-	40.46
कुल वित्तीय देयताएं		**-**	**44,882.88**	**-**	**36,439.56**

(ii) उचित मूल्य पदानुक्रम

सभी वित्तीय साधन जिनके उचित मूल्य की पहचान की जाती है या प्रकटीकरण किया जाता है, इस प्रकार वर्गीकृत किए जाते हैं–

स्तर 1: एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिए बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) मूल्य

स्तर 2: मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचारणीय हैं।

स्तर 3: मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, वह विचारणीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं है।

वर्ष के दौरान स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के बीच कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है।

नकद एवं नकद समकक्षों, व्यापार प्राप्यों, अन्य प्राप्यों, अल्प–कालिक ऋण, व्यापार देय एवं अन्य चालू वित्तीय देयता के लिए प्रबंधन के आकलन के अनुसार इनके उचित मूल्य इनके रख–रखाव लागत के लगभग बराबर है जो बहुत हद तक इन साधनों के अल्प–कालिक परिक्वता के कारण है।

कंपनी के दीर्घ–कालिक ब्याज–मुक्त सुरक्षा जमा का उचित मूल्य का निर्धारण छूट नकद प्रवाह (डीसीएफ) विधि को लागू कर किया गया है, इसमें छूट दर का प्रयोग किया जाता है जो रिपोर्ट किए जाने की अवधि के समाप्त होने पर बाजार ऋण दर को प्रतिबिंबित करता है। प्रतिपक्ष के ऋण जोखिम समेत अप्रमाणित आदानों के समावेश के कारण इन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्य वर्ग में रखा जाता है।

32. वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियां

कंपनी के प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार देय, सुरक्षा जमा, बयाना धन जमा और कर्मचारी देयताएं आती हैं। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार प्राप्य, सुरक्षा जमा, सावधि जमा, इसके संचालन से सीधे मिलने वाले नकद एवं बैंक शेष शामिल हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के अधीन है। कंपनी प्रबंधन इन जोखिमो का प्रबंध करती है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को निदेशक मंडल का समर्थन प्राप्त होता है जो वित्तीय जोखिमों और कंपनी के लिए उचित वित्तीय जोखिम प्रशासन रूपरेखा पर परामर्श देते हैं। मंडल कंपनी के प्रबंधन को आश्वस्त करता है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उचित नीतियों एवं प्रक्रियाओं द्वारा संचालित हैं और कंपनी की नीतियों एवं जोखिम उद्देश्यों के अनुसार वित्तीय जोखिमों को पहचाना, उन्हें मापा और उनका प्रबंध किया जाता है। प्रबंधन नीचे संक्षेप में प्रस्तुत इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियों की समीक्षा करता है और अपनी सहमति देता है।

I. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम एक जोखिम है जो बताता है कि एक वित्तीय साधन का भविष्य के नकद प्रवाह का उचित मूल्य में बाजार मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम होते हैं– ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम एवं अन्य मूल्य जोखिम। वित्तीय साधन सावधि जमाओं समेत बाजार जोखिम द्वारा प्रभावित होते हैं।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें एक वित्तीय साधन का उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव होगा। बाजार ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तन के कारण कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से कंपनी द्वारा बैंकों में किए गए सावधि जमाओं से संबंधित है। कंपनी की सावधि जमा निश्चित दर पर की जाती है। इसलिए भारतीय लेखांक मानक (Ind AS) 107 में परिभाषित ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं है क्योंकि बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन होने के कारण न तो रख–रखाव राशि न ही भावी नकद प्रवाह में किसी प्रकार का बदलाव होगा।

ख. विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जिसमें विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण भावी नकद प्रवाह के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव होता है। मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण विदेशी मुद्रा जोखिम संवेदनशीलता के कारण कंपनी का

कर पूर्व लाभ प्रभावित होता है। कंपनी को विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा नहीं क्योंकि इसके पास किसी प्रकार की कोई भी विदेशी मुद्रा मौद्रिक परिसंपत्ति या देयता नहीं है।

II. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें प्रतिपक्ष कंपनी के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ रहता है। कंपनी का ऋण जोखिम मुख्य रूप से नकद एवं नकद समकक्षों, व्यापार प्राप्य एवं ऋणशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित है। कंपनी लगातार उपभोक्ताओं एवं अन्य प्रतिपक्षों के दोषों पर नजर बनाए रखती है और इस जानकारी को अपने ऋण जोखिम उपायों में शामिल करती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि प्रावधान करती हैः

ऋण जोखिम	वर्गीकरण का आधार	अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान
ऋण जोखिम कम	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक जमा एवं अन्य बैंक शेष	12 माह के ऋण हानि की उम्मीद
ऋण जोखिम मध्यम	व्यापार प्राप्य, ऋण और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	आजीवन अपेक्षित ऋण हानि या 12 माह के ऋण हानि की उम्मीद

कंपनी जिस व्यापारिक माहौल में काम कर रही, उसके आधार पर, एक वित्तीय परिसंपत्ति पर चूक पर तब विचार किया जाता है जब प्रतिपक्ष पूरा करने में विफल रहता है

₹ लाखो में

ऋण जोखिम	ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
ऋण जोखिम कम	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक जमा एवं अन्य बैंक शेष	1,51,240.48	1,50,487.09
ऋण जोखिम मध्यम	व्यापार प्राप्य, ऋण और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	23,155.32	22,578.66

व्यापार प्राप्य का संकेंद्रण

व्यापार प्राप्य में ऋण जोखिम के महत्वपूर्ण संकेंद्रण के बिना भारत के विभिन्न राज्यों में फैले बड़ी संख्या में उपभोक्ता होते हैं।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए ऋण जोखिम प्रावधान, कंपनी अनुगामी वित्त हेतु 12 माह के लिए ऋण हानि की अपेक्षा करती है।

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	सकल रख–रखाव राशि	अपेक्षितर ऋण हानि	अपेक्षित शुद्ध रख–रखाव राशि
31 मार्च 2020 को			
व्यापार प्राप्तियां	27,422.87	(8,435.35)	18,987.52
31 मार्च 2019 को			
व्यापार प्राप्तियां	27,287.68	(9,889.60)	17,398.08

हानि प्रावधान का समायोजन–आजीवन अपेक्षित ऋण हानि

₹ लाखो में

हानि समायोजन भत्ता	व्यापार प्राप्य
31 मार्च 2018 को हानि भत्ता	**303.28**
वर्ष के दौरान खराबी से हुई हानि की पहचान/(प्राप्त)	9,586.32
बट्टा खाते में डालना	
31 मार्च 2019 को हानि भत्ता	**9,889.60**
वर्ष के दौरान खराबी से हुई हानि की पहचान/(प्राप्त)	(1,454.25)
बट्टा खाते में डालना	
31 मार्च 2020 को हानि भत्ता	**8,435.35**

III. तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से जुड़ी दायित्वों को पूरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है जिन्हें नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के माध्यम से पूरा किया जा सकता हो। तरलता के प्रबंधन में कंपनी का काम, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करना है कि उसके पास अपनी देयताओं के देय होने के समय पर्याप्त नकदी हो। प्रबंधन कंपनी के तरलता की स्थिति और नकदी एवं अपेक्षित नकद प्रवाह के आधार पर नकद समकक्षों के चल अनुमानों पर नजर रखता है। कंपनी निकाय के संचालन बाजार की तरलता को ध्यान में रखती है।

नीचे तालिका में अनुबंधात्मक छूट रहित भुगतानों पर कंपनी की वित्तीय देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल का सारांश है।

₹ लाखो में

	मांग पर	3 से कम माह	3 से 12 माह	1 से 5 वर्ष	5 वर्षों से कम	कुल
31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष						
व्यापार देय	24,408.60	-	-	-	-	24,408.60
अन्य वित्तीय देयताएं	1,643.51	540.33	1,621.00	6,479.55	10,189.87	20,474.27
कुल	**26,052.11**	**540.33**	**1,621.00**	**6,479.55**	**10,189.87**	**44,882.88**
31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ वर्ष						
व्यापार देय	34,465.51	-	-	-	-	34,465.51
अन्य वित्तीय देयताएं	1,466.94	-	-	40.46	-	1,507.39
कुल	**35,932.45**	**-**	**-**	**40.46**	**-**	**35,972.91**

33. पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन संरचना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के पास प्रतिबद्ध कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता हमेशा बनी रहे। कंपनी उद्देश्यों को पूरा करने एवं लचीला पन बनाए रखने के लिए पूंजीगत संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता के आकलन हेतु व्यापार के दीर्घकालिक नकद प्रवाह आवश्यकताओं पर नजर रखती है।

कंपनी आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन को देखते हुए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन और उसमें यथोचित समायोजन करती है। पूंजीगत संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए कंपनी शेयरधारकों को लाभांश के भुगतान में समायोजन कर सकती है, पूंजी वापस कर सकती है, नकद के लिए नए शेयर जारी कर सकती है, ऋण चुका सकती है, नई ऋण सुविधा दे सकती है या जैसा उचित हो ऐसी अन्य पुनर्गठन गतिविधियां कर सकती है।

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
उधार		
व्यापार देय	24,408.60	34,932.17
अन्य देय	1,67,885.69	1,44,679.46
कमः– नकद एवं नकद समकक्ष	(74,608.42)	(62,678.42)
शुद्ध ऋण	**1,17,685.88**	**1,16,933.21**
कुल इक्विटी	**59,214.02**	**50,137.82**
पूंजी और शुद्ध ऋण	**1,76,899.89**	**1,67,071.02**
गियरिंग रेश्यो (%)	**66.53%**	**69.99%**

34. लेखांकन नीति में परिवर्तन

नीचे दिए गए को छोड़ कर कंपनी ने सभी अवधि के लिए, इस वित्तीय कथन में प्रस्तुत लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया है। कंपनी ने 1 अप्रैल 2019 के प्रारंभिक उपयोग तिथि से भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 116 को लागू किया है। परिणामस्वरूप, नीचे विस्तार से दी जा रही जानकारी के अनुसार पट्टा अनुबंधों के लिए अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है।

कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी प्रस्ताव का उपयोग कर भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 116 को लागू किया जिसके तहत प्रतिधारित आय पर आरंभिक उपयोग का संचयी प्रभाव 1 अप्रैल 2019 से माना गया।

₹ लाखो में

31 मार्च 2019 तक पट्टा प्रतिबद्धताएं	28,674.62
वृद्धि / (कमी): पट्टा अनुबंधों के रूप में पुर्मूल्यांकित अनुबंध	-
वृद्धि / (कमी): विस्तार / समापन के मद में समायोजन	874.32
1 अप्रैल 2019 को पट्टा देयताएं	29,548.94
वर्तमान पट्टा देयताएं	2,296.97
स्थायी पट्टा देयताएं	27,251.97

21,283.61 लाख रुपये की परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार एवं 20,050.86 लाख रु. की पट्टा देयताओं को 1 अप्रैल 2019 से मान्यता दी गई।

भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 116 को अपनाने के कारण लेखांकन नीति में परिवर्तन का प्रभाव इस प्रकार है:

₹ लाखो में

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में कमी	-
पट्टा देयता में वृद्धि	18,791.30
उपयोग के अधिकार में वृद्धि	18,924.70
आस्थगित कर परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी	465.72
वित्त लागत में वृद्धि/कमी	1,037.41
मूल्यह्रास में वृद्धि/कमी	2,360.92

35. पट्टा

पट्टेदार होने के नाते

(क) परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार में वृद्धि

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	**31 मार्च 2020 को**
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार, निवेश संपत्ति को छोड़ कर	18,924.70

(ख) रिपोर्टिंग अवधि के समाप्त होने पर संपत्ति के उपयोग के अधिकार का वर्ग के अनुसार रख–रखाव मान

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	**श्रेणी 1**	**श्रेणी 2**	**कुल**
1 अप्रैल 2019 को शेष		21,285.61	21,285.61
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क		2,360.92	2,360.92
31 मार्च 2020 को शेष		18,924.70	18,924.70

(ग) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

₹ लाखो में

परिपक्वता विश्लेषण – अनुबंधात्मक छूटरहित नकद प्रवाह	**31 मार्च 2020**
एक वर्ष से कम	2,161.34
एक से पांच वर्ष	9,552.17
पांच वर्षों से अधिक	15,021.93
कुल छूट रहित पट्टा देयताएं	26,735.44
बैंलेस शीट में शामिल पट्टा देयताएं	
चालू	2,161.34
स्थायी	16,629.96

(घ) लाभ या हानि में उल्लिखित धनराशि

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	**2019-20**
पट्टा देयताओं पर ब्याज	1,037.41
पट्टा देयताओं की माप में शामिल नहीं किए गए चर पट्टा भुगतान	-
परिसंपत्तियों के अधिकार के उप–पट्टा पर देने से हुई आय	-
अल्प–कालिक पट्टों से संबंधित व्यय	30.21
कम–मूल्य वाली संपत्तियों के पट्टे से संबंधित व्यय, कम मूल्य वाली संपत्तियों के अल्प–कालिक पट्टे को छोड़ कर	

(ड) नकद प्रवाह कथन में उल्लिखित धनराशि

पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह राशि 2,296.97 लाख रु. है।

36. आकस्मिक देयताएं

बैलेंस शीट तिथि के अनुसार, कंपनी द्वारा उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली ऑफसाइट वारंटी के संदर्भ में आकस्मिक देयताओं पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि परियोजनाओं के लिए आपूर्ति किए गए सभी उपकरण समय–समय पर विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं से एएमसी (AMC) के तहत कवर किए गए हैं, वारंटी अवधि के बाद।

नहीं प्रदान की गई आकस्मिक देयताएं, उपरोक्त के अतिरिक्त, इस प्रकार हैंः –

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	**31 मार्च 2020 तक**	**31 मार्च 2019 तक**
कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण नहीं माना गया	104.58	99.66
गारंटी	1864.94	1848.84
आय कर मांग (निर्धारण वर्ष 2012–13)	14.89	-
आय कर मांग (निर्धारण वर्ष 2015–16)	350.60	350.60
कुल	**2335.01**	**2299.10**

उपरोक्त के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि भविष्य में भी कोई वास्तविक देयता/मांग नहीं होगी।

37. प्रतिबद्धताएं

कंपनी ने आपूर्तिकर्ताओं के साथ किए गए खरीद आदेशों और समझौतों के आधार पर व्यापारिक वस्तुओं की खरीद एवं बाद की अवधि में सेवाओं का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता जताई है। इन प्रतिबद्धताओं को सहमत शर्तों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी की आंतरिक परियोजनाओं के लिए 31 मार्च 2020 तक ऐसे राजस्व प्रतिबद्धताएं 116.68 लाख रु. (पिछले वर्ष 23.23 लाख रु.) थी। इसके अलावा, "आरक्षित निधि/रिजर्व" में से किए गए पूंजीगत खर्च इस प्रकार हैंः–

₹ लाखो में

क्र. सं.	ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
1	नेशनल डाटा सेंटर, भुवनेश्वर	3594.88	4,696.00
2	एनआईसी क्लाउड सर्विसेस का संवर्द्धन	3779.52	5,386.00
3	डिस्ट्रिक्ट 2.0– डिजिटल इंडिया पहल की अगुवाई	1380.21	1,407.00
	कुल	8754.61	11,489.00

38. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत आय एवं व्यय खाते को तैयार करने हेतु सामान्य निर्देशों के अनुच्छेद 5(viii) में दी गई जानकारी के अनुसार

i. C-I-F आधार पर आय का मूल्यः शून्य (पिछले वर्ष शून्य रु./ PY Rs- NIL)

ii. विदेशी मुद्रा में व्यय (आकस्मिक आधार पर):

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ वर्ष
यात्रा – कर्मचारी (विदेश)	एक भी नहीं	एक भी नहीं
कुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं

iii. विदेशी मुद्रा में आय (आकस्मिक आधार पर)रू शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु./ PY Rs- Nil)

39. लेखापरीक्षक का वेतन*

₹ लाखो में

ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ वर्ष
कर लेखापरीक्षा शुल्क के साथ लेखापरीक्षक का शुल्क	6.36	6.36
आय कर लेखापरीक्षा	0.85	0.85
जीएसटी (GST) लेखापरीक्षा	0.85	-
खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु	1.91	1.91
कुल	9.97	9.12

*लागू करों को छोड़कर। इसके अलावा, विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रमाणीकरण कार्य हेतु 1.91 लाख रु. (पिछले वर्ष (PY) 3.20 लाख रु.) का भुगतान किया गया जो संबंधित परियोजनाओं को सीधे दिए गए।

40. भारतीय लेखांकन मानक (Ind-As) 19 – 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण

i. भविष्य निधि में योगदान

चूंकि कंपनी के कर्मचारी, 3 मार्च 1998 की तिथि में भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार एनआईसी से, अपने पदों के साथ प्रतिनियुक्ति पर आते हैं इसलिए कंपनी में किसी प्रकार की भविष्य निधि योजना नहीं है। उनके वेतन से प्रत्येक माह भविष्य निधि, इसके लिए निर्धारित दरों और सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक माह काट लिया जाता है और उसे एनआईसी को भेज दिया जाता

है क्योंकि इसका लेखा–जोखा एनआईसी द्वारा ही रखा जाता है। इस प्रकार, कंपनी पर भविष्य निधि मद में कर्मचारियों को किसी प्रकार के भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं है।

ii. अवकाश वेतन

चूंकि कर्मचारी, 3 मार्च 1998 की तिथि में भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, अवकाश वेतन अंशदान (संबंधित कर्मचारी के वेतन के लिए निर्धारित दरों के अनुसार), कंपनी द्वारा प्रत्येक महीने गणना/प्रदान की जाती है और फिर उस राशि को एनआईसी को भेज दिया जाता है। इसलिए कंपनी पर अवकाश वेतन/नकदीकरण के भुगतान की कोई देयता नहीं है।

iii. पेंशन अंशदान

चूंकि कर्मचारी, 3 मार्च 1998 की तिथि में भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर हैं, पेंशन अंशदान (संबंधित कर्मचारी के वेतन के लिए निर्धारित दरों के अनुसार), कंपनी द्वारा कर्मचारी के खाते में प्रत्येक महीने गणना/प्रदान की जाती है और फिर उस राशि को एनआईसी को भेज दिया जाता है। इसलिए कंपनी पर पेंशन लाभ के भुगतान की कोई देयता नहीं है।

iv. ग्रेच्युटी

चूंकि कर्मचारी, 3 मार्च 1998 की तिथि में भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर हैं, कंपनी किसी प्रकार के ग्रेच्युटी का भुगतान करने की उत्तरदायी नहीं है क्योंकि इसका खर्च पूरी तरह से एनआईसी द्वारा वहन किया जाता है।

41. संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण

संबंधित पक्षों की सूची

पक्ष का नाम	**संबंध**
श्री मनोज कुमार मिश्रा (प्रबंध निदेशक)	मुख्य प्रबंधन कर्मी (14.02.2020 तक)
श्री प्रशांत कुमार मित्तल (प्रबंध निदेशक)	17.02.2020 से मुख्य प्रबंधन कर्मी
श्री गिरीश कुमार (कंपनी सचिव)	मुख्य प्रबंधन कर्मी (04.08.2019 तक)
श्री सन्नी जैन (कंपनी सचिव)	16.12.2019 से मुख्य प्रबंधन कर्मी

संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन : –

₹ लाखो में

पक्ष का नाम	**लेनदेन की प्रकृति**	**31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष**	**31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ वर्ष**
श्री मनोज कुमार मिश्रा	प्रबंधकीय वेतन	36.81	38.61
श्री प्रशांत मित्तल	प्रबंधकीय वेतन	4.10	NIL
श्री गिरीश कुमार	प्रबंधकीय वेतन	3.48	9.33
श्री सन्नी जैन	प्रबंधकीय वेतन	2.87	NIL
	कुल	**47.26**	**47.94**

संबंधित पक्षों को 31 मार्च 2020 तक देय राशिः 2.19 लाख रु. (पिछले वर्ष 2.59 लाख रु.)

42. भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS)– 108 'संचालन खंड/Operating Segments' से संबंधित प्रकटीकरण

कंपनी 'सूचना प्रौद्योगिकी' खंड में केवल दिल्ली में केंद्रीकृत कार्यालय से सेवाएं प्रदान कर रही है। इसे केवल एक खंड मानते हुए, वित्तीय कथनों में भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS)–108 'संचालन खंड/Operating Segments' के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

43. रोकड़–बाकी (बैलेंस) की पुष्टि

विभिन्न मदों के तहत रोकड़–बाकी (बैलेंस) पुष्टि पत्र जारी किए गए हैं। उत्तर की प्रतीक्षा है।

44. समर्पण पत्र/स्वामित्व विलेख (टाइटल डीड) का गैर–निष्पादन

कंपनी ने वर्ष क्रमशः 2003 और 2001 में कक्ष सं, 2 और 3, छठा तल, एनबीसीसी टावर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में मेसर्स एनबीसीसी लिमिटेड से खरीदा था। हालांकि इसके समर्पण पत्र/स्वामित्व विलेख के लिए 931.50 लाख (पिछले वर्ष 931.50 लाख रु.) रुपयों का भुगतान कंपनी ने कर दिया था लेकिन कंपनी के कई बार अनुरोध करने पर भी एनबीसीसी द्वारा पंजीकरण नहीं कराया गया है। इस मामले पर मेसर्स एनबीसीसी को नियमित रूप से याद दिलाया जा रहा है। इसलिए, स्टांप ड्यूटि के लिए 74.51 लाख (पिछले वर्ष 74.51 लाख रु.) रुपयों का प्रारंभिक प्रावधान वित्तीय कथनों में किया गया है और विभेदक राशि, यदि हो, वर्ष के लिए दिया जाएगा और वह पंजीकृत है।

45. प्रबंधन की राय में, सामान्य कारोबार में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम और व्यापार प्राप्य का विक्रय मूल्य कम–से–कम जिस राशि पर वे बताए गए हैं, उसके बराबर होना चाहिए।

46. एमएसएमईडी (MSMED) अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत प्रकटीकरण

₹ लाखो में

क्रम सं	ब्यौरेवार विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
1	मूल धनराशि और उसके ब्याज का भुगतान किसी आपूर्तिकर्ता को न किया गया हो	817.14	466.66
2	आपूर्तिकर्ता को भुगतान की जाने वाली राशि के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान की जाने वाली ब्याज राशि	शून्य	शून्य
3	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित ब्याज को जोड़े बिना भुगतान में होने वाली देरी की अवधि के लिए उचित और देय ब्याज राशि	शून्य	शून्य
4	उपार्जित ब्याज एवं अदत्त शेष	शून्य	शून्य
5	आगामी वर्षों में भी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य खर्च के निपटान हेतु ब्याज राशि उचित और देय हो, उस तिथि तक जब तक उपरोक्त देय ब्याज का वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान कर दिया गया हो	शून्य	शून्य

47. भारतीय लेखांकन मानक (IND AS) – 36 'परिसंपत्ति का नुकसान' के अनुसार प्रकटीकरण

भारतीय लेखांकन मानक (IND AS)–36 'परिसंपत्ति को नुकसान', के अनुसार, वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, लक्ष्मी नगर स्थित डाटा सेंटर, शास्त्री पार्क स्थित नेशनल डाटा सेंटर के संदर्भ में ''एनआईसी क्लाउड सर्विसेस के संवर्धन'' और शास्त्री पार्क में डेवलपमेंट सेंटर पर निवेश को देखते हुए, जो कंपनी के लिए नकद लाने वाली इकाईयां हैं ,परिसंपत्तियों के नुकासन का आकलन किया गया, और इनसे संबंधित किसी प्रकार के हानि का पता नहीं चलता है।

48. दिनांक 20.11.2009 को डीओटी लाइसेंस सं. 815–100/NICSI/2009–DS के खिलाफ वीसैट परियोजनाओं के लिए राजस्व सृजन (जीआर/एजीआर) (एनआईसीएसआई द्वारा 31.03.2017 को छोड़ा और DoT द्वारा अपनाया गया) और इसके लिए DOT को लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान

एनआईसीएसआई ने 31.03.2017 को DoT लाइसेंस सरेंडर कर दिया था और DoT ने उसे स्वीकार कर लिया था। DoT द्वारा दिए गए अधिकार–पत्र के अनुसार, एनआईसीएसआई ने केवल इस गतिविधि से संबंधित आय पर 31.03.2017 तक की पूर्ण लाइसेंस शुल्क/स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान कर दिया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय/एनडीआरएफ से मिलने वाली धनराशि भी मिल गई है। हालांकि, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय डीओटी ने पूरी कंपनी के राजस्व को रखने के लिए एनआईसीएसआई पर जुर्माना लगाया है, यह मामला इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डीओटी (DoT) के सामने उठाया था।

दिनांक 17.07.2020 को लिखे पत्र के माध्यम से प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय डीओटी ने लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के लिए एनआईसीएसआई के खिलाफ सभी मांग सूचनाओं (डिमांड नोटिस) को वापस ले लिया है (दिनांक 11.06.2020 को भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले और दिनांक 17.07.2020 को DoT OM सं. 12–25/2019–LFP के आधार पर)। दिनांक 20.07.2020 को लिखे पत्र के माध्यम से एनआईसीएसआई द्वारा तदनुसार पीएंडटी लेखा कार्यालय को सूचना दी गई।

49. एनकेएन परियोजना पर संचालन लाभ (प्रशासनिक शुल्क)

एनकेएन परियोजना पर 19.07.2011 को आयोजित की गई उच्च स्तरीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, एनकेएन परियोजना के तहत किए जाने वाले खर्च पर 1% का संचालन लाभ लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के एकीकृत वित्तीय विभाग (आईएफडी) से विशेष अनुमति लेना आवश्यक था। 26.07.2019 को एनआईसीएसआई की लेखापरीक्षा समिति की आयोजित हुई चौथी बैठक, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्कालीन अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता, में, इस मामले पर चर्चा की गई, और महसूस किया गया कि चूँकि एनकेएन प्रस्ताव जिसमें 5990 करोड़ रु. शामिल थे, को इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आईएफडी द्वारा शुरुआत में मेल खा रही थी (एनआईसीएसआई को 1% प्रशासनिक शुल्क सहित) और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुशंसा के आधार पर सीसीआई द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था, इसलिए आईएफडी की सहमति हेतु मामले पर फिर से विचार किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 30.07.2019 को एनआईसीएसआई के निदेश मंडल की आयोजित हुई 110वीं बैठक में इसे नोट कर लिया गया था।

50. नेशनल डाटा सेंटर प्रोजेक्ट, शास्त्री पार्क, दिल्ली पर आय/व्यय

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय और एनआईसी के वित्तीय सहयोग से नेशनल डाटा सेंटर, शास्त्री पार्क, दिल्ली की स्थापना की गई थी और इसने जुलाई, 2011 से काम करना शुरु कर दिया था। स्थायी वित्त समिति द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार एनआईसीएसआई को, शुरुआती 2 वर्षों के लिए, 800 लाख रु. प्रति वर्ष का संचालन व्यय वहन करना था। इस संचालन व्यय की व्यवस्था करने के लिए एनआईसीएसआई स्वयं को आवंटित 60 रैक से आमदनी करनी थी। हालांकि एनआईसीएसआई ने 2 वर्षों के बाद भी संचालन व्यय की व्यवस्था करना जारी रखा, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, 01–04–2014 से इस बात की मंजूरी दी थी कि, किराए एवं रख–रखाव/बुनियादी अवसंरचना का रख–रखाव/बुनियादी अवसंरचना ओ एंड एम जनबल के मद पर 800 लाख रु. तक नेशनल डाटा सेंटर, शास्त्री पार्क, दिल्ली पर मद–वार संचालन व्यय करेगी और एनआईसी अपने बजटीय प्रावधान से एनआईसीएसआई द्वारा बिजली एवं डीजल शुल्क/भौतिक सुरक्षा एवं हाउसकीपिंग शुल्क/जल शुल्क/रसद शुल्क/आकस्मिक शुल्कों पर एनआईसीएसआई द्वारा किए जाने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति, आरंभ में एनआईसीएसआई द्वारा किए जाने वाले इन खर्चों के बाद, इन सभी शुल्कों के 3% शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगी। भुवनेश्वर में नेशनल डाटा सेंटर स्थापित करने के साथ एनआईसीएसआई और एनआईसी ने इसके एवं नेशनल डाटा सेंटर, शास्त्री पार्क, दिल्ली के संचालन एवं प्रबंधन हेतु समझौता किया। 27.12.2018 को एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल की आयोजित की गई 108वीं बैठक में इस पर विचार किया गया और 01 अप्रैल 2018 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ इसे इस प्रकार मंजूरी दी गई–

- एनआईसीएसआई शास्त्री पार्क और भुवनेश्वर डाटा सेंटर के लिए अलग से प्रोजेक्ट पूल अकाउंट बना सकती है।
- इन दोनों ही डाटा सेंटरों पर को–लोकेशन सर्विसेस (सह–स्थान सेवाएं) के माध्यम से होने वाली आय को प्रस्तावित परियोजना मदों के तहत रखा जाएगा।
- आय का प्रयोग इन दोनों डाटा सेंटरों पर ओएंडएम खर्च और बुनियादी अवसंरचना के उन्नयन पर किया जाएगा।

- एनआईसीएसआई द्वारा शास्त्री पार्क पर को–लोकेशन सर्विस के लिए उपयोग में लाए जा रहे वर्तमान 60 रैक के अलावा एनआईसी आने वाले वर्षों के लिए ओएंडएम खर्चों को पूरा करने और बुनियादी अवसंरचना के उन्नयन हेतु भी, पर्याप्त धन अर्जित करने के लिए और रैक शामिल कर सकती है।
- वित्त वर्ष 2018–19 और उसके बाद शास्त्री पार्क के ओएंडएम खर्च के मद में एनआईसीएसआई प्रति वर्ष 800 लाख रुपये खर्च नहीं करेगी। कथित 60 रैक और एनआईसी द्वारा शामिल किए जाने वाले और रैक के माध्यम से होने वाली वार्षिक आमदनी का उपयोग ओएंडएम खर्च और बुनियादी अवसंरचना के उन्नयन में किया जाएगा।
- एनआईसीएसआई वित्त वर्ष 2018–19 और उसके बाद कथित ओएंडएम खर्च पर बोर्ड द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार अपना 7% संचालन लाभ और कर लेगी।

तदनुसार एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2019–20 में नेशनल डाटा सेंटरों पर आय एवं व्यय निर्धारित किया है।

51. एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर आए एनआईसीएसआई के कर्मचारियों को एलटीसी

कंपनी ने वित्त वर्ष 2010–11 से 2013–14 के दौरान एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर एनआईसीएसआई में आए कर्मचारियों के लिए एनआईसीएसआई के सेवा नियमों के आधार पर एलटीसी के मद में 189 लाख रु. की धनराशि की प्रतिपूर्ति की है। कंपनी ने 17.05.2006 को निदेशक मंडल की हुई 49वीं बैठक में अनुमोदित सेवा नियमों के आधार इस धनराशि की प्रतिपूर्ति की थी, जो डीईपी/डीओपीटी दिशानिर्देशों और सीसीएस एलटीसी नियमों के अनुरूप नहीं था। इसके बाद इन सेवा नियमों को 11.11.2014 को एनआईसीएसआई द्वारा सुधार हेतु एनआईसी/इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजा गया। बोर्ड की मंजूरी के अनुसार वसूली किश्तों में की जाएगी, एनआईसीएसआई ने मई, 2015 में कर्मचारियों के वेतन से धनराशि की पुनर्प्राप्ति कर ली थी। इस वसूली के खिलाफ कर्मचारियों ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायलय में रिट याचिका दायर की और अदालत ने दिनांक 09.06.2015 को दिए गए 'आदेश' के माध्यम से, कर्मचारियों से धनराशि वसूलने पर 'रोक/स्टे' लगा दी, मामले पर अंतिम फैसला किया जाना बाकी है। आखिरकार, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने, दिनांक 18.03.2016 को दिए अपने फैसले में कहा कि, 'सेवा शर्तों जो वर्तमान अपीलकर्ताओं को एनआईसीएसआई में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन को प्रेरित करती हैं और उदार एलटीसी विकल्प दिया। इस विकल्प का लगातार लाभ उठाया गया। एलटीसी नियमों में संशोधन किया गया और इस बात पर विवाद नहीं है कि एनआईसीएसआई के मूल नियम और उसमें किए गए संशोधन लागू रहेंगे। ऐसी परिस्थितियों में, सेवा शर्तों में बदलाव किए बिना खर्च की जा चुकी धनराशि की वसूली नहीं की जा सकती। तदनुसार, प्रतिवादी को 2010 से पहले संगठन में शामिल हो चुके कर्मचारियों से या जिन पर 2010 के संशोधन लागू नहीं होते, उनसे, प्रतिनियुक्ति शर्तों से अधिक दी गई धनराशि को ही वसूलने की अनुमति है। अपील उस सीमा तक अनुमित है।'

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने, दिनांक 14.07.2016 को लिखे पत्र के माध्यम से एनआईसीएसआई को निर्देश दिया कि वह ऐसे कर्मचारियों से अधिक–भुगतान की वसूली करना जारी रखे जिन्होंने अनियमित तरीके से एलटीसी लिया हो। दिनांक 29.07.2016 को लिखे पत्र के माध्यम से एनआईसीएसआई ने इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को बताया कि वर्तमान निर्देशों के अनुसार एनआईसीएसआई ने एलटीसी के मद में कर्मचारियों को किए गए अतिरिक्त–भुगतान को वसूलने की प्रक्रिया फिर से शुरु कर दी है और इस बारे में 29.07.2016 को एक कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया गया था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि यह वसूली अगस्त, 2016 माह के वेतन से की जाने लगेगी। एनआईसीएसआई द्वारा इस मामलों को 16.08.2016 को इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

प्रभावित होने वाले कर्मचारियों ने एनआईसीएसआई के दिनांक 29.07.2016 के कथित कार्यालय आदेश के अनुसार वसूली प्रक्रिया के फिर से शुरु किए जाने के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की, जिसमें एनआईसीएसआई और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दोनों को ही प्रतिवादी बनाया गया था। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयने मामले पर फिर से विचार किया और दिनांक 17.03.2017 को की गई टिप्पणी के माध्यम से एनआईसीएसआई को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले पर 18.03.2016 को किए गए निर्णय का पालन करने की सलाह दी। इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों के आधार पर एनआईसीएसआई ने दिनांक 21.03.2017 को एक कार्यालय आदेश जारी किया जिसमें "एनआईसी/एनआईसीएसआई कर्मचारियों द्वारा किए गए एलटीसी दावों की वसूली नहीं किए जाने और वसूली जा चुकी रकम को आने वाले समय में संबंधित अधिकारियों को वापस कर दिए जाने' का उल्लेख था। तदनुसार, प्रतिवादियों ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायलय की 23.03.2017 को की गई सुनवाई में दिनांक 21.03.2017 के कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि प्रदान कर अपने निर्णय के बारे में बताया। इसके बाद अवमानना याचिका को निरस्त कर दिया गया और प्रतिवादियों को दिनांक 21.03.2017 के कार्यालय आदेश को प्रभावी करने का निर्देश दिया गया। एनआईसीएसआई ने तदनुसार कार्यवाही की और प्रत्येक व्यक्ति को उनसे वसूली गई रकम वापस कर दी।

इस बीच, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट– 'मार्च, 2014 में समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट–केंद्र सरकार (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र)–2015 की सं. 55" में शामिल किया। वर्तमान में यह संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के पास है।

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उपरोक्त के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय को सूचना दी थी। इसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को भी शामिल किया गया था। इसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय ने माननीय अदालत के निर्णय की प्रति और एनआईसीएसआई सेवा नियमों में संशोधन पर सरकार की मंजूरी की प्रति मांगी। माननीय अदालत के निर्णय की प्रति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय को उपलब्ध करा दी गई थी, और उन्हें सूचित किया गया था कि एनआईसीएसआई सेवा नियमों में संशोधन का मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है। इस प्रकार, सरकार से एनआईसीएसआई सेवा नियमों के संशोधन पर मंजूरी हेतु मामला अभी भी लोक लेखा समिति के पास विचाराधीन है। मामले की स्थिति पिछले वर्ष जैसी ही है।

52. एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर आए एनआईसीएसआई कर्मचारियों को परियोजना प्रोत्साहन

पीएंडटी लेखा कार्यालय से मिले लेखापरीक्षा टिप्पणी के आधार पर एनआईसीएसआई ने नवंबर, 2014 में संशोधन हेतु अपना 'परियोजना प्रोत्साहन दिशानिर्देश' एनआईसी/इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजा था। चूंकि इस पर मंजूरी नहीं मिली थी, एनआईसीएसआई वित्त वर्ष 2013–14 के बाद अपने कर्मचारियों को परियोजना प्रोत्साहन का भुगतान नहीं कर रही है। इसलिए, वित्त वर्ष 2019–20 के लिए इस मद में संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

53. एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर एनआईसीएसआई में आए कर्मचारियों का परिवहन भत्ता और आवास किराया भत्ता

कंपनी ने एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर एनआईसीएसआई में आए कर्मचारियों को 01.07.2007 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान परिवहन भत्ते में 49 लाख रु. और आवास किराया भत्ता में 17 लाख रुपये की अधिक धनराशि का भुगतान किया है। कंपनी ने 17.05.2006 को कंपनी के निदेशक मंडल की हुई 49वीं बैठक में अनुमोदित सेवा नियमों के आधार इस धनराशि का भुगतान किया था जो भारत सरकार के नियमों के अनुरूप नहीं है। इन सेवा नियमों को संशोधन हेतु 11.11.2014 को एनआईसीएसआई से एनआईसी/इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजा गया था। इस मामले में प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। हालांकि, निदेशक मंडल की मंजूरी के अनुसार, एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2018–19 में इन भत्तों के लिए सरकारी नियमों का पालन किया। मामले पर स्थिति पिछले वर्ष जैसी ही है।

54. सहायता अनुदान परियोजनाओं की अप्रयुक्त अनुदानराशि पर ब्याज

एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2019–20 में सहायता अनुदान परियोजनाओं में वास्तविक आधार पर ब्याज की गणना वर्ष में एनआईसीएसआई ने जिन ब्याज दरों पर सावधि जमा (एफडी) की थी, उसके अनुसार की और वित्त वर्ष 2018–19 इसने 31.03.2018, वित्त वर्ष 2018–19 और वित्त वर्ष 2019–20 की अवधि के लिए संबंधित परियोजना के प्रत्येक खाता–बही में विभेदक ब्याज दर का उल्लेख किया, निम्न अनुसारः

₹ लाखो में

अवधि	एनकेएन परियोजना	अन्य जीआईए परियोजना	कुल
31.03.2018 तक	1414.74	3351.27	4766.01
वित्त वर्ष 2018–19 के लिए	77.45	535.60	613.05
वित्त वर्ष 2019–20 के लिए	27.87	397.49	425.36

55. सहायता अनुदान परियोजनाओं में ब्याज की वापसी पर पीएंडटी लेखा कार्यालय से लेखापरीक्षा अनुच्छेद का मसौदा (ड्राफ्ट ऑडिट पैरा)

वित्त वर्ष 2011–2012 तक, कंपनी दाता संस्थान से परियोजनाओं के लिए मिलने वाली धनराशि को अनुदान पावती के स्थान पर 'उपभोक्ता से प्राप्त अग्रिम' मान रही थी और तदनुसार अप्रयुक्त धनराशि पर अनुदाता संस्थान को किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया गया।

निदेशक मंडल ने, 21–12–2011 को हुई बैठक के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बचत खाता में लागू ब्याज दर के अनुसार समय–समय पर अनुदान सहायता परियोजनाओं में उपलब्ध अप्रयुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज की गणना और वापसी करने की मंजूरी दी। तदनुसार कंपनी ने ब्याज की गणना की यानि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बचत खाते पर लागू ब्याज दर पर और अनुदाता संस्थान को धनराशि वापस की जबकि अनुदाता संस्थान द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, सहायता अनुदान परियोजनाओं के अप्रयुक्त शेष पर अर्जित वास्तविक ब्याज को वापस किया जाना है। अनुदाता विभागों ने वित्त वर्ष 2016–17 तक व्यक्तिगत परियोजना हेतु दिए गए ब्याज को स्वीकार कर लिया है और इनमें से ज्यादातर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और उनका हिसाब–किताब कर दिया गया है। हालांकि, कंपनी द्वारा सरकार को अनुदान सहायता परियोजनाओं में कम ब्याज की वापसी से संबंधित मामला (पारा) कैग कार्यालय में चल रहा है। एनआईसीएसआई ने मामले (पारा) पर उत्तर दिया है और वह अभी भी कैग कार्यालय में विचाराधीन है।

इस बीच, निदेशक मंडल ने 28.03.2017 को आयोजित अपनी 100वीं बैठक में, मामले पर फिर से विचार किया और एनआईसीएसआई को वास्तिव आधार पर सहायता अनुदान परियोजनाओं पर ब्याज वापसी करने की सलाह दी।

तदनुसार वित्त वर्ष 2018–19 में एनआईसीएसआई ने अनुदान सहायता परियोजनाओं पर, बीते वर्षों में और साथ ही, वित्त वर्ष 2018–19 में एनआईसीएसआई ने जिन ब्याज दरों पर सावधि जमा की थी, उसके अनुसार ब्याज की गणना वास्तिव आधार पर की और इसके अनुसार, 31.03.2018 तक और वित्त वर्ष 2018–19 के लिए संबंधित परियोजना के प्रत्येक बहीखाते में विभेदक ब्याज प्रदान किया, इस प्रकारः

तदनुसार, वित्त वर्ष 2018–19 में, एनआईसीएसआई ने अनुदान सहायता परियोजनाओं पर, बीते वर्षों में एनआईसीएसआई ने जिन ब्याज दरों पर सावधि जमा की थी, उसके अनुसार ब्याज की गणना वास्तिव आधार पर की और इसके अनुसार, 31.03.2018 तक संबंधित परियोजना के प्रत्येक बहीखाते में विभेदक ब्याज प्रदान किया जो कुल 4766.01 लाख रु. है (यानि एनकेएन परियोजनाओं में 1414.74 लाख रु. और अन्य अनुदान सहायता परियोजनाओं में 3351.27 लाख रु.)।

पीएंडटी लेखा कार्यालय, पत्र सं. AMG-II / Rep PSU/DAP/9993/NICSI / D–2024 दिनांक 14.01.2020 के माध्यम से, "26.36 करोड़ रुपयों की हानि और अनुदान सहायता परियोजनाओं में नियमों और शर्तों का पालन नहीं करने के कारण देनदारियों में 78.38 करोड़ रुपयों की कम बयानी" पर एनआईसीएसआई को ड्राफ्ट ऑडिट पारा (डीएपी) दिया। लेखापरीक्षा का विचार यह है कि एनआईसीएसआई ने बीते वर्षों में अनुदान सहायता परियोजनाओं में ब्याज से होने वाली आमदनी पर दिए जाने वाले कॉरपोरेट कर को कम कर दिया है और विभेदक ब्याज की वापसी करने के दौरान, इसने पहले भुगतान किए जा चुके कॉरपोरेट कर को घटा लिया और इसलिए इसे, पहले भुगतान किए जा चुके कॉरपोरेट कर की वापसी के संबंध में मामले को सीबीडीटी / आय कर विभाग के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। एनआईसीएसआई ने दिनांक 04.12.2019 को अपने ऑडिट मेमो सं. 12 पर दिनांक 09.12.2019 को दिए उत्तर के माध्यम से पीएंडटी ऑडिट कार्यालय को सूचित किया कि चूंकि कॉरपोरेट कर भारत सरकार यानि आय कर विभाग को वित्त वर्ष 2012–13 से लगातार दिया जा रहा है, इसलिए इसने मामले को आय कर विभाग के सामने प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि एनआईसीएसआई को कॉरपोरेट कर वापस करने के बाद भी, इसे फिर से भारत सरकार (यानि अनुदाता संस्थाओं) को फिर से वापस करना होगा।

56. व्यापार प्राप्य

एनआईसीएसआई भारत सरकार एवं राज्यों / केंद्र प्रशासित प्रदेशों के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / संगठनों से प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन करती है। सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार, ये एनआईसीएसआई को दिए जाने वाले अग्रिम को 40% या ऐसा कुछ प्रतिशत तक सीमित करते हैं, जबकि कई मामलों में मुख्य रूप से आईसीटी हार्डवेयर की खरीद के संबंध में, एनआईसीएसआई को पूरी क्षमता में कार्य आदेश जारी करना होता है और ऐसी वस्तुओं की डिलीवरी / प्रतिस्थापन के बाद, एनआईसीएसआई को कार्य आदेशों में उल्लिखित भुगतान शर्तों के अनुसार विक्रेताओं को भुगतान करना होता है। कई बार, यह, व्यापार प्राप्य होता है, वित्तीय कथनों की नोट सं. 10 में विवरण है, 31 मार्च 2020 तक 27,422.87 लाख रु. (पिछले वर्ष 27,287.68 लाख रु.) के व्यापार प्राप्य धनराशि का, एनआईसीएसआई समय–समय पर इसकी प्राप्ति हेतु संबंधित विभागों / संगठनों से संपर्क करती रहती है।

57. 5वां तल, शास्त्री पार्क, दिल्ली के लिए अवधि पूर्व मूल्यह्रास

एनआईसीएसआई ने 5वां तल, शास्त्री पार्क के लिए आंतरिक सज्जा का कार्य मेसर्स एनबीसीसी लिमि. को दिया था। काम के पूरा होने के बाद इस तल पर वित्त वर्ष 2016–17 से काम शुरु हो चुका है। हालांकि, एनआईसीएसआई ने मेसर्स एनबीसीसी लिमि. को अंतिम भुगातन वित्त वर्ष 2018–19 में किया। तदनुसार, वित्त वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए 455.22 लाख रु. का मूल्यह्रास को वित्त

वर्ष 2018–19 में अन्य इक्विटी के तहत आरोपित किया गया है।

58. संदिग्ध ऋण राशि जिनकी वसूली की संभावना नहीं है, की व्यवस्था

कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, बैलेंस शीट तिथि पर 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया व्यापार प्राप्यों पर 5% की दर का प्रावधान है। पीएंडटी ऑडिट ने पाया है कि कंपनी ने संदिग्ध ऋणों की व्यवस्था के लिए जो नीति अपनाई है, उसमें कमी है।

पीएंडटी ऑडिट के उपरोक्त जांच पर और एनआईसीएसआई द्वारा पिछले वर्ष के खातों पर आश्वासन दिए जाने को देखते हुए, एनआईसीएसआई में समीक्षा करने और जिन संदिग्ध धनराशि के प्राप्त होने की संभावना नहीं हैं उनके लिए वित्त वर्ष 2019–20 के खातों में प्रावधान करने पर अनुशंसा हेतु एक समिति बनाई गई थी।

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए एनआईसीएसआई के खातों में जिन संदिग्ध धनराशि के प्राप्त होने की संभावना नहीं है उनके लिए 'व्यवस्था' इस प्रकार की गईः

(लाखों में)

अवधि	बकाया राशि	प्रतिशत में प्रावधान	वित्त वर्ष 2019–20 में प्रावधान	वित्त वर्ष 2018–19 में प्रावधान
10 वर्षों से अधिक	5,410.02	100	5,410.02	5,105.01
5 से 10 वर्ष	4,389.95	50	2,194.98	3,926.59
3 से 5 वर्ष	3,321.39	25	8,30.35	858.00
3 वर्षों तक	14301.51	NIL	NIL	NIL
योग	**27,422.87**		**8435.35**	**9,889.60**

59. आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम हेतु प्रावधान

वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लेखापरीक्षा करते समय पीएंडटी लेखापरीक्षा ने पाया कि आपूर्तिकर्ताओं को दिए जाने वाला 984.16 लाख रुपयों का अग्रिम 3 वर्ष से अधिक पुरानी अवधि के लिए है। 3 वर्ष से अधिक पुराने होने के नाते इस संबंध में प्रावधान किया जाना चाहिए था। प्रावधान नहीं किए जाने के कारण वर्तमान परिसंपत्तियों की अधिमूल्यन और प्रावधानों की गलत बयानी से लाभ को बढ़ा कर लिखा गया।

पीएंडटी लेखापरीक्षा के उपरोक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए एनआईसीएसआई में आपूर्तिकर्ताओं के अग्रिम जिनकी व्यवस्था किए जाने की संभावना नहीं है, की समीक्षा करने और इसके लिए बनाए जाने वाले प्रावधानों पर विचार करने और अनुशंसा देने के लिए एक समिति बनाई गई थी।

31.03.2020 तक 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया धनराशि के लिए वित्त वर्ष 2019–20 के खातों में आपूर्तिकर्ताओं के लिए अग्रिम की व्यवस्था के मद में 1319.16 लाख रु. (2018–19 में 1712.20 लाख रु. के भुगतान के विपरीत) की व्यवस्था की गई, एनकेएन परियोजनाओं को छोड़ कर। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, 58.27 लाख रु. की धनराशि वसूली गई इसलिए आपूर्तिकर्ताओं के अग्रिम के लिए किए गए शुद्ध प्रावधान 31–03–2020 को 1260.88 लाख रु. थे।

60. परिसंपत्तियों एवं देनदारियों का वर्तमान एवं गैर–वर्तमान में वर्गीकरण

कंपनी वित्तीय कथनों में, संचालन चक्र में वसूल्यता/भुगतान के अनुमान के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों को 'वर्तमान' और 'गैर–वर्तमान' में वर्गीकृत करती है।

61. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायितव (सीएसआर) पर खर्च

एनआईसीएसआई ने वित्त वर्ष 2019–20 (भुगतान 176.00 लाख रु.) में, 29.06.2020 को एनआईसीएसआई के निदेशक मंडल की हुई 113वीं बैठक में दी गई स्वीकृति के अनुसार, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर खर्च हेतु 40 लाख. रु. का योगदान

किया, यह मंजूरी 26–06–2020 को सीएसआर समिति की हुई 5वीं बैठक के सिफारिशों पर दी गई थी।

62. अनुदान सहायता परियोजनाएं

अनुदान सहायता परियोजनाओं के लिए स्वीकृत नियमों और शर्तों के अनुसार, कंपनी ऐसी सभी परियोजनाओं के लेखा की लेखापरीक्षा सीए कंपनी से करा रही है। वर्तमान वर्ष के लिए, सभी अनुदान सहायता परियोजनाओं के लेखा की लेखापरीक्षा करा ली गई है।

63. डिस्ट्रिक्ट 2.0 – डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए जिला अवसंरचना का संवर्धन"

निदेशक मंडल ने 28 मार्च 2017 को हुई अपनी 100वीं बैठक में, परियोजना पर विचार किया और चरण–। के लिए कुल 9,900 लाख रु. के परिव्यय को मंजूरी दी जिसकी पूरी व्यवस्था एनआईसीएसआई अपने "कैश रिजर्व/नकद आरक्षित निधि" से करेगी। हालांकि परियोजना से "आमदनी/राजस्व" नहीं होगी क्योंकि इसमें एनआईसी के कुछ जिला केंद्रों के आईसीटी अवसंरचना का केवल संवर्धन किया जाना है। चूंकि इस परियोजना में कोई आमदनी नहीं होगी और बनाई गई संपत्ति न तो एनआईसीएसआई की होगी और न ही उस पर एनआईसीएसआई का अधिकार होगा, इसलिए एनआईसीएसआई ने वर्ष के दौरान इस मद में खर्च होने वाली पूरी 26.79 लाख रु. (पिछले वर्ष 5804.99 लाख रु.) की धनराशि को खर्च के रूप में आय एवं व्यय खाते में डाल दिया है।

64. आय कर एवं बिक्री कर आदि का प्रावधान

वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लेखापरीक्षा करते समय पीएंडटी ऑडिट ने पाया कि वित्त वर्ष 2007–08 से 2014–15 से संबंधित 2,281.03 लाख रु. का टीडीएस/आय कर वापस मिलने वाली धनराशि आय कर विभाग के पास लंबित है। उपरोक्त धनराशि 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित है, कंपनी को इस संबंध में काम करना चाहिए था। हालांकि, इसके लिए कुछ नहीं किया गया। इस धनराशि से संबंधित काम नहीं किए जाने से वर्तमान परिसंपत्तियों का अधिमूल्यन हुआ और प्रावधानों की गलतबयानी से आमदनी को बढ़ा कर लिखा गया"।

पीएंडटी ऑडिट के उपरोक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, एनआईसीएसआई में आय कर प्रतिदाय, बिक्री कर वसूली और कार्य अनुबंध पर टीडीएस, जिनके प्राप्त किए जाने की संभावना कम है, से संबंधित धनराशि के लिए वित्त वर्ष 2018–19 में किए गए प्रावधानों की समीक्षा करने और अनुशंसा देने हेतु एक समिति बनाई गई थी। इस समिति की अनुशंसा के आधार पर एनआईसीएसआई के खातों में वित्त वर्ष 2019–20 में निम्नानुसार प्रावधान किए गए: –

(लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त हुआ वर्ष
आय कर	1802.91	1,646.55
बिक्री कर/वैट/डीवैट	117.91	117.70
कार्य अनुबंध पर टीडीएस	2.54	2.34
कुल	1923.36	1,766.59

65. अप्रचलित आइटम्स

31.03.2020 तक कंपनी के पास चल परिसंपत्तियों की कुछ स्पष्ट अप्रचलित वस्तुएं (आइटम्स) थीं। वित्त वर्ष 2017–18 के लिए एनआईसीएसआई खातों पर समीक्षा करने के दौरान पीएंडटी लेखापरीक्षा टीम को पता चला कि 31 मार्च तक अप्रचलित वस्तुओं के ह्रासित मूल्य मान और उसके अनुमानित बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को वर्ष के लेखा–जोखा में नहीं दिखाया गया था। तदनुसार, 31.03.2019 तक वित्त वर्ष 2017–18 के लिए अप्रचलित वस्तुओं के ह्रासित मूल्य मान और उसके अनुमानित बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को दिखाने के लिए की जाने वाली "व्यवस्था" की जांच करने और अपनी अनुशंसा देने हेतु समिति बनाई गई थी। समिति ने 31.03.2019 तक अप्रचलित संपत्ति वस्तुओं के ह्रासित मूल्य यानि 49.89 लाख रु. को अनुमानित बिक्री मूल्य माने जाने की अनुशंसा की और इसलिए, उस वर्ष के लिए खातों में किसी प्रकार की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार, परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के आधार पर, 31.03.2020 तक अप्रचलित संपत्तियों का ह्रासित मूल्य 3.13 लाख रु. (पिछले वर्ष 49.42 लाख रु.) बताया गया और चूंकि समिति ने एक बार फिर 31.03.2020 तक अप्रचलित वस्तुओं के ह्रासित मूल्य यानि 3.13 लाख रु. को अनुमानित

बिक्री मूल्य मानने की अनुशंसा की इसलिए उस वर्ष के लिए खातों में किसी प्रकार की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

66. पूर्व अवधि मद

एनआईसीएसआई को 31 मार्च तक दी गई सेवाओं और तदनुसार पिछले वर्ष में किए गए व्यय के लिए विक्रेताओं से चालान जमा कराने के लिए प्रबंधन द्वारा अनुमोदित समय–सीमा दी गई है। 31 मार्च तक की अवधि के लिए उस तिथि तक हुई आय को उसी वित्त वर्ष में शामिल किया जाएगा। तदनुसार, वित्त वर्ष 2019–20 में मिलान अवधारणा सुनिश्चित की गई है।

कंपनी ने गलतियों और चूक को पूर्व अवधि का माना है। वर्तमान वर्ष में कोई गलती या चूक नहीं है और इसलिए कोई पूर्व अवधि व्यय या आय का उल्लेख नहीं है।

67. कोविड–19 का प्रभाव

कंपनी ने प्रदेयों, सावधि जमा और अन्य परिसंपत्तियों/देनदारियों की रख–रखाव लागत पर कोविड–19 महामारी से संबंधित उत्पन्न होने वाले संभावित प्रभावों का आकलन किया है। वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में इस महामारी के कारण संभावित भावी अनिश्चितताओं से संबंधित धारणा बनाने के लिए, अनुमोदन की तिथि तक, इन वित्तीय कथनों में आंतरिक एवं बाहरी सूचना स्रोतों का उपयोग किया गया है। वर्तमान तिथि तक, कंपनी ने निष्कर्ष निकाला है कि इन अनुमानों के आधार पर कोविड–19 का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। महामारी की प्रकृति के कारण, कंपनी आने वाले समय में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं की पहचान करने हेतु विकास कार्यों पर नजर बनाए रखेगी।

68. पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी ने वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि हेतु पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण किया है।

आज की तिथि में हमारी रिपोर्ट के अनुसार
अग्रवाल एंड सक्सेना के लिए
सनदी लेखाकार/चार्टर्ड अकाउंटेट
कंपनी पंजीकरण संख्या 002405सी

ह0/–
अक्षय सेठी
साझेदार
सदस्यता सं. 539439

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
प्रशांत कुमार मित्तल
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08710751

ह0/–
डॉ. राजेन्द्र कुमार
अध्यक्ष
डीआईएनः 02677079

ह0/–
सन्नी जैन
कंपनी सचिव
एसीएसः 31700

ह0/–
दीपक सक्सेना
एफए/सीए

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.07.2020

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के सदस्यों के लिए

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथनो की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

क्वालिफायड ओपिनियन (Qualified Opinion)

हमने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक ("कंपनी") के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथनों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2020 तक की बैलेंस शीट, और आय एवं व्यय खाता, इक्विटी में परिवर्तन के कथन और समाप्त हुए वर्ष में नकद प्रवाह कथन एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं समेत भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथनों की टिप्पणी थी।

हमारे विचार से और हमारी जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी रिपोर्ट में क्वालिफायड ओपिनियम खंड के आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों के अलावा उपरोक्त वित्तीय कथन आवश्यक तरीके से कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के तहत अनिवार्य सूचनाएं प्रदान करती हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2020 तक कंपनी के मामलों एवं उसके लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए इसके नकद प्रवाह की सच्ची एवं स्पष्ट जानकारी देती है।

क्वालिफायड ओपिनियन का आधार

1. कंपनी ने 01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 तक, बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सिस्टम ऑडिट कराए बिना ERP अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया। इस प्रणाली की संभावित कमियों के कारण भारतीय लेखांकन मानक कथनों (Ind AS Financial Statements) में बताए गए परिसंपत्तियों/देनदारियों और/या आय/व्यय पर प्रभाव, यदि कोई हो, तो वर्तमान में उसका पता लगा पाना संभव नहीं है।

2. हमारे विचार से, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, राजस्व अभिलेखन, खरीद अभिलेखन, कमर्चारियों को दिए गए अग्रिम/विक्रेताओं की पुष्टि/उपयोगकर्ता शेष का समन्वय, विक्रेता प्रदर्शन बैंक गारंटी जारी करने की प्रक्रिया, ई–भुगतान/या अन्य माध्यम के जरिए ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा करना एवं बकाया की वसूली, के भौतिक सत्यापन के संबंध में कंपनी में वर्तमान आंतरिक नियंत्रण, इसके संचालन के आकार एवं प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। (अनुबंध "क" देखें)

3. व्यापार देय (नोट 19), व्यापार प्राप्य (नोट 10), उपभोक्ताओं से मिलने वाले अग्रिम (अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं समेत) (नोट 21), बयाना धन जमा रसीद (नोट 20), सुरक्षा जमा देय (नोट 18) और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (नोट 9 और 15) से संबंधित शेष, वर्ष के समाप्त होने पर प्राप्त किए जाने/प्राप्त होने और/या परिणामी संतुलन बनाए जाने की पुष्टि के विषयाधीन हैं। ऐसी पुष्टि एवं समन्वय का, परिसंपत्तियों/देनदारियों और/या आय/व्यय पर प्रभाव, यदि कोई हो, तो वर्तमान में उसका पता लगा पाना संभव नहीं है।

4. ग्राहकों से प्राप्त होने वाले 1,24,647.66 लाख रुपये के संदर्भ में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन में नोट सं. 21 के लिए संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। व्यक्तिगत खातों की समीक्षा से पता चला कि ऐसे कई ग्राहक हैं जिन पर, वर्ष के समाप्त होने पर, 3 वर्ष से भी अधिक से बकाया है। इनमें से ज्यादातर अग्रिम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और भारत सरकार के मंत्रालयों से लिया गया है और कंपनी द्वारा विभिन्न बैंकों में अलग–अलग ब्याज दरों एवं मैच्युरिटी प्रोफाइल पर सावधि जमा में निवेश कर दिया गया है।

   इस तथ्य को ध्यान में रख कर कि उपभोक्ता से मिलने वाले अग्रिम का प्रयोग नहीं किया गया और उसे सावधि जमा में निवेश कर दिया गया, प्रबंधन को ऐसे प्रत्येक अग्रिम एवं वापसी की, हर एक उपभोक्ता के साथ किए गए अनुबंध की नियमों एवं शर्तों के आधार पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। ऐसे हर एक अग्रिम से संबंधित दस्तावेजों, अनुबंधों और विवरणों के न होने पर पूर्ववर्ती पैरा में संदर्भित मामलों का, इस तरह के विवरण के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों/देनदारियों और/या आय/व्यय पर पड़ने वाला समग्र प्रभाव का वर्तमान में पता लगा पाना संभव नहीं है।

5. किए गए कार्य से संबंधित राजस्व, जिसके लिए 496.91 लाख रुपये के खर्च किए गए थे, वित्त वर्ष 2019–20 में आय एवं

व्यय खाता के विभिन्न मदों में लिखे गए थे, इन्हें अगले वित्त वर्ष (यानि 2020–21) में दर्ज किया गया जिसके कारण मिलान अवधारणा का पालन नहीं हो सका।

इसकी वजह से, कर के लिए 531.69 लाख रुपये की आमदनी एवं संचालन से राजस्व में 531.69 लाख रुपये की कमी दिखाई गई।

6. आय एवं व्यय खाते की नोट सं. 66 के संदर्भ में, विक्रेताओं द्वारा चालान जमा न किए जाने/देर से जमा किए जाने के कारण वित्त वर्ष–2019–20 के भारतीय–लेखांकन मानक फाइनेंशल्स में दर्ज नहीं किए गए खर्च के विवरण की वजह से कट–ऑफ प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा सका। इस प्रकार के बिलों को सक्षम अधिकारी द्वारा बाद में मंजूरी दिए जाने के बाद आगामी रिपोर्टिंग अवधि में दर्ज किया गया। परिसंपत्तियों/देनदारियों और/या आय/व्यय पर व्यय के देर से दर्ज किए जाने के प्रभाव का, सहायताप्राप्त परियोजनाओं पर, रिपोर्ट की जाने वाली तिथि पर विक्रेताओं द्वारा बिल जमा नहीं किए जाने के कारण, पता नहीं लगाया जा सकता है।

7. कंपनी ने महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (देखें नोट 2 (VII)) के संदर्भ में चालान बनाते समय, 'नियंत्रण' के हस्तांतरण के समय पहचान किए जाने की बजाए वस्तुओं की बिक्री पर मिलने वाले राजस्व को गलत तरीके से पहचाने जाने के संबंध में कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 द्वारा निर्धारित "उपभोक्ताओं के साथ अनुबंध से मिलने वाले राजस्व" पर भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) 115 का पालन नहीं किया। रिपोर्ट की गई आमदनी, हानि और कंपनी की परिसंपत्तियों/देनदारियों पर, भारतीय लेखांकन मानक 115 के सदंर्भ में राजस्व के पहचान में इसके प्रभाव का वर्तमान में पता लगा पाना संभव नहीं है।

उपर दिए गए अनुच्छेद (1) से (7) में उल्लिखित मामलों का वर्ष में परिसंपत्तियों/देनदारियों और/या आय/व्यय एवं लाभ/हानि पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन खंड के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी में विस्तार से बताया गया है। हम, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके नियमों के तहत भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथनों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को भी पूरी किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाए हैं वे हमारी क्वालिफायड ओपिनियन के आधार हेतु पर्याप्त एवं उचित हैं।

विषय पर बल (Emphasis of Matter)

1. नोट सं. 50 के लिए संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसमें वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निर्देश पर वित्त वर्ष 2018–19 से प्रभावी कंपनी का संचालन मार्जिन को सहसंबद्ध किया गया और एवं ओएंडएम खर्च एवं बुनियादी/आईसीटी अवसंरचना के उन्नयन लागत के 7% पर अनुमोदित किया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान शास्त्री पार्क एवं भुवनेश्वर नेशनल डाटा सेंटर की तुलना में कंपनी के संचालन मार्जिन में काफी कमी आई और इसका प्रभाव वर्ष के आय एवं व्यय खाते के लाभ पर भी दिखा।

2. हम भारतीय–लेखांकन मानक वित्तीय कथन के नोट सं. 44 पर ध्यान दिलाना चाहेंगे जिसमें भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली के भवन के संबंध में 931.50 लाख रुपये के संवहन/स्वामित्व लेख (टाइटल डीड) वर्ष के समाप्त होने तक पंजीकरण हेतु लंबित था।

उपर के अनुच्छेद (1) से (2) में रिपोर्ट किए गए मामलों के संदर्भ में हमारी राय नहीं बदली है।

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन एवं लेखापरीक्षक रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारियों के लिए भी उत्तरदायी है। अन्य जानकारियों में शामिल है– निदेशक की रिपोर्ट (लेकिन इसमें वित्तीय कथन एवं हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं होती)। इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें निदेशक की रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय कथनों पर हमारा विचार है कि यह अन्य जानकारियों को शामिल नहीं करता और हम किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देंगे।

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि उपलब्ध कराए जाने पर हम उपर बताई गई अन्य जानकारी को पढ़ेंगे और ऐसे करते समय, इस बात पर विचार करेंगें कि क्या हमें दी गई अन्य जानकारी वित्तीय कथनों या लेखापरीक्षा से हमें मिलने वाली जानकारी के साथ असंगत है या अन्यथा वास्तव में गलत दिखाई दे रही है।

प्रबंधन एवं भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथनों के नियमन प्रभारियों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, व्यापक आमदनी, इक्विटी में परिवर्तन एवं नकद प्रवाह के बारे में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत भारतीय लेखांकन मानक एवं अन्य लेखांकन सिद्धांतों का सच्चा एवं वास्तवित स्वरूप देने के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथनों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों का उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी एवं अन्य प्रकार की अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उनका प्रयोग करनाय उचित एवं विवेकपूर्ण फैसले करना एवं अनुमान लगानाय पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव करना भी शामिल है जो लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कारगर तरीके से काम करती हो, भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन को तैयार एवं प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक हो और जो सही एवं उचित हो और धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाली वस्तुगत गलत–कथन से मुक्त हो।

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी के लाभकारी संस्था के रूप में काम करने की योग्यता का आकलन करने, लाभकारी संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण, जैसा लागू हो और जब तक प्रबंधन का इरादा कंपनी को बेचने या उसका संचालन बंद करने का न हो, या ऐसा करने के सिवा कोई वास्तविक विकल्प न बचा हो, लेखांकन के लाभकारी संस्था आधार का प्रयोग करने का उत्तरदायी है।

ये निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखने के भी उत्तरदायी हैं।

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य क्या पूरा भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन चूक से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण के बारे में उचित आश्वसन प्राप्त करना एवं हमारे विचार शामिल करने वाला लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा वास्तवित चूक का पता लगा लेगी।

गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटी के कारण दिया जा सकता है और इसे तब वस्तुगत माना जाता है यदि, वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक रूप से किया गया हो, इन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथनों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले आर्थिक फैसलों को इनके द्वारा यथोचित प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। इसके अलावा हमः

- भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथनों के वस्तुगत गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन करते हैं, इन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते हैं लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे विचार/राय के आधार हेतु उचित एवं पर्याप्त हो। धोखाधड़ी के कारण वस्तुगत गलत बयानी का पता न चल पाने का जोखिम गलती के कारण की जाने वाली वस्तुगत गलत बयानी से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की जाने वाली गलती, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को रद्द करना शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुसार उचित लेखा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के क्रम में लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत हम कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के होने और ऐसे नियंत्रणों की संचालन प्रभावकारिता के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के भी उत्तरदायी हैं।

- प्रयोग की जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन अनुमानों और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कशीलता का आकलन करने।
- लेखांकन के लाभकारी संस्था के आधार का प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालना और प्राप्त हुए लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, बताना कि क्या कार्यक्रमों या परिस्थितियों से संबंधित अनिश्चितता कंपनी की लाभकारी संस्था बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वस्तुगत अनिश्चितता है, तो हमें भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन में संबंधित प्रकटीकरण पर हमारे लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इसके बारे में लिखना होगा या ऐसा प्रकट करना अपर्याप्त हो तो हमें हमारे विचार/राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट तैयार किए जाने की तिथि तक जुटाए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। हालांकि, भविष्य के कार्यक्रम या परिस्थितियां कंपनी के लाभकारी संस्था के रूप में काम करना बंद करने की वजह हो सकती हैं।
- प्रकटीकरणों समेत कुल प्रस्तुति, संरचना और भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन की सामग्री का आकलन करना और यह बताना कि क्या भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन अंतर्निहित लेनदेन एवं कार्यों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत कर रहा है।
- वित्तीय कथनों में, व्यक्तिगत रूप से या मिलीभगत से की गई गलत बयानी का डरावना परिणाम है भौतिकता, जिससे यह संभावना बनती है कि वित्तीय कथनों के उचित जानकार उपयोगकर्ता का आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकता है। हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे में योजना बनाने एवं हमारे कार्यों के परिणाम का आकलन करने और (ii) वित्तीय कथनों में किसी भी प्रकार के पाए गए गलत बयानी के प्रभाव का आकलन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ प्रशासन के प्रभारियों को लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे एवं समय और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमें मिलने वाली महत्वपूर्ण कमियों समेत लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों के बारे में बताते हैं।

हम शासी अधिकारियों को एक विवरण कथन भी प्रदान करते हैं जिसमें बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में और उनके साथ संवाद करने हेतु सभी संबंधों एवं अन्य मामलों में, हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार किया जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत की केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की उप–धारा (11) के संदर्भ में जारी की गई कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016('आदेश') के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामले कोई टिप्पणी नहीं की गई है क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत संचालन हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कंपनी को मिली छूट पर कथित आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकता के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं किः

   क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त किया जो हमारे लेखापरीक्षा के लिए हमारी जानकारी एवं विश्वास में आवश्यक थीं;

   ख) उपर क्वालिफायड ओपिनियन अनुच्छेद हेतु आधार में वर्णित मामले के प्रभाव को छोड़कर, हमारी राय में, कंपनी ने अब तक कानून द्वारा अपेक्षित लेखा–जोखा बनाए रखा था, लेखा–जोखा की जांच से यह पता चलता है;

   ग) इस रिपोर्ट में जांचे गए बैलेंस शीट, आय एवं व्यय खाता, इक्विटी में परिवर्तन के कथन और नकद प्रवाह कथन लेखा पुस्तिका के अनुसार हैं;

   घ) क्वालिफायड ओपिनियन के आधार में वर्णित मामलों को छोड़कर, हमारी राय में, उपर उल्लिखित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन अधिनियम की धारा 133 के तहत वर्णित भारतीय लेखांकन मानक का पालन करते हैं, इसे कंपनी अधिनियम (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाएगा;

   ङ) उपर क्वालिफायड ओपिनियन अनुच्छेद हेतु आधार में वर्णित मामले, हमारी राय में, कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैंय

च) चूँकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2), अधिसूचना सं. GSR–463 (E) दिनांक 05.06.2015 के संदर्भ में कंपनी पर लागू नहीं होती;

छ) खातों एवं अन्य मामलों के रख–रखाव के संबंध में योग्यता के बारे में उपर उल्लिखित क्वालिफायड ओपिनियन हेतु आधार के अनुच्छेद में बताया गया है;

ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों के संचालन प्रभावकारिता के संबंध में, हमारी रिपोर्ट का 'अनुबंध क' देखें। हमारी रिपोर्ट में वित्तीय रिपोर्टिंग में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं संचालन प्रभावकारिता पर क्वालिफायड ओपिनियन व्यक्त किया गया है;

झ) हमारे विचार से और हमें जो जानकारी एवं विवरण दिए गए थे, उसके अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर, अधिसूचना सं. GSR–463 (E) दिनांक 05.06.2015 के संदर्भ में सरकारी कंपनी पर धारा 197 के प्रावधान जिसे अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ा जाएगा, लागू नहीं हैं;

ञ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में, हमारी राय में और हमारी जानकारी एवं उपलब्ध कराए गए विवरणों के अनुसारः

i. कंपनी ने अपने भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथनों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव के बारे में बताया है (भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन नोट सं. 36 देखें);

ii. कंपनी का गौण अनुबंधों (डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स) समेत कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिससे कोई वस्तुगत नुकसान हो।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई धन हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं थी।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर हमारी अलग रिपोर्ट अनुबंध ख में संलग्न है।

अग्रवाल एंड सक्सेना के लिए
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 002405C)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 जुलाई, 2020

अक्षय सेठी
साझेदार
सदस्यता संख्या : 539439
यूडीआईएनः– 20539439AAAACN6992

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन पर स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

(उसी दिन की हमारी रिपोर्ट के खण्ड "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं" पर रिपोर्ट के तहत अनुच्छेद में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के उपखंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2020 तक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक. ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का, इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथनों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शन टिप्पणी ('मार्गदर्शन टिप्पणी/गाइडेंस नोट') में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना एवं उन्हें बनाए रखने को उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल है– कंपनी के कारोबार को व्यवस्थित एवं प्रभावी रूप से चलाना सुनिश्चित करने वाले पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रखरखाव करना। साथ ही कंपनी की नीतियों का पालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ी एवं गड़बड़ियों को रोकना और उसका पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता एवं कंपनी अधिनियम 2013, अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी विचार व्यक्त करना। हमने आईसीएआई द्वारा जारी एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित मार्गदर्शन टिप्पणी (गाइडेंस नोट) और लेखांकन मानकों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों ही भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों एवं मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार हमारे द्वारा नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया जाना था एवं क्या वित्तीय रिपोर्टिंग में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाई रखी गई थी एवं ऐसे नियंत्रण सभी वस्तुगत संदर्भों में प्रभावी तरीके से संचालित होते हैं, के बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा की योजना बनाना एवं लेखापरीक्षा करना था।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनकी संचालन प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल है–वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर समझ प्राप्त करना, वर्तमान वस्तुगत कमी के जोखिम का आकलन करना एवं आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन एवं संचालन प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना। चुनी गई प्रक्रिया लेखापरीक्षा के निर्णय पर निर्भर करती है। इसमें भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथनों की वस्तुगत गलतियों, चाहे वह धोखाधड़ी की वजह से हो या गलती से, के जोखिम का आकलन करना शामिल है।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं वे, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार हेतु पर्याप्त एवं उचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान

करने हेतु डिजाइन किया गया एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथनों को तैयार करने एक प्रक्रिया है। एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो (1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधि हो, विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन एवं निपटान को सटीक एवं निष्पक्षता से दर्शाती हों; (2) सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथनों को तैयार करने के लिए आवश्यक आश्वासन प्रदान करती हों और बताती हों कि कंपनी की प्राप्तियां एवं व्यय केवल प्रबंधन एवं कंपनी के निदेशकों की अनुज्ञा के अनुसार की जाती हैं; और (3) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों को अनधिकृत रूप से अधिगृहित, उपयोग या निपटान किए जाने को रोका या समय पर पता लगा लिए जाने का उचित आश्वासन प्रदान करती हों कि जिनका भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं की वजह से, नियंत्रणों को रद्द करने या अनुचित प्रबंधन की संभावना समेत, गलतियों या धोखाधड़ी के कारण वस्तुगत गलत बयानी हो सकती है और उसका पता भी नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा, भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कोई भी मूल्यांकन अनुमान परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त होने या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम होने के जोखिम के अधीन है।

क्वालिफायड ओपिनियन

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हमने निम्नलिखित मामलों के संबंध में 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय कथनों पर हमारी क्वालिफायड ऑडिट ओपिनियन तैयार किया है, जिसमें वर्तमान आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है:

क. वेंडर शेष का समन्वय/पुष्टि क्योंकि इसके कारण बकाया शेष में महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है;

ख. वेंडरों को प्रदर्शन बैंक गारंटी वापस करना क्योंकि इसकी वजह से दोषी वेंडरों से नुकसान की भरपाई न कर पाने की संभावना हो सकती है;

ग. उपलब्ध निधि के संभावित अपर्याप्त उपयोग से बचने के लिए ग्राहकों/विभागों द्वारा कंपनी के बैंक खाते में सीधे/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई धनराशी का लेखांकन;

घ. ग्राहकों से बकाया एवं वेंडरों से अग्रिम की वसूली एवं उनका फॉलो अप करना क्योंकि ऐसा न करने से ग्राहकों और वेंडरों के अग्रिम से बकाया देय में महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है; और

ङ. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन जिनका लेखांकन, वर्गीकरण एवं उपरोक्त के प्रकटीकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता हो।

च. कंपनी ने आय एवं व्यय बिल को दर्ज करते समय कट ऑफ प्रक्रियाओं एवं मिलान अवधारण (मैचिंग कॉन्सेप्ट) का पालन नहीं किया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में 'आर्थिक दुर्बलता (material weakness)' एक कमी या कमियों का संयोजन है जैसे कि इस बात की पूरी संभावना है कि कंपनी के वार्षिक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथनों में होने वाली महत्वपूर्ण गलत बयानी को रोका न जा सके या समय पर उनका पता न लगाया जा सके।

हमारे विचार से, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों को प्राप्त करने पर उपरोक्त वर्णित आर्थिक दुर्बलता के प्रभावों/संभावित प्रभावों के अलावा, कंपनी ने, सभी आर्थिक पहलुओं में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2020 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, यह भारतीय सनदी लेखांकन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार कर कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

हमने कंपनी की 31 मार्च 2020 तक की भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथनों की हमारी लेखापरीक्षा पर लागू होने वाली लेखापरीक्षा जांचों की प्रकृति, समय और सीमा के निर्धारण में उपर पहचान एवं रिपोर्ट की गई आर्थिक दुर्बलताओं पर विचार किया है और ये आर्थिक दुर्बलताएं कंपनी की भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथनों पर हमारे विचारों को प्रभावित नहीं करतीं।

अग्रवाल एंड सक्सेना के लिए
सनदी लेखाकार
(FRN002405C)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 जुलाई, 2020

अक्षय सेठी
साझेदार
सदस्यता सं.: 539439
यूडीआईएन : 20539439AAAACN6992

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवम महा लेखा – परीक्षक द्वारा जारी निर्देशो पर रिपोर्ट

1. **क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देन करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थों, यदि हो, के साथ–साथ खातों की प्रमाणिकता पर आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेन–देन की प्रक्रियाओं के प्रसंस्करण के आशय को बताया जा सकता है।**

   कंपनी के पास ईआरपी (ERP) लेखांकन सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देन प्रक्रिया संचालित करने की लेखांकन प्रणाली है जिसे पिछले वर्ष 01 जुलाई 2017 के दौरान प्रयोग में लाया गया था। हालांकि, पिछले वर्ष प्रयोग में लाए गए ईआरपी (ERP) सॉफ्टवेर का किसी बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सिस्टम ऑडिट करा कर सत्यापन नहीं कराया गया था। आंकड़ों की प्रमाणिकता में इस सिस्टम की संभावित कमियों के कारण भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय कथनों में बताए गए संपत्ति/देनदारियों और/या आय/व्यय प्रकटीकरण पर किसी प्रकार का प्रभाव, यदि हो, का वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सकता।

   इसके अलाव, अचल संपत्ति में वृद्धि/कमी/मूल्यह्रास के संबंध में लेखांकन हाथों से (मैनुअली) किया जाता है और फिर उसे ईआरपी (ERP) सिस्टम में डाला जाता है क्योंकि ईआरपी (ERP) में ऑटोमेशन मॉड्यूल नहीं है। इंसानी चूक के कारण होने वाली संभावित गलतियों से बचने के लिए कथित प्रक्रिया को जल्द–से–जल्द स्वचालित बनाए जाने की सलाह दी जाती है।

2. **क्या किसी वर्तमान ऋण का पुनर्गठन किया गया है या कंपनी की ऋण चुकाने की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण/कर्ज/ब्याज आदि पर छूट/बट्टा खाता में डाल देने का मामला है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।**

   लागू नहीं होता क्योंकि वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी पर कोई ऋण बकाया नहीं था। तदनुसार, कंपनी की ऋण चुकाने की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण/कर्ज/ब्याज आदि पर छूट/बट्टा खाता में डाल देने का कोई मामला नहीं था।

3. **केंद्र/राजकीय एजेंसियों से विशेष योजनाओं हेतु मिली/मिलने वाली धनराशि का, उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित तरीके से उपयोग किया गया? ऐसा न कर पाने वाले मामलों की सूची बनाएं।**

   वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी केंद्रीय/राजकीय एजेंसी से किसी प्रकार का धन न तो प्राप्त किया गया ना प्राप्य हुआ। इसलिए उनके उचित लेखांकन एवं उपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

अग्रवाल एंड सक्सेना के लिए
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या 002405C)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 जुलाई, 2020

अक्षय सेठी
साझेदार
सदस्यता सं.: 539439
यूडीआईएन: 20539439AAAACN6992

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक. के वित्तीय कथन पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा -परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेस इंक. (एनआईसीएसआई) के वित्तीय कथन तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त संवैधानिक लेखा परीक्षक/लेखापरीक्षको, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय कथनों पर अपने विचार देने के उत्तरदायी हैं। बताया गया है कि ऐसा दिनांक 29.07.2020 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, मैंने, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनआईसीएसआई के वित्तीय कथनों का पूरक लेखापरीक्षण किया था। यह पूरक लेखापरीक्षा, वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्यपत्रों के बिना स्वतंत्र रूप से की गई थी और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जिन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया और मेरे विचार से जो वित्तीय कथनों एवं संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्टों की बेहतर समझ के लिए अनिवार्य हैं।

1. बैलेंस शीट

परिसंपत्तियां– वर्तमान देयताएं–वित्तीय देयताएं

व्यापार देय (नोट सं. 19)– 24408.60 लाख रुपये

वर्ष 2019–20 के दौरान वेंडरों से प्राप्त की जाने वाली सेवाओं से संबंधित खर्चों का लेखा–जोखा नहीं होने के उपर बताए गए मद में 1118.02 लाख रुपये कम कर के बताया गया। इसमें खर्च की निम्नलिखित दो श्रेणियां हैं:

क) 675.96 लाख रुपये की सेवाएं जिनके लिए 28 फरवरी 2020 और 31 मार्च 2020 के बीच बिल प्रस्तुत किए गए थे।

ख) 442.06 लाख रुपये की सेवाएं जिनके लिए 01 अप्रैल 2020 और 23 जून 2020 के बीच बिल प्रस्तुत किए गए थे।

इसके परिणामस्वरूप ही वर्तमान देयताओं (व्यापार भुगतान) एवं व्यय में 1118.02 लाख रुपयों की कमी दर्शायी गई।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और उनकी तरफ से

ह0/–
(मनीष कुमार)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक
(वित्त एवं संचार)

तिथिरू 23–10–2020

स्थानः नई दिल्ली

BOARD OF DIRECTORS

(As on 31-03-2020)

Chairman	:	Shri S. Gopalakrishnan, IAS, Additional Secretary, MeitY
Director	:	Ms. Jyoti Arora, IAS, SS & FA, MeitY
		Shri Jaideep Mishra, JS, MeitY
		Dr. B. K. Murthy, Scientist-G, MeitY
		Smt. Geeta Kathpalia, Scientist-G, MeitY & DG, ERNET India (as IT Specialist)
		Shri Nagesh Shastri, DDG, NIC
		Mrs. Rachna Srivastava, DDG, NIC
		Shri Pawan Kumar Joshi, DDG, NIC
		Shri Shahid Ahmed, Scientist-G, NIC
		Shri K. Srinivasa Raghavan, Scientist-G & SIO (TN), NIC
		Shri Prakash Rao, Scientist-F & SIO (MP), NIC
		Shri Prashant Kumar Mittal, MD, NICSI
Company Secretary	:	Shri Sunny Jain
Auditors	:	M/s. Agarwal & Saxena (CR0604), Chartered Accountants, I-79, 7th Floor, Himalaya House, 23, K.G.Marg, New Delhi-110001
Registered Office	:	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15th, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Bankers	:	Union Bank of India, Bank of India, CGO Complex Lodhi Road, Union Bank Of India, Punjab National Bank, State Bank of India, Bhikaji Cama Place, New Delhi and ICICI Bank Ltd, safdarjung Enclave, New Delhi

BOARD OF DIRECTORS
(As on 30-09-2020)

Chairman	:	Dr. Rajendra Kumar, IAS, Additional Secretary, MeitY
Director	:	Ms. Jyoti Arora, IAS, SS & FA, MeitY
		Shri Jaideep Mishra, JS, MeitY
		Dr. B. K. Murthy, Scientist-G, MeitY
		Smt. Geeta Kathpalia, Scientist-G, MeitY & DG, ERNET India (as IT Specialist)
		Shri Nagesh Shastri, DDG, NIC
		Mrs. Rachna Srivastava, DDG, NIC
		Shri Pawan Kumar Joshi, DDG, NIC
		Shri Shahid Ahmed, Scientist-G, NIC
		Shri K. Srinivasa Raghavan, Scientist-G & SIO (TN), NIC
		Shri Prakash Rao, Scientist-F & SIO (MP), NIC
		Shri Prashant Kumar Mittal, MD, NICSI
Company Secretary	:	Shri Sunny Jain
Auditors	:	M/s. Agarwal & Saxena (CR0604), Chartered Accountants, I-79, 7th Floor, Himalaya House, 23, K.G.Marg, New Delhi-110001
Registered Office	:	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15th, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
Bankers	:	Union Bank of India, Bank of India, CGO Complex Lodhi Road, Union Bank Of India, Punjab National Bank, State Bank of India, Bhikaji Cama Place, New Delhi and ICICI Bank Ltd, safdarjung Enclave, New Delhi

NOTICE
25th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the Members of National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) that its 25th Annual General Meeting is scheduled to be held on Wednesday, 30th December, 2020, at 03:00 PM at Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003, to carry out the following business:

ORDINARY BUSINESS

To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March, 2020, the Income and Expenditure Account of the Company for the year ended 31st March, 2020, the Directors' Report along-with the Auditor's Report and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon, and

. To Fix the Remuneration of Statutory Auditors for Financial Year 2020-21 appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 142 of the Companies Act, 2013.

For and on behalf of the Board of Directors
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
(Sunny Jain)
Company Secretary
(M, No. A31700)

Place: New-Delhi
Date: 18.12.2020

NOTE:

1. A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself.
2. As per rule 19(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a member of a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (erstwhile section 25 of the Companies Act, 1956) shall not be entitled to appoint any other person as his / her proxy unless such other person is also a member of such company.
3. This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the company, not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

For and on behalf of the Board of Directors
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
(Sunny Jain)
Company Secretary
(M. No. A31700)

Place: New-Delhi
Date: 18.12.2020

NOTICE

Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting of National Informatics Centre Services incorporated (NICSI) will now be held at 05.00 PM on Wednesday 30th December 2020 at Conference Room No.4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003, instead of on 30th December 2020, at 03.00 PM. All the Shareholders and Directors are requested to kindly note the change and make it convenient to attend in the meeting.

For and on behalf of the Board of Directors
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
(Sunny Jain)
Company Secretary
(M.No.A 31700)

To:

The Chairman, NICSI
All the Members of the Board
All the Shareholders of NICSI

Directors' Report

Dear Shareholders,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Twenty Fifth Annual Report on the business and operations of National Informatics Centre Services Incorporated ("the Company") with the Audited Statement of Accounts and the Auditors' Report thereon for the Financial Year ended 31st March 2020.

Your Company has successfully completed 25 years of services on August 29, 2020.

The Summarized Financial Results for the year ended 31st March 2020, as compared with the previous year 2018-19, are as under:

Financial Highlights

(Rupees in Lakh)

S. No.	Description	2019-20	2018-19
(A)	**Income:**		
1	Sales	19,435.75	19,473.36
2	Services & Support	96,192.85	95,479.47
3	Interest / Other Income	10,302.89	9,080.50
	Total (A)	**125,931.49**	**124,033.33**
(B)	**Expenses:**		
1	Purchases*	17,829.00	24,139.51
2	Services & Support	79,126.55	85,252.84
3	Employees Remuneration and Benefits	856.31	1,092.63
4	Finance Cost	1,037.41	-
5	Depreciation	8,605.14	5,086.44
6	Other Expenses	5,177.70	18,248.79
	Total (B)	**112,632.11**	**133,820.21**
	Income/(loss) before tax (A) – (B)	**13,299.37**	**(9,786.87)**
6	Tax expenses	4223.17	(1263.53)
7	**Income/(loss) for the year**	**9076.20**	**(8523.35)**

* Includes Rs.5,804.99 Lakhs in F.Y. 2018-19 & Rs.26.79 Lakhs in F.Y.2019-20 towards augmentation of NIC District Infrastructure.

(1) <u>Operating Margin</u>

The Board of Directors in its 103rd meeting held on 29.09.2017 had approved the rates of NICSI's Operating Margin for all types of Projects / Services as under:

Project Value	% of Project Value
Up to Rs. 50 Crore	7 % [While implementation of the project, if value of the project decreases or equivalent to Rs. 50 Crore, NICSI will charge Operating Margin with prospective effect @ 7% only]
Above Rs. 50 Crore	5 % [While implementation of the project, if value of the project increases Rs. 50 Crore, NICSI will charge Operating Margin with prospective effect @ 5% only on the value in excess of Rs. 50 Crore]

(2) Dividend

The Company is registered under (earlier Section 25 of the Companies Act, 1956) Section 8 of the Companies Act, 2013 and as per the provisions of the Section, the Company is prohibited to pay any dividend to its members.

(3) Transfer to reserves

The Company has not transferred any amount to reserves.

(4) Grading By DPE

(i) Process for Evaluation

- DPE issues Guidelines every year to the CPSE's to enter into MoUs with Administrative Ministry (i.e. Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) in case of NICSI).
- DPE set up Inter-Ministerial Committee (IMC) on MoU consisting of the following:

1	Secretary, DPE	Chairman
2	Secretary of concerned administrative Ministry / Department or his representative not below the rank of Joint Secretary.	Member
3	Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation or his representative not below the rank of Joint Secretary.	Member
4	Additional Secretary, NITI Aayog or his representative not below the rank of Joint Secretary.	Member
5	Secretary DPE may co-opt any officer who is a Finance Expert in case the need is felt.	
6	Joint Secretary / Adviser (MoU), DPE would provide secretarial support to the committee.	

- Draft MoU, consisting of Financial and Non-Financial Parameters, is submitted by NICSI to its Board of Directors for approval before forwarding through MeitY to DPE.
- IMC negotiates the Parameters and fix the targets in the MoU in the meetings, in which JS Level Officer from MeitY/ NIC and NICSI officials are present.
- MoU is signed between NICSI and MeitY.
- After closure of Financial Year, the Audited Accounts, duly approved by the Board, are submitted to DPE along with the details in the prescribed proforma.
- Based on above, DPE evaluates actual performance of NICSI against targets in the MOU and declare grading.

(ii) Grading of NICSI by DPE

Financial Year	Grading by DPE as per MoU Composite Score based on Audited Data
2018-19	Poor
2017-18	Fair
2016-17	Excellent
2015-16	Excellent
2014-15	Excellent
2013-14	Very Good

(iii) Actual Performance on optional parameters against targets - MoU for F.Y. 2019-20

- Increase in number of Projects in difficult states like N/E, J & K, Uttarakhand, HP over previous years (%age) (8 Marks) : (-) 6.74%

  (180 Projects received in 2019-20 against 193 in 2018-19)

- Introduction of New products and Services (Nos.) (8 Marks) : 8

- % age increase in Number of e-Governance Projects from Central/ State/UT Governments/Organizations over previous year (%) : (10 Marks) : (-) 18.24%

  (1958 projects received in 2019-20, against 2395 in 2018-19)

- Trade receivables (Net) as number of days of Revenue from Operations (Gross) (No. of Days) (8 Marks) : 60

- Revenue from Centre of Excellence for Data Analytics as % of Revenue from operations (10 Marks) : 0.17%

(5) Ongoing Activities in F.Y.2019-20

National Knowledge Network (NKN Project)

Initiated in March, 2010, NKN Project is approved by the Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) for a period of 10 years at a cost of around Rs.5990 crore. NIC is the Implementing Agency for this project, while NICSI is assisting in procurement and providing IT Support. The Project is to establish high speed data communication network which would inter-connect institutions of higher learning and research to enable creation, acquisition and establishing of knowledge resources amongst them. It would also facilitate collaborative research, countrywide classrooms etc by commissioning links to the institutions connectivity to NIC District Centres, setting up Centres in the States/UTs. During F.Y.2019-20, NICSI has received Rs.274.64 crore from MeitY for this project, with total fund received till 31.03.2020 being Rs.4050.70 crore. However NKN Project has been extended by MeitY by one year i.e. up to March, 2021 within same financial outlay.

NICSI Data Centre (NDC) at Shastri Park, Delhi

NDC at Shastri Park, Delhi has been providing the services with disaster management facility to the Government Departments and their Organizations with State-of-art tier-III facility. The activities continued to function smoothly and successfully during the year. NICSI has upgraded some of the racks at the centre with Cloud facility, on which the expenditure of around Rs. 178.81 crore has been incurred in previous 4 years, out of the total approved outlay of Rs. 191.81 crore.

Data Centre at Laxmi Nagar, Delhi

NICSI has its own Data Centre at Laxmi Nagar with 62 racks out of which 45 racks are leased to end-users and remaining racks are for internal requirement. It is providing services to various government Ministries / Departments and their organizations in maintaining their data. Around 16-20 racks on lease are being upgraded by NICSI with cloud infrastructure at a cost of around Rs.53 crore (i.e. Rs.45 crore CAPEX & Rs.8 crore OPEX in 5 years.)

National Data Centre, Bhubaneswar, Odisha

NIC is having Data Centre Bhubaneswar with 50 racks. NICSI has provided Cloud facility on 14 racks thereat at a cost of Rs. 97.76 crore, with Rs. 45.52 crore incurred in F.Y.2019-20, Rs. 5.29 crore in previous year and the balance of Rs. 35.95 crore to be incurred in future. Remaining 36 racks are also being upgraded by NICSI with cloud infrastructure at a cost of around Rs.228 crore (i.e. Rs.211 crore CAPEX & Rs.17 crore OPEX in 3 phases involving 5 years.

NICSI Development Centre

The Development Centre on the 2nd floor at DMRC's IT Park, Shastri Park, Delhi with 417 workstations continued to provide services to the users towards implementation of the projects smoothly and satisfactorily.

(6) Other Projects

During F.Y. 2019-20, NICSI had received 1958 new projects for implementation, some of which are as under:

(i) Projects From MeitY

During the year, NICSI continued the activities under various projects from MeitY, as under:

Project Name
Aadhar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS)
Development of Common Minimum Framework (CMF)
Security Enhancement of NICNET
Establishing Security Evaluation Research & Exploratory Testing Centre joining by STQC Centre
Augmentation of facilities for Cyber Security Product Assurance
Website Quality Evaluation to support e- Governance Implementation in India
Web Internationalization, Standardization and W3C India Initiative.
Pro-Active Governance and Time Implementation (PRAGATI)
e-Mail Solution for Government of India
Securing the e-Mail Infrastructure for Government of India
Roll-out and Promotion of Open Government Data Platform for NDSAP.
National e-Gov AppStore at National Data Centre.
e-Hospital under Digital India Programme Training.
e-Taal

(II) Projects from Departments / Organizations (Other than MeitY)

Department / Organization	NICSI Project Code	Description
Supreme Court	C190040NWND	Procurement of N/W items for Supreme court Project additional Office Complex executed by CPWD
Department of Justice	C190396GNND	Procurement of Various items at eCourts MMP
Jaipur Vidhut Vitran Nigam Ltd (e-Power)	S190787GNRJ	Procurement of Various items at Jaipur Vidhut Vitran Nigam Ltd
Office of Comptroller and Auditor General of India (CAG)	C191325GNND	Procurement of Network Items by Comptroller and Auditor General of India (CAG)
IT Department South Delhi Municipal Corporation	C191481GNND	Procurement of Various items for IT Department South Delhi Municipal Corporation
National Testing Agency	C191593GNND	Councelling for National Testing Agency
RajComp Info Services Ltd.	S191733MPRJ	Hiring of Manpower by RajComp Info Services Ltd.
Data Harmonization for Realtime Insights and Security Threat (DHRISTI), National Cyber Security Co-ordinator, National Security Council Secretariat (NSCS)	C191952GNND	Procurement of Various items at National Cyber Security Co-ordinator, National Security Council Secretariat (NSCS)
Ministry of Road Transport and Highways (Integrated Road Accident Database)	C191856GNND	Procurement of Various items at Ministry of Road Transport and Highways

(7) Setting-up of new Business Divisions in NICSI.

Products Business Division (PBD)
PBD aims to facilitate Productization, Standardization & Promotion of NIC/NICSI software applications at national & international market in South Asean, African, Latin American etc. MEA consent to be obtained for each foreign project. Cost to be flexible as its development is met out of NIC Budget.
Central of Excellence for Data Analytics (CEDA)
Kick starting & fast tracking adoption of advanced analytic /machine learning capabilities by making it locus of expertise & excellence in Data Analytics field. It would provide quality data analytic services to Government Departments at all levels by identifying appropriate tools, technologies, deploying people with right expertise & help in solving complex policy issues.
Cloud Services & Data Centre Business Division
NICSI is implementing Cloud services from NDCs at Shastri Park, Pune & Bhubaneswar. New division has been set up to ensure more efficient & effective management of existing Cloud services & for future.

(8) Highlights for F.Y. 2019-20

		01.04.2019 to 31.03.2020 (in No.)	01.04.2018 to 31.03.2019 (in No.)
(a) Segment - wise-breakup of new projects received:	1. Hardware Items	5	**35**
	2. Website / Software Development	135	66
	3. Manpower	677	1120
	4. Network	45	72
	5. General Projects (combined of Hardware, Software, and Manpower etc.)	400	492
	6. Other projects (SMS/BAS/e-mail etc.)	653	610
	Total	**1915**	**2395**

(b) Segment-wise Work Orders (WOs) Details:		01.04.2019 to 31.03.2020		01.04.2018 to 31.03.2019	
		No. of WOs issued	Amount (Rs. in Crore)	No. of WOs issued	Amount (Rs. in Crore)
	Manpower	6743	738.19	7348	785.96
	Miscellaneous	135	58.36	100	176.60
	Network	259	35.55	369	54.23
	NKN	26	181.41	28	8.64
	Roll Out	147	10.19	121	5.83
	Security Audit	152	4.38	133	2.97
	SMS	674	47.84	442	39.23
	Website Development	167	71.78	150	100.58
	GeM	327	109.97	347	213.73
	LPC and Other	156	23.18	122	19.15
	Total	**8786**	**1280.85**	**9160**	**1406.92**

(c) Segment-wise Proforma Invoice (PIs) Details:		**01.04.2019 to 31.03.2020**		**01.04.2018 to 31.03.2019**	
		No. of PIs issued	**Amount (Rs. in Crore)**	**No. of PIs issued**	**Amount (Rs. in Crore)**
	Manpower	3989	718.62	5227	949.08
	Miscellaneous	60	49.40	49	94.07
	Network	239	40.98	446	130.42
	NKN	6	4.69	3	0.90
	Roll Out	68	9.44	65	5.94
	Security Audit	161	5.49	156	7.64
	SMS	2130	109.17	1596	136.09
	Website Development	236	115.08	205	124.73
	GeM	77	173.63	98	129.99
	Total	**6966**	**1226.50**	**7845**	**1578.86**
(d) Tenders Floated		**01.04.2019 to 31.03.2020 (in No.)**		**01.04.2018 to 31.03.2019 (in No.)**	
	No. of Open Tenders	10		19	
	No. of Limited Tenders	00		01	
	Total	**10**		**20**	
(e) MoU's / Agreements		**01.04.2019 to 31.03.2020 (in No.)**		**01.04.2018 to 31.03.2019 (in No.)**	
	Entered into by NICSI with different Departments / Organisations	55		51	

(9) Manpower

As per the manpower profile approved by the government through notification in the Gazette of India dated 03.03.1998, manpower in NICSI will be on temporary rotational deputation basis along with their posts from NIC.

The total staff strength in NICSI from NIC as on 31st March 2020 was 29.

(10) Particulars of Employees

None of the employees of the Company was in receipt of remuneration in excess of limits prescribed under rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

(11) Corporate Social Responsibility

National Informatics Centre Services Inc. (NICSI) is a Section 8 Company (Erstwhile Section 25 Company). NICSI's objective is to promote ICT Solutions and Technology and to apply its profits, if any, or other income in promoting its objects and prohibited to pay any dividend to its members.

The Board in its 99th Meeting held on 26th December, 2016 had constituted the CSR Committee, with the terms of reference as per below:

- To formulate and recommend to the Board, a CSR policy which shall indicate the activities to be undertaken by NICSI as per the Companies Act, 2013;
- To review and recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities to be undertaken by the company;
- To monitor the CSR policy of the Company from time to time;
- Any other matter as the CSR Committee may deem appropriate after approval of the Board of Directors or as may be directed by the Board of Directors from time to time.

The Company Secretary to NICSI shall act as Secretary to the CSR Committee.

The quorum for the CSR Committee Meeting shall be one-third of its total strength (any fraction contained in that one third be rounded off as one) or two members, whichever is higher.

The Board in its 112th Meeting held on January 28, 2020 had re-constituted the CSR Committee, comprising the following members:

Sr. No.	Name & designation	Designation
1	Dr. Jaideep Mishra, Joint Secretary, MeitY	Chairman
2	Shri Nagesh Shastry, DDG, NIC	Member
3	Ms. Rachna Srivastava, DDG, NIC	Member
4	Shri Pawan Joshi, DDG, NIC	Member

As per the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and other provisions, as applicable, the amount to be incurred on CSR activities for F.Y. 2019-20 by NICSI works out to Rs.40 Lakhs as per below:

(Rupees in Crore)

Financial year	Net Profit Before Tax	Average Net Profit in preceding 3 years	2% of Average Net Profit in preceding 3 years
2016-17	107.02	19.94	0.40
2017-18	50.65		
2018-19	(97.86)		

Item no. (viii) of the Schedule VII of the Companies Act, 2013, which enumerates activities that may be undertaken by companies in discharge of their CSR obligations, inter alia provides that contribution to any fund set up by the Central Government for socio-economic development and relief qualifies as CSR expenditure.

In view of the spread of novel Corona Virus (COVID-19) in India, its declaration as pandemic by the World Health Organization (WHO), and decision of Government of India to treat this as a notified disaster, Ministry of Corporate Affairs vide General Circular No.10/2020 dated March 23, 2020, clarified that spending of CSR funds for COVID-19 is eligible for CSR activity.

Further, the Government of India has set up the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund **(PM CARES Fund)** to provide relief to those affected by any kind of emergency or distress situation. Accordingly, any contribution made to the PM CARES Fund shall qualify as CSR expenditure under the Companies Act, 2013.

Further, Shri Injeti Srinivas, Secretary of Ministry of Corporate Affairs **("Government Authority")** has made an Appeal through website of Ministry of Corporate affairs to contribute generously to the PM CARES Fund, which may also include any unspent CSR amount, if applicable.

In addition to the above, the Government Authority has given the below relaxation/exemption/tax benefit to the Companies by contribution the funds to PM CARES Fund:

(a) If any company contributes to PM CARES Fund over and above the minimum prescribed amount, which can later be offset against the CSR obligation arising in subsequent years. And

(b) Any contribution made to PM CARES Fund by March 31, 2020 would also qualify for 80G exemption as applicable under the Income Tax Act, 1961. From April 1, 2020, only those companies that have chosen to remain in the old tax structure will get the said benefit.

In view of the above, the Company has contributed Rs.0.40 crore to PM CARES Fund on 31.03.2020 and the same is ratify by members of CSR Committee in their meeting held on June 26, 2020 and members of the Board of Directors in their meeting held on June 29, 2020.

(12) Corporate Governance

Corporate Governance is an ethically driven business process that is committed to values aimed at enhancing an organization's brand and reputation. This is ensured by taking ethical business decisions and conducting business with a firm commitment to values. At NICSI, it is imperative that our company affairs are managed in a fair and transparent manner. This is vital to gain and retain the trust of our stakeholders.

Number of Board Meetings and General Meetings Convened in Financial Year 2019-20

Sr. No.	F.Y. 2018-19	Date	Venue
1	110th Board Meeting	30-07-2019	Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003.
2	111th Board Meeting	25-09-2019	Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003.
3	112th Board Meeting	28-01-2020	Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003.
4	24th Annual General Meeting	26-09-2019	Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003.
5	Adjourned 24th Annual General Meeting	30-09-2019	Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003.
6	Extra Ordinary General Meeting	30-10-2019	National Informatics Centre, A-Block, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003.
7	Extra Ordinary General Meeting	10-12-2019	National Informatics Centre, A-Block, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003.

Note: 113th Board Meeting was scheduled to be held on Tuesday, March 31st, 2020 but could not be held due to sudden lock down in the Country w.e.f. March 25, 2020 due to spread of COVID-19 in the Country.

(13) Audit Committee

The Company, being a wholly owned Government Private Limited Company was not required to constitute an Audit Committee under Section 177 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014. However, the Board of Directors in its 99th meeting held on 26th December, 2016, keeping in view of good governance practices, had constituted the Audit Committee in NICSI to review its Financial and Audit matters and ensure that NICSI follows prescribed financial rules and regulations. The Company Secretary to NICSI shall act as Secretary to the Audit Committee.

The Board in its 112th meeting held on 28.01.2020, had re-constituted the Audit Committee, comprising the following members:

Sr. No.	Name & designation	Designation
1	Smt. Jyoti Arora, SS & FA , MeitY	Chairperson
2	Dr. Jaideep Mishra, Joint Secretary, MeitY	Member
3	Shri Nagesh Shastry, DDG, NIC	Member
4	Shri Shahid Ahmed, DDG, NIC	Member

The 5th meeting of the Audit Committee was held on 24-07-2020, in which the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2020 were considered and recommended for submission to the Board of Directors and the Shareholders.

(14) Declaration by Independent Directors

The Company was not required to appoint Independent Directors under Section 149(4) and Rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 hence no declaration has been obtained.

(15) Company's policy on directors' appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under sub-section (3) of section 178

The Company, being a wholly owned Government Private Limited Company was not required to constitute a Nomination and Remuneration Committee under Section 178(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 and Stakeholders Relationship Committee under Section 178(5) of the Companies Act, 2013.

(16) Extract of the Annual Return in Form MGT-9

Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. Form MGT 9 i.e. Extract of Annual Return is placed at Annexure.

(17) Material Changes and Commitments affecting financial position between the end of financial year and date of the Board report

There have been no material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the Company which have occurred between the end of the financial year of the Company to which the financial statements relate and the date of the report.

(18) Change in the nature of business

There is no change in the nature of business of the company.

(19) Annual Accounts for the Financial Year 2019-20 as per Ind AS

Annual Accounts for the Financial Year 2019-20 have been prepared as per Ind AS.

(20) The Conservation of Energy, Technological Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo

The information on Conservation of Energy and Technological Absorption is NIL. Foreign Exchange earnings was NIL and outgo of the company during the year was also NIL.

(21) Particulars of loans, guarantees or investments under section 186 of the Companies Act, 2013

During the year under review, the Company has not advanced any loans/ given guarantees/ made investments.

(22) Related Party Transactions

Particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 in the form AOC-2 of the Companies (Accounts) Rules, 2014

Related party transactions that were entered into during the financial year were on an arm's length basis and were in the ordinary course of business.

Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014:

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis: Nil

2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis: Nil

(23) Significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future

During the year under review there has been no such significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

(24) Subsidiary Company

As on March 31, 2020, the Company does not have any subsidiary.

(25) Auditors

M/s. Agarwal & Saxena (CR0604), Chartered Accountants, I-79, 7th Floor, Himalaya House, 23, K.G.Marg, New Delhi-110001 were appointed by the Comptroller and Auditor General of India as Statutory Auditors of the Company u/s 139 of the Companies Act, 2013, to audit the accounts of NICSI for the year ended 31st March 2020.

(26) Directors' Responsibility Statement

Pursuant to the requirement under section 134 (3) (c) of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the company hereby state that:

a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

e) the Directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.

f) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

(27) Acknowledgement

The Board places on record its gratitude to acknowledge the cooperation, assistance and guidance extended to the Company by Central and State Government Ministries/Departments / Organizations and PSUs etc. including NIC and MeitY. The Directors are also grateful to the Comptroller and Auditor General of India and Auditors for their cooperation. The Board expresses its sincere gratitude to the members, bankers and clients for their continued support. The Board also wholeheartedly acknowledges with thanks the dedicated efforts of all the staff and employees of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors
of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Chairman

Place: New Delhi

Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

as on the financial year ended on 31.03.2020

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i)	CIN	U74899DL1995NPL072045
ii)	Registration Date	29.08.1995
iii)	Name of the Company	National Informatics Centre Services Incorporated
iv)	Category / Sub-Category of the Company	Private Limited Section 25 (Now Section 8 Company) Company under National Informatics Centre, Department of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India.
v)	Address of the Registered office and contact details	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 Tel.: 91-11-26105054, 26105193
vi)	Whether listed company Yes / No	No
vii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	Nil

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated:

Sr. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/Service	% to total turnover of the company
1	ICT Solutions – Hardware and Software	-----	16.81
2	Manpower, Network and Others	-----	83.19

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sr. No.	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSUDUARY/ ASSOCIATES	% of shares held	Applicable Section
1	NIL				

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

(i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) **Indian**									
a) Individual/HUF									
b) Central Govt	NIL	200000	200000	100	NIL	200000	200000	100	NIL
c) State Govt (s)									
d) Bodies Corp.									
e) Banks / FI									
f) Any Other....									
Sub-total (A) (1)									
(2) **Foreign**									
a) NRIs -Individuals									
b) Other Individuals	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
c) Bodies Corp.									
d) Banks / FI									
e) Any Other....									
Sub-total (A) (2)									
Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)	NIL	200000	200000	100	NIL	200000	200000	100	NIL
B. Public Shareholding									
Institutions									
a) Mutual Funds									
b) Banks / FI									
c) Central Govt									
d) State Govt(s)									
e) Venture Capital Funds									
f) Insurance Companies									
g) FIIs									
h) Foreign Venture Capital Funds									
Others (specify)									
Sub-total (B)(1)									
2 .Non-Institutions									
a) Bodies Corp.									
i) Indian									
ii) Overseas									

Not Applicable

b) Individuals i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh c) Others (specify) **Sub-total (B)(2)**	**Not Applicable**								
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	Not Applicable								
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	Not Applicable								
Grand Total (A+B+C)	NIL	200000	200000	100	NIL	200000	200000	100	NIL

(ii) Shareholding of Promoters

Sr. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year			
		No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	% Change in share holding during the year
1	President of India through NIC	200000	100	NIL	200000	100	NIL	NIL
	Total	**200000**	**100**	**NIL**	**200000**	**100**	**NIL**	**NIL**

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
1		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
2	At the beginning of the year	No Change			
3	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
4	At the End of the year				

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	For Each of the Top 10 Shareholders	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	Not Applicable			
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc):				
	At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)				

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sr. No.		Shareholding at the Beginning of the year		Cumulative Shareholding during the Year	
	For Each of the Directors and KMP	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	NIL			
	Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment / transfer /bonus/sweat equity etc):				
	At the End of the year				

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of ASQ the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	**Not Applicable**			
Total (i+ii+iii)				
Change in Indebtedness during the financial year • Addition • Reduction				

Net Change	**Not Applicable**
Indebtedness at the end of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	
Total (i+ii+iii)	

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

NICSI is promoted by Government of India through National Informatics Centre (NIC), as a Private Limited Section 25 Company (Now Section 8 Company). As per Article 59(i) of the Articles of Association of the company, the Managing Director shall be appointed by the Director General, NIC on behalf of the President of India by deputing suitable officer of NIC.

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager		Total Amount (in Rs.)
		Shri Manoj Kumar Mishra (01.04.2019 to 13.02.2020)	**Shri Prashant Kumar Mittal (14.02.2020 to 31.03.2020)**	
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-Tax Act, 1961	Rs.36.81 Lakh	Rs.4.10 Lakh	Rs.40.91 Lakh
2	Stock Option	Not Applicable		
3	Sweat Equity			
4	Commission - as % of profit - others, specify...			
5	Others, please specify Total (A) Ceiling as per the Act			

B. Remuneration to other directors

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors			Total Amount	
		-----	-----	-----	-----	
	1. Independent Directors • Fee for attending board / committee meetings • Commission • Others, please specify	Not Applicable				
	Total (1)					

	2. Other Non-Executive Directors • Fee for attending board / committee Meetings • Commission • Others, please specify	Not Applicable
	Total (2)	
	Total (B)=(1+2)	
	Total Managerial Remuneration	
	Overall Ceiling as per the Act	

C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD

Sr. No.	**Particulars of Remuneration**	**Key Managerial Personnel Company Secretary**		
		Shri Girish Kumar (01.04.2019 to 04.08.2019)	**Shri Sunny Jain (16.12.2019 to 31.03.2020)**	**Total**
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income tax Act, 1961	Rs.3.48 Lakh	Rs.2.87 Lakh	Rs.6.35 Lakh
2	Stock Option	Not Applicable		
3	Sweat Equity			
4	Commission - as % of profit - others, specify...			
5	Others, please specify			

VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
Penalty	**NIL**				
Punishment					
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	**NIL**				
Punishment					
Compounding					

For and on behalf of the Board of Directors
of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Chairperson

Place: New Delhi

National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI)

Addendum to the Directors Report for Financial Year 2019-20

Replies to the Observations of the Statutory Auditors Report from M/s. Agarwal & Saxena, Chartered Accountants on the Accounts of NICSI for F.Y.2019-20

AUDIT OBSERVATION	NICSI REPLY
Basis for Qualified Opinion.	
1. The Company implemented the ERP accounting software w.e.f July 01, 2017 FY 2017-18 till March, 31st, 2020 without being validated by a Systems Audit carried out by an external independent agency. Impact, if any, on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure as disclosed in the Ind AS Financial Statements on account of possible system weakness in the data integrity is presently not ascertainable.	As per Audit advise on NICSI Accounts for F.Y. 2018-19, NICSI had taken up the matter with STQC Directorate, vide letter dated 14.11.2019, to undertake the assignment towards ERP validation and to intimate the fee to be charged for the same. Subsequently, the reminders have been sent to STQC Directorate on emails dated 13.02.2020 & 08.05.2020 towards the same. However, no reply from STQC Directorate is yet received and therefore, a Committee has been set-up in NICSI, vide office order No. 3 (1)/2020-Admn. dated 07.07.2020, to examine the matter of ERP Accounting Software Validation by an External Agency. The Committee is in process to examine the same.
2. In our opinion, the internal controls existing in the Company with respect to physical verification of Property Plant & Equipment, revenue recording, purchases recording, settlement of advances to employees reconciliation/ confirmation of vendor/user balances, process of releasing the Vendors Performance Bank Guarantees, direct deposits by clients into the bank account through e-payment/ otherwise and recovery of dues should be commensurate with the size and nature of its operations. (Refer to Annexure "A").	The existing internal control systems towards Property Plant & Equipment, revenue recording, purchases recording, settlement of advances to employees reconciliation/confirmation of vendor/ user balances, process of releasing the Vendors Performance Bank Guarantees, direct deposits by clients into the bank account through e-payment/ otherwise and recovery of dues have been strengthened during the year. However, due to COVID-19 lockdown, the progress has been relatively slow in following up these items with the concerned. All these activities would again be taken up vigorously, as soon as situation improves in the near future.
3. Balances relating to Trade Payables (Note 19), Trade Receivables (Note 10), Advances received from customers (Note 21), Earnest Money Deposits receipts (Note 20), Security deposits Payable (Note18), Advances to Suppliers (note no. 9 & 15) and Grants-in-aid received from customers (Note 21) are subject to the confirmations having been obtained/ received and/ or the consequential reconciliation being drawn up as at the year end. Impact, if any, on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure consequent to such confirmation and reconciliation is presently not ascertainable.	Balance Confirmation Letters have been issued towards the balances as on 31.03.2020. It is regular feature that such letters are issued to the Departments / Organisations etc. but very negligible response is received against the same. NICSI is in the process of getting it automated in its ERP system, so that such activities are immediately and properly implemented.

4. Reference is invited to Note No. 21 of the Ind AS financial statement with respect to the Advances received from customers amounting to Rs. 1,24,647.66 lakhs. Review of individual accounts reveals numerous customers wherein the balances have remained outstanding for more than 3 year as at the year end. These advances received mostly from Public Sector Undertakings (PSUs) and Government of India Ministries have been invested by the Company in Fixed deposits with various banks at varied rates of interest and maturity profiles. In view of the fact that such idle funds with respect to the Advance from Customers have remained unutilised and invested in Fixed Deposits, the management needs to review each such Advance and return the same based on the corresponding terms and conditions of the contract with each of the customer. In the absence of the documents, contracts and details being available in respect of each such Advance, the overall impact of matters referred to in the preceding paras on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure consequent to such details being available is presently not ascertainable.	NICSI receives thousands of new Purchase Orders from the various Government Departments / Organisations / Public Sector Enterprises. After completion of the activities against those orders, NICSI prepares the Final Settlement of Accounts statement and send the same to the concerned user, to reimburse the amount against the excess expenditure or to intimate the Bank details for refund of the unspent balances therein. While some of the users provide the Bank details, in many cases these are not received and thus, the unspent amounts remain with NICSI. However, as per Audit Observation, NICSI would take further efforts on priority to review such cases and to refund the unspent amounts to the users at the earliest.
5. The corresponding revenue of the work done for which the expenses incurred of Rs 496.91 lakhs were booked under various heads of Income and Expenditure Account in FY 2019-20 are recorded in the next financial year (i.e 2020-21) resulting into the non-compliance of matching concept. Consequently, that results in the understatement of Income before tax by Rs 531.69 lakhs and Revenue from Operations Rs. 531.69 lakhs respectively.	Against the amounts identified in the Report, NICSI has generated its income in F.Y. 2020-21. Audit advice has been noted for future compliance.
6. With reference to the note no. 66 of Income & Expenditure Account, the expenditure that is not recorded in the Ind-AS Financials of FY 2019-20 due to non-submission/ late submission of the invoices by the vendors has resultant into non-compliance of cut off procedures. Such bills are recorded in the subsequent reporting periods after post-approval by the competent authority. Impact, of such late recording of expenditures on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure on aid projects cannot be ascertained reliably due to non-availability of quantum of bills that were not submitted by vendors as on reporting date.	Fixing of a cut-off date to receive invoices from the vendors towards services rendered in previous year becomes necessary due to deposit of GST and filing of return there-against in time.

7. The Company has not complied with Ind AS 115 on "Revenue from Contracts with Customers" prescribed by the Companies (India Accounting Standards) Rules 2015 with respect to erroneously recognising revenue on Sales of goods at the time of generating the invoice in terms of the Significant Accounting Policy (Refer to Note 2 (vii)) instead of recognising the same at the time of transfer of "control" i.e. on acceptance of goods by the customer. Impact of the same on the reported income, loss and assets/ liabilities of the Company consequent to recognising revenue in terms of Ind AS 115 is presently not ascertainable.	As per NICSI Policy, it has been recognising its revenue at the time of generation of Invoice towards Sale of Goods. The company has duly complied with all the provisions and requirements of applicable Ind AS, while preparing the financials for F.Y.2019-20 and as per matching concept described by Ind AS 18 on Revenue recognition. NICSI is in the process of getting it automated in its ERP system, so that such activities are immediately and properly implemented.
Emphasis of Matter	
1. Reference is invited to note no. 46 whereby on account of the direction of the Ministry of Electronics & Information Technology during the year, the Company's Operating Margin with effect from FY 2018-19 was co-related and approved at 7% of the O&M expenditure and up-gradation cost of the basic/ ICT infrastructure. This has resulted in a substantial decrease in the operating margin accruing to the Company during the year with respect to the Shastri Park and Bhubaneswar National Data Centre with a resultant impact on the loss reported in the Income & Expenditure Account for the year.	The matter had been considered by NICSI Board of Directors, in its 108th meeting held on 27.12.2018. The Board after detailed deliberations had approved as under: ➢ NICSI may create a separate project pool account for NDCSP, Delhi and NDC, Bhubaneswar, Odisha; ➢ Income generated through Data Centre collocation services at NDC, SP, Delhi and NDC, Bhubaneswar, Odisha, shall be pooled under the proposed project head(s); ➢ This income shall be used for meeting the O&M expenditure and upgradation of both the National Data Centres basic infrastructure; ➢ In addition to existing 60 racks being used for co-location service at NDCSP by NICSI, NIC may add more racks to generate enough funds to meet the O & M expenses for years to come and also for upgrading of the basic infrastructure. ➢ NICSI would not incur Rs. 8 Crore per annum towards O & M expenditure of NDCSP from FY 2018-19 onwards. The revenue generated per annum through said 60 Racks and more racks to be added by NIC, would be utilized for meeting the O & M expenditure and upgradation of respective National Data Centres basic infrastructure. ➢ NICSI as per their norms would charge @7% Operating Margin and Taxes as applicable from FY 2018-19 onwards on the above mentioned O & M expenditure and expenditure to be incurred on up-gradation of respective National Data Centers basic and / or ICT infrastructure. NICSI has been charging its Operating Margin plus applicable taxes thereon accordingly since 01.04.2018 as per the said approved process by the Board
2. We draw attention to the note No. 40 of the Ind-AS Financial Statements whereby the conveyance/ title deed in respect of the building at Bhikaji Cama place, New Delhi amounting to Rs. 931.50 lakhs is pending for registration as at the year end.	NICSI has been following up with NBCC to get the conveyance/ title deed registered in respect of Hall No's 2 & 3 at the 6th floor of NBCC Tower, Bhikaji Cama Place, New Delhi purchased by NICSI in the years 2003 & 2000 respectively. In this regard, MD, NICSI has again referred the matter to CMD, NBCC, vide letter dated 17.07.2020. NICSI would however, continue to follow-up the matter with NBCC in future.

Qualified Opinion on Report towards Internal Financial Controls	
a. Reconciliation/confirmation of vendor balances as the same could potentially result in material misstatement of the outstanding balances;	Balance Confirmation Letters have been issued towards the balances as on 31.03.2020. It is regular feature that such letters are issued to the Departments / Organisations etc. but very negligible response is received against the same.
b. Release of the Performance Bank Guarantees of the vendors as it could potentially result in non-recovery of damages from defaulting vendors;	The audit observation has been noted and the status towards outstanding Performance Bank Guarantees (PBGs) would be reviewed. Based on the same, the amounts against the PBGs, for which the empanelment periodicity is over, would be refunded / released. NICSI is in the process of getting it automated in its ERP system, so that such activities are immediately and properly implemented.
c. Accounting of the amounts directly deposited/ electronically transferred in the bank account of the Company by the clients/departments to avoid possible inefficient utilization of the available funds;	The user departments/ organisations transfer the funds to NICSI through electronic mode. While most of such receipts are linked to the Purchase Orders, some of them remain un-identified despite various efforts. The audit observation has been noted and more efforts would be put-in in future to reconcile such amounts. Also, the concerned banks have been instructed to provide the links to identify the sources of fund received so that the matter could be taken up by NICSI with those customers. However, since 21.07.2020, this aspect would automatically be taken care of in the cases where the funds are being received through PFMS and for the other amounts, NICSI would be pursuing with the concerned banks in which the amounts are received.
d. Recovery and follow up of the dues from clients and advance to vendors as this could possibly result in a material misstatement of the outstanding dues from the Clients and Advance to Vendors; and	The audit observation has been noted and more efforts would be made in future to pursue with the clients and the vendors towards recovery or settlement of such amounts.
e. Physical verification of Property Plant & Equipment which could materially impact the accounting, classification and disclosure of the aforesaid.	Asset details are now being maintained in prescribed register with proper details towards their issue / disposal etc. Also, Physical Verification of all Assets is being carried out by a 3 member Committee each for NICSI HQ. (including SP & LNDC) and its State Units at the close of each financial year. Further, a Committee has been set-up in NICSI and the Asset items declared as obsolete/ unserviceable as on 31.03.2020 are in process for their auction / disposal as per provisions in the GFRs.
f. Company have not complied with cut off procedures and matching concept at the time of recording the income and expense bill.	Fixing of a cut-off date to receive invoices from the vendors towards services rendered in previous year becomes necessary due to deposit of GST and filing of return there-against in time.

For and on behalf of the Board of Directors
of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Chairperson

Place : New Delhi

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise
Under Section 8 of the Companies Act, 2013)

CIN: U74899DL1995NPL072045

Balance Sheet as at March 31, 2020

₹ in lakhs

Sl. No.	Particulars	Note No	As at 31-03-2020	As at 31-03-2019
	ASSETS			
1	**Non-current assets**			
	Property, Plant and Equipment	3	4,692.75	5,405.80
	Right of use assets	4	18,924.70	-
	Other Intangible assets	5	4,356.78	7,065.05
	Financial assets:			
	(a) Loans	6	107.08	701.43
	(b) Others Financial Assets	7	494.59	458.50
	Deferred Tax Assets (Net)	8	4,309.46	3,516.83
	Other non-current assets	9	1,164.64	1,677.48
2	**Current assets**			
	Financial assets:			
	(a) Trade receivables	10	18,987.52	17,398.08
	(b) Cash and cash equivalents	11	74,608.42	62,678.42
	(c) Bank balances other than '(b)' above	12	76,137.47	87,350.17
	(d) Others Financial Assets	13	4,060.72	4,479.16
	Current Tax Assets (Net)	14	14,148.29	14,034.31
	Other current assets	15	29,515.90	24,984.22
	Total Assets		**2,51,508.32**	**2,29,749.45**
	EQUITY AND LIABILITIES			
	Equity			
	Equity Share capital	16	200.00	200.00
	Other Equity	17	59,014.02	49,937.82

₹ in lakhs

Sl. No.	Particulars	Note No	As at 31-03-2020	As at 31-03-2019
	LIABILITIES			
	Non-current liabilities			
	Financial Liabilities			
	(a) Other financial liabilities	18	16,669.42	40.46
	Current liabilities			
	Financial liabilities:			
	(a) Trade payables	19		
	Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises		817.14	466.66
	Total outstanding dues of Other Than Micro Enterprises and Small Enterprises		23,591.47	34,465.51
	(b) Other financial liabilities	20	3,804.85	1,466.94
	Other current liabilities	21	1,47,336.90	1,43,097.54
	Provisions	22	74.52	74.52
	Total Equity and Liabilities		**2,51,508.32**	**2,29,749.45**
	Significant accounting policies and notes to accounts	2		

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002405C

Sd/-
Akshay Sethi
Partner
Membership No.539439

For and an behalf of the Board of Directors of
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Prashant Kumar Mittal
Managing Director
DIN: 08710751

Sd/-
Dr. Rajendra Kumar
Chairman
DIN:02677079

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Deepak Saxena
FA&CA

Place: New Delhi
Date: July 29, 2020

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise
Under Section 8 of the Companies Act, 2013)

CIN: U74899DL1995NPL072045

Income and Expenditure for the year ended 31.03.2020

₹ in lakhs

Sl. No.	Particulars	Note No.	Year ended 31-03-2020	Year ended 31-03-2019
	INCOME			
I	Revenue From Operations	23	1,15,628.59	1,14,952.83
II	Other Income	24	10,302.89	9,080.50
III	**Total Income (I+II)**		**1,25,931.48**	**1,24,033.33**
IV	**EXPENSES**			
	Purchases of Stock-in-Trade	25	17,829.00	24,139.51
	Services Support Expenses		79,126.55	85,252.84
	Employee benefits expenses	26	856.31	1,092.63
	Finance Cost	27	1,037.41	-
	Depreciation and amortization expenses	28	8,605.14	5,086.44
	Other expenses	29	5,177.70	18,248.79
	Total Expenses (IV)		**1,12,632.11**	**1,33,820.21**
V	**Income/(loss) before tax (III-IV)**		13,299.37	(9,786.87)
VI	**Tax expense:**		**4,223.17**	**(1,263.53)**
	(1) Current tax		4,820.17	752.37
	(2) Deferred tax		(792.63)	(3,662.45)
	(3) Tax for Earlier Years adjusted/(Written back)		195.63	1,646.55
VII	**Income/ (Loss) for the year from continuing operations (V-VI)**		**9,076.20**	**(8,523.35)**

₹ in lakhs

Sl. No.	Particulars	Note No.	Year ended 31-03-2020	Year ended 31-03-2019
VIII	**Other Comprehensive Income**		-	-
IX	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Income/ (Loss) and Other Comprehensive Income for the year)		**9,076.20**	**(8,523.35)**
X	**Earnings per equity share (Nominal value per share Rs.100):**			
	(1) Basic	30	4,538.10	(4,261.67)
	(2) Diluted	30	4,538.10	(4,261.67)

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts 2

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants

For and an behalf of the Board of Directors of National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Akshay Sethi
Partner
Membership No.539439

Sd/-
Prashant Kumar Mittal
Managing Director
DIN: 08710751

Sd/-
Dr. Rajendra Kumar
Chairman
DIN:02677079

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Deepak Saxena
FA&CA

Place: New Delhi
Date: July 29, 2020

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise
Under Section 8 of the Companies Act, 2013)

CIN: U74899DL1995NPL072045

Statement of Cash Flow for the year ended March 31, 2020

₹ in lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2020	Year ended March 31, 2019
Cash Flow from Operating Activities		
Surplus /(Deficit) before tax and extraordinary items	**13,299.37**	**(9,786.87)**
Adjustments for:		
Depreciation and amortization Expenses	8,605.14	5,086.44
Profit/(Loss) on sale of Property Plant & Equipment	(2.37)	(1.49)
Finance Cost	1,037.41	
Interest income	(8,161.28)	(6,644.77)
Provision/(Recoverable) for Doubtful Debts	(1,454.25)	9,588.17
Provision/(Recoverable) against Advances	(451.32)	1,712.20
Provision against Sales Tax & TDS & WCT	0.41	120.04
Operating Surplus /(Deficit) before Working Capital changes	**12,873.11**	**73.71**
Adjustments for :		
(Increase) /Decrease in trade receivables	(135.20)	1,848.91
(Increase) /Decrease in loans and advances and other assets	(4,322.32)	(546.63)
Increase/(Decrease) in trade payable & other liabilities	(8,405.61)	2,726.05
Cash Generated from Operations	**9.98**	**4,102.04**
Income tax Paid	(4,820.17)	(752.37)
Income tax for Previous Years	(195.63)	(1,646.55)
Interest of Earlier Year related to GIA Project	-	(4,766.01)
Net Cash inflow/(outflow) from Operating activities (A)	**(5,005.82)**	**(3,062.88)**
Cash Flow from Investing Activities		
Purchase of fixed assets	(2,823.15)	(8,582.47)
Investment in FDR	11,212.70	27,374.20
Sale of fixed assets	2.63	6.59
Intangible Asset under Development	-	-
Interest received	8,543.63	6,644.77

Net Cash inflow/(outflow) from Investing activities (B)	**16,935.82**	**25,443.10**
Cash Flow from Financing Activities		
Interest paid	-	-
Net Cash inflow/(outflow) from Financing activities (C)	-	-
Net increase /(decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	**11,930.00**	**22,380.22**
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	**62,678.42**	**40,298.21**
Cash and Cash Equivalents at the closing of the year	**74,608.42**	**62,678.42**

Notes

1) Cash and Bank Balances at the end of the year consist of Cash and Balances with Banks. The detail of these is as follows:

Particulars	**As at March 31, 2020**	**As at March 31, 2019**
Cash and Cash Equivalents		
Balances with Banks	32,287.27	28,395.00
Imprest Account	0.50	0.50
Other Bank Balances		
Fixed Deposits	42,320.65	34,282.92
	74,608.42	**62,678.42**

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002405C

Sd/-
Akshay Sethi
Partner
Membership No.539439

For and an behalf of the Board of Directors of
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Prashant Kumar Mittal
Managing Director
DIN: 08710751

Sd/-
Dr. Rajendra Kumar
Chairman
DIN:02677079

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Deepak Saxena
FA&CA

Place: New Delhi
Date: July 29, 2020

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise
Under Section 8 of the Companies Act, 2013)

CIN: U74899DL1995NPL072045

Statement of changes in equity for the year ended 31 March 2020

A. Equity share capital for issued, subscribed and paid up equity share of Re. 100/- each

₹ in lakhs

Particulars	Note	Amount
As at 1 April 2018	16	200.00
Changes during the year		-
As at March 31 2019	16	200.00
Changes during the year		-
As at March 31 2020	16	200.00

B. Other equity (Refer note 17)

₹ in lakhs

	Reserves and Surplus Retained earnings	Total other equity
As at March 31 2018	63,682.39	63,682.39
Interest related to GIA Project other than NKN (Refer Note No. 54)	(3,351.27)	(3,351.27)
Interest related to GIA Project NKN (Refer Note No. 54)	(1,414.74)	(1,414.74)
Depreciation for earlier years (Refer Note No. 57)	(455.22)	(455.22)
As at March 31 2018 (Restated)	**58,461.16**	**58,461.16**
Surplus/(Deficiency) for the year	(8,523.35)	(8,523.35)
As at March 31 2019	**49,937.82**	**49,937.82**
Surplus/(Deficiency) for the year	9,076.20	9,076.20
As at March 31 2020	**59,014.02**	**59,014.02**

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002405C

Sd/-
Akshay Sethi
Partner
Membership No.539439

For and an behalf of the Board of Directors of
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Prashant Kumar Mittal
Managing Director
DIN: 08710751

Sd/-
Dr. Rajendra Kumar
Chairman
DIN:02677079

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
FCS: 31700

Sd/-
Deepak Saxena
FA&CA

Place: New Delhi
Date: July 29, 2020

National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise Incorporated Under Section 8 as per Companies Act, 2013)

Notes to the Financial Statements for the year ended March 31, 2020

1. Corporate Information

National Informatics Centre Services Inc. ('The Corporation') was incorporated on August 29, 1995 under Section-25 of the Companies Act, 1956 (Now section 8 of Companies Act, 2013) under National Informatics Centre ('NIC'), Ministry of Communications & Information Technology, Government of India. The Corporation is engaged to provide Total IT Solutions to the Government Ministries/Departments/Organizations.

The Financial Statements were authorised for issue in accordance with a resolution of the Board of Directors dated July 29, 2020.

2. Significant Accounting Policies

i. Basis of Preparation of Financial Statements

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Accounting standards(herein after refer to 'Ind AS') as notified by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016 issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for the following assets and liabilities which have been measured at fair value:

- Certain financial assets and liabilities measured at fair value (refer accounting policy regarding financial instruments).

The financial statements have been prepared on going concern basis in accordance with accounting principles generally accepted in India.

The financial statements are presented in Indian Rupees (INR), which is also the Company's functional currency. All amounts disclosed in the financial statements and notes have been rounded off to the nearest to lakhs rupees as per the requirement of Schedule III, unless otherwise stated. Rounding of errors has been ignored.

ii. Current Vs Non-Current Classification of Assets & Liabilities:

An Asset is treated as Current when it is:

- Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle;
- Held primarily for the purpose of trading;
- Expected to be realized within 12 months after the reporting period;
- Cash or Cash Equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as Non-Current.

A Liability is treated as Current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle;
- It is held primarily for the purpose of trading;
- It is due to be settled within 12 months after the reporting period, or

- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as Non-Current.

Deferred Tax Assets & Liabilities are classified as Non-Current Assets & Liabilities.

The Operating Cycle is the time between the acquisition of assets for processing & their realization in cash & cash equivalents. The Corporation has identified 12 months as its operating cycle.

iii. Property Plant & Equipment (PPE) & Depreciation

(a) Recognition and initial measurement

Property, plant and equipment are stated at their cost of acquisition. On transition to Ind-AS, the company had elected to measure all of its property, plant and equipment at the previous GAAP carrying value (deemed cost)

The cost comprises purchase price, borrowing cost, if capitalization criteria are met and directly attributable cost of bringing the assets to its working condition for the intended use. Any trade discount and rebate are deducted in arriving at the purchase price. Subsequent cost is included in the asset's carrying amount or recognised as separate assets, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the items will flow to the company. When significant parts of plant and machinery are required to be replaced at intervals, the company depreciates them separately based on their useful lives. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the plant and equipment are replacement if the recognition criteria is satisfied. All other repair and maintenance costs are recognised in the statement of profit or loss as incurred.

(b) Subsequent measurement (depreciation and useful live)

Depreciation on the items of PPE has been provided on the Written Down Value Method & at the rates as prescribed in Schedule II of the Companies Act, 2013. The Corporation has determined the useful life of all the items of PPE in alignment with Schedule II of the Companies Act, 2013.

The residual values, useful lives and method of depreciation are reviewed at the end of each financial year.

(c) Derecognition

An item of property, plant and equipment and any significant part initially recognised is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the income statement when the asset is derecognised. The residual values, useful lives and methods of depreciation of property, plant and equipment are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

Gains or losses arising from de-recognition of Property, plant and equipment are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the statement of profit and loss when the asset is derecognized.

iv. Intangible Assets and Amortization

The intangible assets have been initially measured at costs. The intangibles assets have been subsequently measured at costs less accumulated amortization & accumulated impairment losses. The useful life of the intangible assets may be finite or infinite. Intangible assets with finite lives have been amortized over their useful economic life as per the Written Down Value Method. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognized in the statement of Income and Expenditure unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

As per companies act, costs relating to computer software and server are capitalized and amortized on straight line method over their estimated useful economic life of three years and six years respectively. Costs relating to ERP software are capitalized and amortized on straight line method over its estimated useful economic life of ten years.

v. Financial instruments

a financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial recognition and measurement

All financial assets are recognised initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction costs that are attributable to the acquisition of the financial asset. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognised on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the asset.

Subsequent measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in following categories:

Debt instruments at amortised cost

A 'debt instrument' is measured at the amortised cost if both the following conditions are met:

a) The asset is held within a business model whose objective is to hold assets for collecting contractual cash flows, and

b) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

All financial liabilities are recognized at fair value on initial recognition. Transaction costs that are directly attributable to the issue of financial liabilities, that are not at fair value through income or loss are added to the fair value on initial recognition. After initial measurement, such financial liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in finance income in the profit or loss. The losses arising from impairment are recognised in the profit or loss.

Debt instruments at fair value through other comprehensive income (FVTOCI)

A 'debt instrument' is classified as at the FVTOCI if both of the following criteria are met:

a) The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and

b) The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the P&L. On derecognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from the equity to P&L. Interest earned whilst holding FVTOCI debt instrument is reported as interest income using the EIR method.

Debt instruments at fair value through profit or loss (FVTPL)

FVTPL is a residual category for debt instruments. Any debt instrument, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as at FVTPL.

In addition, the company may elect to designate a debt instrument, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. However, such election is allowed only if doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency (referred to as 'accounting mismatch'). The company has not designated any debt instrument as at FVTPL.

Debt instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the P&L.

Equity investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading and contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which Ind AS103 (Business Combinations) applies are classified as at FVTPL. The classification is made on initial recognition and is irrevocable.

If the company decides to classify an equity instrument as at FVTOCI, then all fair value changes on the instrument, excluding dividends, are recognized in the OCI. There is no recycling of the amounts from OCI to P&L, even on sale of investment. However, the company may transfer the cumulative gain or loss within equity.

Equity instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the P&L.

De-recognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized when:

The rights to receive cash flows from the asset have expired, or

The respective company has transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed the obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass- through' arrangement And

Either the Company:

(a) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or

(b) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognise the transferred asset to the extent of the continuing involvement of Company. In that case, the Company also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the company could be required to repay.

Impairment of financial assets

In accordance with Ind AS 109, the company applies expected credit loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets and credit risk exposure:

a) Financial assets that are debt instruments, and are measured at amortised cost e.g., loans, debt securities, deposits, trade receivables and bank balances.

The company recognizes impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, right from its initial recognition.

ECL impairment loss allowance (or reversal) recognized during the period is recognized as income/expense in the statement of profit and loss (P&L).

vi. Fair value measurement

The Company measures financial instruments, at fair value at each balance sheet date.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability, or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest. The fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimising the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable
- Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy

At each reporting date, the management of the Company analyses the movements in the values of assets and liabilities which are required to be remeasured or re-assessed as per the accounting policies of the Company.

For assets and liabilities that are recognised in the Financial Statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

This note summarises the accounting policy for determination of fair value. Other fair value related disclosures are given in the relevant notes as following:

- Disclosures for significant estimates and assumptions
- Quantitative disclosures of fair value measurement hierarchy
- Financial instruments (including those carried at amortised cost)

vii. Revenue from contracts with customers

Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognised: -

Revenue in respect of sale of goods/service

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Corporation & the revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, taking into account the contractually defined terms of payment & excluding taxes or duties collected on behalf of the government.

Revenue in respect of sale of goods/stock & sale items is recognized at the time of generation of invoice or at the time when controls of the goods have passed to the buyers, usually on delivery of the goods and proof of delivery. Revenue from the sale of goods is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of returns & allowances, trade discounts & volume rebates.

Revenue in respect of sale of service is recognized at the time of generation of invoice or at the time when service completed to the buyers, usually on proof of service. Revenue from the sale of service is measured at the fair value of the consideration received or receivable.

The Corporation recognizes operating margin at the slab rates prescribed from time to time depending upon the project costs. Usually the operating margin rates are inversely proportionate to the project costs i.e. higher the project costs, lower the operating margin rate. Any subsequent decrease in operating margin rate on account of an increase in project costs is accounted for by issuing corresponding credit notes at the yearend or at the time of project closing. The Credit Notes so issued are netted off from the respective heads of income.

Interest income

For all debt instruments measured either at amortised cost or at fair value through other comprehensive income, interest income is recorded using the effective interest rate (EIR). EIR is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the gross carrying amount of the financial asset or to the amortised cost of a financial liability. When calculating the effective interest rate, the company estimates the expected cash flows by considering all the contractual terms of the financial instrument (for example, prepayment, extension, call and similar options) but does not consider the expected credit losses. Interest income is included in finance income in the statement of profit and loss.

viii. Advance for Grant- in- project from different Ministries/Departments of Government.

NICSI received advance for Sales of good and service from different Ministries/ Departments of Government. These transactions are normal trading transaction of the entity. Advance received for Ministries disclosure in the financial statements has been made separately under the head 'Other Current Liabilities' as 'Grant in Aid received from Customers', as these are normal trading transactions. These advances are utilized for the purposes of execution of respective projects and if there is balance available with NICSI at the close of the respective Project, the same is refunded to the Grantor Institution along with the interest (if any). All the grant in aid amounts are received for the Projects only.

NICSI implements various orders from the government departments/ organizations towards procurement of hardware/ software and providing manpower. It takes Operating Margin on the Total cost of each order, as per the rates approved by its Board of Directors from time to time. NICSI receives fund against those orders from the departments/ organizations as advances. No other form of government assistance is received by NICSI, from which it is directly benefited. There is no grant of monetary or non-monetary asset given to NICSI at concessional rate or free of cost.

NICSI fulfils all the terms & conditions attached to the administrative approvals/ sanctions towards release of grants-in-aid by the Ministries/ Departments.

ix. Inventories

The Cost of Inventories comprises all cost of purchase, cost of conversion and other cost incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Inventories (including inventory of software's) have been valued at cost or net realizable value, whichever is lower on the First-In-First-Out (FIFO) method. Consumable stores have been charged to revenue in the year of purchase, being negligible.

x. Retirement Benefits

As per arrangement with NIC, the amount towards leave salary and pension contribution are calculated on basic pay and grade pay of the respective employee based on the percentage prescribed by Government of India and passed on to NIC. The Company is not liable to pay any other retirement benefits to employees, which shall entirely be borne by NIC in future.

xi. Prior Period Items

Prior Period items are omissions/misstatements in an entity's earlier period financial statements, including balance sheet misclassifications. Ind AS 8 requires the rectification of prior period errors retrospectively in the first set of financial statements approved, after their discovery, by restating the comparative amounts for the prior periods presented in which the error occurred. However, if such restatement is impracticable i.e. when an entity can't apply it after making every reasonable effort to do so, then Ind AS doesn't require restatement of such prior period items in comparatives of earlier periods.

xii. Events after the Reporting Period

The Corporation, in each year, is in receipt of a few expenditure invoices pertaining to the reporting period, after the reporting period. The expenditure invoices, pertaining to a reporting period, which are received by the Corporation after the reporting period but before the management approved cut-off date or the approval of audited financial statements by the Corporation's Board of Directors are considered as adjusting events after the reporting period & are accounted for in the reporting period to which they pertain. The corresponding income on such expenditure invoices is also accounted for in the same reporting period. The expenditure invoices, pertaining to a reporting period, which are received by the Corporation after the reporting period & even after the management approved cut-off date or the approval of audited financial statements by the Corporation's Board of Directors, are considered as non-adjusting events after the reporting period & are accounted for in the reporting period in which they are received. The corresponding income is also accounted for in the reporting period in which the expenditure invoices are received & accounted for.

xiii. Leases

The company has applied Ind AS 116 using the modified retrospective approach and therefore the comparative information has not been restated and continues to be reported under Ind AS 17.

As a lessee

The company recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. The estimated useful lives of right-of-use assets are determined on the same basis as those of property and equipment. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses, if any, and adjusted for certain re-measurements of the lease liability.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate (i.e. average interest rate of government bond -7.75%).

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

– Fixed payments, including in-substance fixed payments.

– Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;

– Amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and

– The exercise price under a purchase option that the company is reasonably certain to exercise, lease payments in an optional renewal period if the company is reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the company is reasonably certain not to terminate early.

The lease liability is measured at amortised cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the company's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if company changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use asset, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The company presents right-of-use assets that do not meet the definition of investment property in 'property, plant and equipment' and lease liabilities in 'other financial liabilities' in the Balance Sheet.

Short-term leases and leases of low-value assets

The company has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for shortterm leases of real estate properties that have a lease term of 12 months. The company recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

A lease is classified at the inception date as a finance lease or an operating lease. A lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership to the Company is classified as a finance lease. Finance leases are capitalised at the commencement of the lease at the inception date fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are recognised in finance costs in the statement of profit and loss, unless they are directly attributable to qualifying assets, in which case they are capitalized in accordance with the Company's general policy on the borrowing costs. Contingent rentals are recognised as expenses in the periods in which they are incurred.

A leased asset is depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the company will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

Operating lease payments are recognised as an expense in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the lease term.

The determination of whether an arrangement is (or contains) a lease is based on the substance of the arrangement at the inception of the lease. The arrangement is, or contains, a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

Arrangements containing a lease have been evaluated as on the date of transition i.e. 1st April 2016 in accordance with Ind-AS 101 First-time Adoption of Indian Accounting Standards for classification as finance or operating lease as at the date of transition to Ind AS basis the facts and circumstances existing as at that date.

xiv. Income taxes

Current income tax

Current income tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date in India.

Current income tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity). Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

Current income tax assets and liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off these.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences.

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. Unrecognised deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered.

In situations where company is entitled to a tax holiday under the Income-tax Act, 1961, enacted in India, no deferred tax (asset or liability) is recognized in respect of temporary differences which reverse during the tax holiday period.

Deferred taxes in respect of temporary differences which reverse after the tax holiday period are recognized in the year in which the temporary differences originate.

However, the company restricts the recognition of deferred tax assets to the extent that it has become reasonably certain that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in OCI or equity). Deferred tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

Minimum Alternate Tax

Minimum Alternate Tax (MAT) paid in accordance with the tax laws, which gives future economic benefits in the form of adjustment to future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax. Accordingly, MAT is recognised as an asset in the Balance Sheet when it is probable that future economic benefit associated with it will flow to the Company.

xv. Impairment of non-financial assets

The company assess, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the company estimate the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating units (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or group of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre -tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded companies or other available fair value indicators.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognised impairment losses no longer exist or have decreased. If such indication exists, the company estimates the asset's or CGU's recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The reversal is limited so that the carrying of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the Statement of Profit or Loss unless the asset is carried at a revalued amount, in which case, the reversal is treated as an increase in revaluation.

xvi. Impairment of Financial Assets/Provision for Bad & Doubtful Debts

A provision @5% is recognized towards Trade Receivables which are outstanding for more than three years at Balance Sheet date.

xvii. Earnings per equity share

Basic earnings per equity share is computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share is computed by dividing the net profit attributable to the equity holders of the Company by the weighted average number of equity shares considered for deriving basic earnings per equity share and also the weighted average number of equity shares that could have been issued upon conversion of all dilutive potential equity shares. The dilutive potential equity shares are adjusted for the proceeds receivable had the equity shares been actually issued at fair value (i.e. the average market value of the outstanding equity shares). Dilutive potential equity shares are deemed converted as of the beginning of the period, unless issue data later date. Dilutive potential equity shares are determined independently for each period presented.

The number of equity shares and potentially dilutive equity shares are adjusted retrospectively for all periods presented for any share splits and bonus shares issues including for changes effected prior to the approval of the financial statements by the Board of Directors."

xviii. Provisions and Contingencies

A provision is recognized when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Long term provisions may be discounted to their present values at an appropriate risk adjusted discounted rate. Short term provisions are not required to be discounted. The provisions are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. Provisions are also required to be created in respect of constructive obligations. However, the Corporation was not having any constructive obligations in the reporting period.

Contingent liabilities are disclosed in respect of possible obligations that have arisen from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of future events not wholly within the control of the Company.

xix. Cash and Cash-Equivalents

Cash and short-term deposits in the balance sheet comprise cash at banks and cash in hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value.

Cash and cash equivalents include bank overdrafts are form an integral part of Company's cash management."

2.1 Significant accounting judgements, estimates and assumptions

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements. Estimates and assumptions are continuously evaluated and are based on management's experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of assets or liabilities affected in future periods.

In particular, the Company has identified the following areas where significant judgements, estimates and assumptions are required. Further information on each of these areas and how they impact the various accounting policies are described below and also in the relevant notes to the financial statements. Changes in estimates are accounted for prospectively.

Judgements

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgements, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

Contingencies

Contingent liabilities may arise from the ordinary course of business in relation to claims against the Company, including legal, contractor, land access and other claims. By their nature, contingencies will be resolved only when one or more uncertain future events occur or fail to occur. The assessment of the existence, and potential quantum, of contingencies inherently involves the exercise of significant judgments and the use of estimates regarding the outcome of future events.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market change or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

(a) Impairment of non-financial assets

The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs of disposal and its value in use. It is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded subsidiaries or other available fair value indicators.

(b) Fair value measurement of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the DCF model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

(c) Impairment of financial assets

The impairment provisions for financial assets are based on assumptions about risk of default and expected loss rates. The Company uses judgments in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation, based on Company's past history, existing market conditions as well as forward looking estimates at the end of each reporting period.

Recognition of deferred tax assets – The extent to which deferred tax assets can be recognized is based on an assessment of the probability of the future taxable income against which the deferred tax assets can be utilized.

2.2 Recent accounting pronouncements Ind AS 116:

Issue of Ind AS 117 – Insurance Contracts

Ind AS 117 supersedes Ind AS 104 Insurance contracts. It establishes the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of insurance contracts within the scope of the standard. Under the Ind AS 117 model, insurance contract liabilities will be calculated as the present value of future insurance cash flows with a provision for risk. Application of this standard is not expected to have any significant impact on the Company's financial statements.

Amendments to existing Standards

Ministry of Corporate Affairs has carried out amendments of the following accounting standards:

1. Ind AS 103 – Business Combination
2. Ind AS 1, Presentation of Financial Statements and Ind AS 8, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
3. Ind AS 40 – Investment Property

The Company is in the process of evaluating the impact of the new amendments issued but not yet effective.

3. Property, plant and equipment

₹ in Lakhs

Particulars	Buildings	Furniture and Fixtures	Vehicles	Office Equipments	Computers	Total
Cost						
As at April 1, 2018	1,985.85	563.70	7.02	3,977.22	6,940.44	13,474.23
Additions	-	1,028.01	-	339.72	77.83	1,445.56
Disposals	-	-	-	18.35	88.72	107.07
As at March 31, 2019	**1,985.85**	**1,591.71**	**7.02**	**4,298.59**	**6,929.55**	**14,812.72**
Additions	-	7.96	-	37.06	70.52	115.55
Disposals	-	-	-	0.46	4.92	5.37
As at March 31, 2020	**1,985.85**	**1,599.67**	**7.02**	**4,335.20**	**6,995.16**	**14,922.90**
Depreciation						
As at April 1, 2018	1,012.65	471.01	6.27	2,167.18	4,075.65	7,732.76
Depreciation charge for the year	47.61	288.55	0.25	771.73	212.76	1,320.91
Depreciation for earlier years (Refer Note No. 57)		455.22				455.22
Impairment Loss	-	-	-	-	-	-
Disposals	-	-	-	17.43	84.54	101.97
As at March 31, 2019	**1,060.26**	**1,214.79**	**6.52**	**2,921.47**	**4,203.88**	**9,406.92**
Depreciation charge for the year	45.28	97.33	0.17	545.78	139.78	828.34
Impairment Loss	-	-	-	-	-	-
Disposals	-	-	-	0.43	4.68	5.11
As at March 31, 2020	**1,105.55**	**1,312.12**	**6.68**	**3,466.82**	**4,338.98**	**10,230.15**
Net book value :						
As at March 31, 2020	880.31	287.55	0.33	868.38	2,656.18	4,692.75
As at March 31, 2019	925.59	376.92	0.50	1,377.12	2,725.67	5,405.80

4. Right of use assets

₹ in Lakhs

Particulars	Right of use assets	Total
As at April 01, 2019	21,285.61	21,285.61
Additions		-
Disposals	-	-
As at March 31, 2020	**21,285.61**	**21,285.61**
Amortisation		
Amortisation charge for the year	2,360.92	2,360.92
As at March 31, 2020	**2,360.92**	**2,360.92**
Net book value :		
As at March 31, 2020	**18,924.70**	**18,924.70**

5 - Other Intangible Assets

₹ in Lakhs

Particulars	Software	Total
Cost		
As at April 1, 2018	7,738.80	7,738.80
Additions	7,136.91	7,136.91
Disposals		-
As at March 31, 2019	**14,875.70**	**14,875.70**
Additions	2,707.60	2,707.60
Disposals	-	-
As at March 31, 2020	**17,583.31**	**17,583.31**
Amortisation		
As at April 1, 2018	4,045.12	4,045.12
Amortisation charge for the year	3,765.53	3,765.53
Impairment Loss	-	-
Disposals	-	-
As at March 31, 2019	**7,810.65**	**7,810.65**
Amortisation charge for the year	5,415.88	5,415.88
Impairment Loss	-	-
Disposals	-	-
As at March 31, 2020	**13,226.53**	**13,226.53**
Net book value :		
As at March 31, 2020	**4,356.78**	**4,356.78**
As at March 31, 2019	**7,065.06**	**7,065.06**

Note No. - 6 - Loans

₹ in Lakhs

Particulars	Non-current	
	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Security deposits		
Unsecured, considered good	107.08	701.43
TOTAL	**107.08**	**701.43**

Note: - Non-current Security Deposit have been discounted to their present value using a pre-tax undiscount rate of NIL (PY 10.85%) per annum.

Note No. - 7 - Other Financial Assets

₹ in Lakhs

Particulars	Non-current	
	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Fixed Deposits		
Bank Deposit with remaining maturity more than 12 months*	291.60	291.60
Interest Accrued on Fixed Deposits		
Interest Accured	202.99	166.90
TOTAL	**494.59**	**458.50**

* Fixed Deposit mortgaged against Bank Guarantee.

8. Deferred Tax

The major components of income tax expense for the year.

A. Income and Expenditure Account:

₹ in Lakhs

	Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
(i)	**Income or Loss Section**		
	Current income tax charge	4,816.73	752.37
	Adjustments in respect of current income tax of previous year	195.63	1,646.55
	Deferred tax:		
	Relating to origination and reversal of temporary differences	(792.63)	(3,662.45)
	Income tax expense reported in the Income and Expenditure Account	**4,223.17**	**(1,263.53)**
(ii)	**Other Comprehensive Income (OCI) Section**		
	Deferred tax related to items recognised in OCI during the year:	-	-
	TOTAL	**4,223.17**	**(1,263.53)**

B. Reconciliation of tax expense and the accounting profit multiplied by India's domestic tax rate for FY ended 31 March 2019 and 31 March 2020:

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31 2020	As at March 31 2019
Accounting Income before tax from continuing operations	13,299.37	(9,786.87)
Income before tax from a discontinued operation	-	-
Accounting Income before income tax	**13,299.37**	**(9,786.87)**
At India's statutory income tax rate of 34.944% (31 March 2019: 34.944%)	4,647.33	(3,419.93)
Adjustments in respect of current income tax of previous years	195.63	1,646.55
Government grants exempted from tax		-
Exempt income		-
Other Assets	(646.70)	-
Non-deductible expenses for tax purposes	**26.90**	**509.85**
At the effective income tax rate of 31.75% (31 March 2019: 12.91%)	4,223.17	(1,263.53)
Income tax expense reported in income and expenditure account	4,223.17	(1,263.53)
Income tax attributable to a discontinued operation	**-**	**-**
Total	**4,223.17**	**(1,263.53)**

C. Deferred tax :

Deferred tax relates to the following: **₹ in Lakhs**

Particulars	Balance sheet		Statement of Income & Expenditure	
	As at 31 March 2020	As at 31 March 2019	As at 31 March 2020	As at 31 March 2019
Accelerated depreciation for tax purposes	455.88	(20.10)	(475.98)	(304.80)
Provision for Doubtful Debts	3,387.86	3,455.43	67.56	(3,351.11)
Provision for Employee benefits		-	-	
Right to use asstes net of Lease Liabilities	465.72	-	(465.72)	
Present valuation of Security Deposits (assets)	-	81.51	81.51	(6.54)
Deferred tax expense/(income)			**(792.63)**	**(3,662.45)**
Net deferred tax assets/(liabilities)	**4,309.46**	**3,516.83**		

Reflected in the balance sheet as follows: **₹ in Lakhs**

Particulars	As at 31 March 2020	As at 31 March 2019
Deferred tax assets	4,309.46	3,536.93
Deferred tax liabilities		20.10
Deferred tax Assets/(liabilities), net	**4,309.46**	**3,516.83**

Note No. - 9 - Other Non-Current Assets

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Unsecured, considered good unless otherwise stated		
Deferred Lease Expense	-	640.41
Advances to Suppliers	1,164.64	1,037.07
Total	**1,164.64**	**1,677.48**

10 - Trade Receivables

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Unsecured, considered good	18,987.52	17,398.08
Unsecured, considered doubtful*	8,435.35	9,889.60
Less: Provision for doubtful debts	(8,435.35)	(9,889.60)
Total	**18,987.52**	**17,398.08**

* Provision for Doubtful Debts amounting to Rs.9,889.60 Lakhs of F Y 2018-19 has been reversed during FY 2019-20. Further, during FY 2019-20 provision for doubtful debts has been made for Rs.8,435.35 Lakhs instead of @ 5% towards which are outstanding for more than 3 years at Balance Sheet date refer Note No. 58.

11 - Cash and Cash Equivalents

₹ in Lakhs

Particulars	Current Assets	
	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Balances with banks		
Saving Account	32,287.27	28,395.00
Others		
Imprest Account	0.50	0.50
Fixed Deposit (original maturity less than 3 months)*	42,320.65	34,282.92
Total	**74,608.42**	**62,678.42**

* Includes Bank Balances of Sweep Deposit Accounts.

Note No. - 12 - Bank balances other than cash and cash equivalents

₹ in Lakhs

Particulars	Current Assets	
	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Fixed Deposit	73,239.18	83,073.38
Fixed Deposit mortgaged against Bank Guarantee	2,898.29	4,276.79
Total	**76,137.47**	**87,350.17**

Note No. - 13 - Other Financial Assets

₹ in Lakhs

Particulars	Current	
	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Interest Accrued on Fixed Deposits		
Interest Accured	4,060.72	4,479.16
Total	**4,060.72**	**4,479.16**

14 - Current Tax Assets (Net)

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Income tax paid (Net of provision Rs.7877.62 Lakhs (Previous Year Rs.10454.36 Lakhs)	15,951.21	15,680.86
Less: -		
Provision for Income Tax (Refund Not Received)	(1,802.91)	(1,646.55)
(Refer Note No. 64)		
Total	**14,148.29**	**14,034.31**

15 - Other Current Assets

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Other than Capital Advance		
Advances to Employees		
Unsecured, considered good	33.12	36.11
Total (A)	**33.12**	**36.11**
Other advances		
Unsecured, considered good		
GST on Advances and Others	28,559.12	21,103.62
Prepaid expenses	2.41	336.28
Taxes Recoverable*	-	3.21
Total(B)	**28,561.53**	**21,443.11**
Advances to Suppliers	2,182.13	5,217.21
Less: -		
Provision for Advances to Suppliers (not adjusted/settled)	1,260.88	1,712.20
(Refer Notes No. 59)		
Total (C)	921.25	3,505.01
GRAND TOTAL (A+B+C)	**29,515.90**	**24,984.22**

*** Break-up of Taxes Recoverable**

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Sales Tax/DVAT Recoverable (1996-97 to 2013-14)	117.91	120.71
TDS On Works Contract 2000-2001	2.54	2.54
Less: -		
Provision for Sales Tax/ VAT (Not refunded back)	117.91	117.70
Provision for TDS on WCT (Not refunded back)	2.54	2.34
(Refer Notes No. 64)		
Total	**-**	**3.21**

16 - Equity Share Capital

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Authorised		
200,000 (Previous Year 200,000) Equity Shares of Rs.100/- each	200.00	200.00
Issued, subscribed and fully paid-up		
200,000 (Previous Year 200,000) Equity Shares of Rs.100/- each	200.00	200.00
TOTAL	**200.00**	**200.00**

a. Information on shareholders* (Including Details of shareholders holding more than 5% shares)

Name of Shareholder	As at March 31, 2020		As at March 31, 2019	
	No. of Equity shares held	Percentage (%)	No. of Equity shares held	Percentage (%)
President of India through DG, NIC	1,99,995	99.9975	1,99,995	99.9975
Sh. Shyam Bihari Singh	1	0.0005	1	0.0005
Sh. Nagesh Shastry	1	0.0005	1	0.0005
Sh. Deepak Chandra Misra	1	0.0005	1	0.0005
Sh. Vishnu Chandra	1	0.0005	1	0.0005
Sh. R S Mani	1	0.0005	1	0.0005
Total	**200,000.00**	**100.00**	**200,000.00**	**100.00**

* Held on behalf of Government of India

b. Reconciliation of the paid up shares outstanding at the beginning and end of the reporting year

₹ in Lakhs

Particluars	As at March 31, 2020		As at March 31, 2019	
	Number	Amount	Number	Amount
Shares outstanding at the beginning of the year	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00
Add: - Shares Issued/ (buy back) during the year	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00

c. Rights, Preference and Restriction attached to equity shares

The Company has one class of equity shares having a par value of Rs. 100 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share.

d. Over the period of five years immediately preceding March 31, 2020, neither any bonus shares were issued nor any shares were allotted for consideration other than cash. Further, no shares were brought back during the said period.

17 - Other Equity

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Surplus as per Income and Expenditure Account		
Opening balance	49,937.82	63,682.39
Effece of Prior Period Error		
Interest related to GIA Project other than NKN (Refer Note No. 54)	-	(3,351.27)
Interest related to GIA Project NKN (Refer Note No. 54)	-	(1,414.74)
Depreciation for earlier years (Refer Note No. 57)	-	(455.22)
Opening Balance Restated	**49,937.82**	**58,461.16**
Add: - Surplus/(Deficiency) for the year	9,079.64	(8,523.35)
TOTAL	**59,014.02**	**49,937.82**

18 - Other Financial Liabilities

₹ in Lakhs

Particulars	Non-current	
	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Security Deposits Payable	39.46	40.46
Lease Liabilities	16,629.96	-
Total	**16,669.42**	**40.46**

19 - Trade Payables

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Trade Payables		
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises*	817.14	466.66
Total outstanding dues of Other Than Micro Enterprises and Small Enterprises	23,591.47	34,465.51
Total	**24,408.60**	**34,932.17**

* Refer Note No. 46

20 - Other Financial Liabilities

₹ in Lakhs

Particulars	Current	
	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Earnest Money Deposit Payable	1,193.26	931.11
Employee Benefits Payable	207.87	274.45
Expenses Payable	0.00	19.00
Lease Liabilities	2,161.34	-
Retention Money (Performance Bank Guarantee)*	242.38	242.38
Total	**3,804.85**	**1,466.94**

* Retention from vendor against performance bank guarantee.

21 - Other Current Liabilities

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Others		
Statutory Dues and Taxes	8,587.10	1,450.60
Advances received from customers	1,24,647.66	1,11,852.71
Grants-in-Aid received from customers	14,102.14	29,518.24
Corporate Social Responsibilities	-	276.00
Total	**1,47,336.90**	**1,43,097.54**

22 - Provisions

₹ in Lakhs

Particulars	Current	
	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
Provision for Stamp Duty (Refer Note No. 44)	74.52	74.52
Total	**74.52**	**74.52**

23 Revenue From Operations

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2020	Year ended March 31, 2019
Revenue from operations		
Sale of Products	18,908.56	19,433.70
Sale of Service	96,192.85	95,479.47
Total (A)	**1,15,101.41**	**1,14,913.17**
Other Operating Revenue		
Administrative Charges	527.19	39.66
Total (B)	**527.19**	**39.66**
Total Revenue from operations (A)+(B)	**1,15,628.59**	**1,14,952.83**

24 Other Income

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2020	Year ended March 31, 2019
Interest Income	8,530.90	9,094.45
Less: -		
Interest on Grants-in-Aid Projects (other than NKN)	397.49	587.22
Interest on NKN Projects (Grants-in-Aid)	27.87	77.45
Unwinding of discount on security deposits	-	51.96
Other non-operating income	291.78	598.77
Doubtful Debts (Refer Note No. 58)	1,454.25	-
Advances to Suppliers (not adjusted/settled) (Refer Note No. 59)	451.32	-
	10,302.89	**9,080.50**

25 Purchases of Stock-in-Trade

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2020	Year Ended March 31, 2019
Purchases: -		
Hardware	16,476.12	17,145.55
Software	1,326.09	1,188.97
Augmentation of District Infrastructure	26.79	5,804.99
Total	**17,829.00**	**24,139.51**

26 Employee Benefits Expense

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2020	Year Ended March 31, 2019
Salaries and incentives	824.43	1,057.11
Staff Welfare	31.87	35.52
Total	**856.31**	**1,092.63**

27 Finance Cost

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2020	Year ended March 31, 2019
Interest Expenses on Unbinding of Lease Liability	1,037.41	-
Total	**1,037.41**	**-**

28 Depreciation and amortization Expenses

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2020	Year ended March 31, 2019
Property, plant and equipment (Refer Note No. 3)	828.34	1,320.91
Right of use assets (Refer Note No. 4)	2,360.92	-
Other Intangible assets (Refer Note No. 5)	5,415.88	3,765.53
Total	**8,605.14**	**5,086.44**

29 Other Expenses

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2020	Year Ended March 31, 2019
Audit Fees (Reference Note No. 39)	8.06	7.22
Bank Charges	12.00	4.29
Board Meeting Expenses	0.43	0.20
Books & Periodicals	2.67	14.94
Business Promotion	8.15	8.22
GST (Non-Cenvatable)	18.95	28.42
Conference Seminar W/Shop Expenses	41.28	133.99
Consumable Stores	48.29	41.14
Conveyance Expenses	5.85	7.71
Corporate Social Responsibilities Expenses	40.00	176.00
Diesel for D.G. Set	1.17	2.29
Doubtful Debts	-	9,588.17
Electricity & Water Charges	706.78	561.75
Hire Charges	3.08	7.04
House Keeping & Cleaning Charges	377.24	327.70
House Lease Charges	4.40	4.37
Krishi Kalyan Cess & Swachch Bharat Cess (Non-Cenvatable)	-	1.28
Membership & Subscription Charges	1.03	1.43
Miscelleneous Expenses	9.70	8.83
Office Expenses	2,569.28	1,804.48
Office Rent	30.21	2,186.94
Printing & Stationery	5.71	6.98
Professional & Consultancy Charges	234.33	221.08
Rent Rates & Taxes	9.94	9.94
Repairs & Maintenance	363.73	597.97
Service Tax (Non - Cenvatable)	-	30.49
Taxi Hire Charges	308.27	273.37
Telephone Expenses	38.70	42.72
Travelling Expenses	326.46	315.92
Vehicle - Petrol	1.59	1.69
Advances to Suppliers (not adjusted/settled)	-	1,712.20
Provision Sales Tax/ VAT	0.21	117.70
Provision TDS on WCT	0.20	2.34
Total	**5,177.70**	**18,248.79**

The figures under the head Electricity & Water Charges and Housekeeping & Cleaning Charges are shown after net of reimbursement.

30 - Earning per Share

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2020	Year Ended March 31, 2019
Earning per share		
Surplus attributable to Equity shareholders	9,076.20	(8,523.35)
Weighted average number of equity shares	2,00,000	2,00,000
Basic earning per share (Amount in Rs.)	**4,538.10**	**(4,261.67)**
Diluted earning per share (Amount in Rs.)	**4,538.10**	**(4,261.67)**
Face value per share	100.00	100.00

31. Fair values measurements

(i) Financial instruments by category

₹ in Lakhs

Particulars	Note No.	As at 31 March 2020		As at 31 March 2019	
		FVTPL	Amortised cost	FVTPL	Amortised cost
Financial assets					
Trade receivables	10	-	18,987.52	-	17,398.08
Cash and cash equivalents	11	-	74,608.42	-	62,678.42
Bank balances other than cash and cash equivalents	12	-	76,137.47	-	87,350.17
Interest Accrued (current)	13	-	4,060.72	-	4,479.16
Security deposits	6	-	107.08	-	701.43
Fixed deposits	7	-	291.60	-	291.60
Interest Accrued (non-current)	7	-	202.99	-	166.90
Total financial assets		**-**	**1,74,395.80**	**-**	**1,73,065.76**
Financial liabilities					
Trade payables	19	-	24,408.60	-	34,932.17
Other financial liabilities (current)	18	-	3,804.85	-	1,466.94
Other financial liabilities (non-current)	20	-	16,669.42	-	40.46
Total financial liabilities		**-**	**44,882.88**	**-**	**36,439.56**

(ii) Fair value hierarchy

All financial instruments for which fair value is recognised or disclosed are categorised within the

Level 1 : quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2 : valuation techniques for which the lowest level inputs that has a significant effect on the fair value measurement are observable, either directly or indirectly.

Level 3 : valuation techniques for which the lowest level input which has a significant effect on fair value measurement is not based on observable market data.

There have been no transfers between Level 1, Level 2 and Level 3 during the year.

For cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, short term borrowing, trade payables and other current financial liabilities the management assessed that their fair value is approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.

The fair values of the Company's long-term interest free security deposits are determined by applying discounted cash flows ('DCF') method, using discount rate that reflects the market borrowing rate as at the end of the reporting period. They are classified as level 3 fair values in the fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk.

32. Financial risk management objectives and policies

The Company's principal financial liabilities comprise trade payables, security deposits, earnest money deposits and employee liabilities. The Company's principal financial assets include trade receivables, security deposits, fixed deposits, cash and bank balances that derive directly from its operations.

The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's management oversees the management of these risks. The Company's senior management is supported by the Board of Directors that advises on financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Company. The board provides assurance to the Company's management that the Company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risks are identified, measured and managed in accordance with the Company's policies and risk objectives. The management reviews and agrees policies for managing each of these risks, which are summarised below.

I. Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, currency risk and other price risk. Financial instruments affected by market risk include fixed deposits.

A. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Company's investment in fixed deposits with banks. The company's fixed deposits are carried at fixed rate. Therefore not subject to interest rate risk as defined in Ind AS 107, since neither the carrying amount nor the future cash flows will fluctuate because of a change in market interest rates.

B. Foreign currency sensitivity

Foreign currency risk is the risk that the fair value of future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in exchange rates. Foreign currency risk senstivity is the impact on the Company's profit before tax is due to changes in the fair value of monetary assets and liabilities. The company is not exposed to foreign currency risk as it does not have any foreign currency monetary assets and liabilities.

II. Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty fails to discharge its obligation to the Company. The Company's exposure to credit risk is influenced mainly by cash and cash equivalents, trade receivables and financial assets measured at amortised cost. The Company continuously monitors defaults of customers and other counterparties and incorporates this information into its credit risk controls.

Credit risk management

The Company provides for expected credits loss based on the following

Credit risk	Basis of categorisation	Provision for expected credit loss
Low credit risk	Cash and cash equivalents, banks deposit and other bank balances	12 month expected credit loss
Moderate credit risk	Trade receivables, loan and other financial assets	Life time expected credit loss or 12 month expected credit loss

Based on business environment in which the Company operates, a default on a financial asset is considered when the counter party fails to make.

₹ in Lakhs

Credit rating	Particulars	As at 31 March 2020	As at 31 March 2019
Low credit risk	Cash and cash equivalents, banks deposit and other bank balances	1,51,240.48	1,50,487.09
Moderate credit risk	Trade receivables, Loan and other financial assets	23,155.32	22,578.66

Concentration of trade receivables

Trade receivables consist of a large number of customers spread across various states in India with no significant concentration of credit risk.

Credit risk exposure Provision for expected credit losses The Company provides for 12 month expected credit losses for following financial –

₹ in Lakhs

Particulars	Gross carrying amount	Expected credit losses	Carring amount net of expected
As at 31 March 2020			
Trade Receivables	27,422.87	(8,435.35)	18,987.52
As at 31 March 2019			
Trade Receivables	27,287.68	(9,889.60)	17,398.08

Reconciliation of loss provision – lifetime expected credit losses

₹ in Lakhs

Reconciliation of loss allowance	Trade Receivables
Loss allowance As at March 31, 2018	**303.28**
Impairment loss recognised/(reversed) during the year	9,586.32
Amounts written of	
Loss allowance As at March 31, 2019	**9,889.60**
Impairment loss recognised/(reversed) during the year	(1,454.25)
Amounts written of	
Loss allowance As at March 31, 2020	**8,435.35**

III. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. The Company's approach to managing liquidity is to ensure as far as possible, that it will have sufficient liquidity to meet its liabilities when they are due. Management monitors rolling forecasts of the Company's liquidity position and cash and cash equivalents on the basis of expected cash flows. The Company takes into account the liquidity of the market in which the entity operates.

The table below summarises the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

₹ in Lakhs

	On demand	Less than 3 months	3 to 12 months	1 to 5 years	> 5 years	Total
Year ended						
As at March 31, 2020						
Trade payables	24,408.60	-	-	-	-	24,408.60
Other financial liabilities	1,643.51	540.33	1,621.00	6,479.55	10,189.87	20,474.27
Total	**26,052.11**	**540.33**	**1,621.00**	**6,479.55**	**10,189.87**	**44,882.88**
Year ended						
As at March 31, 2019						
Trade payables	34,465.51	-	-	-	-	34,465.51
Other financial liabilities	1,466.94	-	-	40.46	-	1,507.39
Total	**35,932.45**	**-**	**-**	**40.46**	**-**	**35,972.91**

33 . Capital Management

The objective of the Company's capital management structure is to ensure that there remains sufficient liquidity within the Company to carry out committed work programme requirements. The Company monitors the long term cash flow requirements of the business in order to assess the requirement for changes to the capital structure to meet that objective and to maintain flexibility.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes to economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital, issue new shares for cash, repay debt, put in place new debt facilities or undertake other such restructuring activities as appropriate. No changes were made in the objectives, policies or processes during the year ended 31 March 2020.

₹ in Lakhs

Particulars	**As at 31 March 2020**	**As at 31 March 2019**
Borrowings		
Trade payables	24,408.60	34,932.17
Other payables	1,67,885.69	1,44,679.46
Less: Cash & cash equivalents	(74,608.42)	(62,678.42)
Net Debt	**1,17,685.88**	**1,16,933.21**
Total equity	**59,214.02**	**50,137.82**
Capital and Net debt	**1,76,899.89**	**1,67,071.02**
Gearing ratio (%)	**66.53%**	**69.99%**

34. Change in Accounting Policy

Except as specified below, the company has consistently applied the accounting policies to all periods presented in this financial statement. The company has applied Ind AS 116 with the date of initial application of 1st April, 2019. As a result, the company has changed its accounting policy for lease contracts as detailed below.

The company has applied Ind AS 116 using the modified retrospective approach, under which the cumulative effect of initial application is recognized in retained earnings at 1st April, 2019.

₹ in Lakhs

Lease commitments as at 31 March 2019	28,674.62
Add/(less): contracts reassessed as lease contracts	-
Add/(less): adjustments on account of extension/termination	874.32
Lease liabilities as on 1 April 2019	29,548.94
Current lease liability	2,296.97
Non current lease liabilities	27,251.97

Right of use assets of Rs. 21,285.61 Lakhs and lease liabilities of Rs. 20,050.86 Lakhs have been recognised as on 1 April 2019.

The impact of change in accounting policy on account on adoption of Ind AS 116 is as follows :

Decrease in Property Plant and equipment by	-
Increase in lease liability by	18,791.30
Increase in rights of use by	18,924.70
Increase/Decrease in Deferred tax assets by	465.72
Increase/Decrease in finance cost by	1,037.41
Increase/Decrease in depreciation by	2,360.92

35 Leases

As Lessee

(A) Additions to right of use assets

₹ in Lakhs

Particulars	**As at March 31, 2020**
Right-of-use assets, except for investment property	18,924.70

(B) Carrying value of right of use assets at the end of the reporting period by class **₹ in Lakhs**

Particulars	**Class 1**	**Class 2**	**Total**
Balance at 1 April 2019		21,285.61	21,285.61
Depreciation charge for the year		2,360.92	2,360.92
Balance at 31 March 2020		18,924.70	18,924.70

(C) Maturity analysis of lease liabilities

₹ in Lakhs

Maturity analysis – contractual undiscounted cash flows	**March 31, 2020**
Less than one year	2,161.34
One to five years	9,552.17
More than five years	15,021.93
Total undiscounted lease liabilities	26,735.44
Lease liabilities included in Balance Sheet	
Current	2,161.34
Non-Current	16,629.96

(D) Amounts recognised in profit or loss

₹ in Lakhs

Particulars	**2019-20**
Interest on lease liabilities	1,037.41
Variable lease payments not included in the measurement of lease liabilities	-
Income from sub-leasing right-of-use assets	-
Expenses relating to short-term leases	30.21
Expenses relating to leases of low-value assets, excluding short-term leases of low value assets	

-

(E) Amounts recognised in the statement of cash flows

Total cash outflow for leases of Rs.2,296.97 Lakhs.

36. Contingent Liabilities

As at Balance Sheet date, the contingent liability in respect of offsite warranty provided by the company to the users is not considered since all the equipments supplied towards projects are covered under AMC from the vendors/suppliers from time to time, after warranty period.

Contingent liabilities, other than the above, not provided for are as under: -

₹ in Lakhs

Particulars	**As at 31 March 2020**	**As at 31 March 2019**
Claim against the Company not acknowledged as debts.	104.58	99.66
Guarantees	1864.94	1848.84
Income Tax Demand (Assessment Year 2012-13)	14.89	-
Income Tax Demand (Assessment Year 2015-16)	350.60	350.60
Total	**2335.01**	**2299.10**

No provision against the above has been made as management believes that there would not be any actual payable/demand in future also.

37. Commitments

The Company has made commitment to procure the trading goods and to avail the services in the subsequent period based on the purchase orders and agreements made with suppliers. Those commitments can be amended as per the agreed terms. However, the amount of such revenue commitments towards internal projects of the company is Rs.116.68 Lakhs (PY Rs.23.23 Lakhs) as at March 31, 2020. In addition, Commitment towards capital expenditure out of "Reserves" is as follows:-

₹ in Lakhs

Sl. No.	Particulars	As at 31 March 2020	As at 31 March 2019
1	National Data Centre, Bhubaneswar	3594.88	4,696.00
2	Enhancement of NIC Cloud Services	3779.52	5,386.00
3	District 2.0-Augmentation of Digital India Initiative	1380.21	1,407.00
	Total	8754.61	11,489.00

38. Information pursuant to Para 5(viii) of the General Instructions for preparation to the Income & Expenditure Account given under schedule III of Companies Act, 2013.

i. Value of Imports on C.I.F Basis: NIL (PY Rs. NIL)

ii. Expenditure in foreign currency (on accrual basis):

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2020	Year Ended March 31, 2019
Travelling - Staff (Foreign)	NIL	NIL
Total	NIL	NIL

iii. Earnings in foreign currency (on accrual basis): Rs. Nil (PY Rs. Nil)

39. Auditor Remuneration*

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2020	Year Ended March 31, 2019
Auditor Fee including Tax Audit Fee	6.36	6.36
Income Tax Audit	0.85	0.85
GST Audit	0.85	-
For Reimbursement of expenses	1.91	1.91
Total	9.97	9.12

* Exclusive of applicable taxes. Further, Rs. 1.91 Lakhs (PY Rs.3.20 Lakhs) are paid for certification work for various projects which are directly debited in the respective projects.

40. Disclosure pursuant to Ind-As 19 - 'Employee Benefits'

i. Contribution to Provident Fund

The company is not having any Provident Fund scheme as the employees of the company are on deputation from NIC, along-with their posts, as per the Government of India Notification dated 3rd March, 1998. The Provident Fund is deducted from their salary every month as per the rates prescribed for the purpose and government guidelines thereon subsequently, passed on to NIC as its entire account is maintained by them. There is thus, no liability of the company towards any payment to the employees on Provident Fund Account.

ii. Leave Salary

Since the employees are on deputation from NIC as per the Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the leave salary contribution (as per the prescribed rates to the salary of the respective employee), is calculated / provided by the company in its account every month and subsequently, passed on to NIC. No liability is thus, there on the company towards payment of leave salary/encashment.

iii. Pension Contribution

Since the employee are on deputation from NIC as per the said Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the pension contribution (as per the prescribed rates to the salary of the respective employee), is calculated / provided by the company in its account every month and subsequently, passed on to NIC. No liability is thus, there on the company towards payment of Pensionery benefits.

iv. Gratuity

Since the employees are on deputation from NIC as per the said Government of India Notification dated 3rd March, 1998, the company is not liable to pay any Gratuity, as the same shall entirely be borne by NIC.

41. Related Party disclosures

List of related parties

Name of the Party	Relationship
Shri Manoj Kumar Mishra (Managing Director)	Key Managerial Personnel (Upto 14.02.2020)
Sh. Prashant Kumar Mittal (Managing Director)	Key Managerial Personnel from 17.02.2020
Sh. Girish Kumar (Company Secretary)	Key Managerial Personnel (Upto 04.08.2019)
Sh. Sunny Jain (Company Secretary)	Key Managerial Personnel from 16.12.2019

Transactions with Related Parties: -

₹ in Lakhs

Name of Party	Nature of Transaction	Year Ended March 31, 2020	Year Ended March 31, 2019
Sh. Manoj Kumar Mishra	Managerial Remuneration	36.81	38.61
Sh. Prashant Kumar Mittal	Managerial Remuneration	4.10	NIL
Sh. Girish Kumar	Managerial Remuneration	3.48	9.33
Sh. Sunny Jain	Managerial Remuneration	2.87	NIL
	Total	**47.26**	**47.94**

Balance payable as on March 31, 2020 to Related Parties: Rs. 2.19 Lakhs (PY Rs.2.59 Lakhs)

42. Disclosure pursuant to Ind AS– 108 'Operating Segments'

The company is providing services in 'Information Technology' segment only from a centralized office in Delhi. Considering the same as one segment only, no disclosure according to Ind AS– 108 'Operating Segments' have been made in the financial statements.

43. Balance Confirmation

The balance confirmation letters have been issued under various heads. The response there against is awaited.

44. Non-execution of Conveyance/Title Deed

The Company had purchased Hall No's 2&3 at 6th Floor, NBCC Towers, Bhikaiji Cama Place, New Delhi from M/s. NBCC Limited in the year 2003 and 2001 respectively. However, the Conveyance Deeds / Title Deeds towards the same amounting to Rs. 931.50

lakhs (PY 931.50 lakhs) have not yet been got registered by NBCC despite several requests from the company. M/s. NBCC is being reminded regularly in the matter by the company. Hence, the initial provision of Rs 74.51 lakhs (PY Rs 74.51 lakhs) towards amount of Stamp Duty has been kept in the financial statements and the differential amount, if any, shall be provided for in the year the same is got registered.

45. In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances & trade receivable have a value on realization in ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated.

46. Disclosure u/s 22 of the MSMED Act, 2006

₹ in Lakhs

Sl. No.	Particulars	As at March 31, 2020	As at March 31, 2019
1	The Principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier.	817.14	466.66
2	The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount of the payment made to the supplier.	NIL	NIL
3	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	NIL	NIL
4	The amount of interest accrued and remaining unpaid.	NIL	NIL
5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	NIL	NIL

47. Disclosure pursuant to IND AS – 36 'Impairment of Assets'

As per IND AS – 36 'Impairment of Assets', the assessment of impairment of Assets has been carried out during the FY 2019-20 in respect of Data Centre at Laxmi Nagar, National Data Centre at Shastri Park towards investment on "Enhancement of NIC Cloud Services" and Development Centre at Shastri Park locations, which are cash generating units of the company and no impairment loss has been identified thereon.

48. Revenue Generation (GR/ AGR) towards VSAT Projects against DOT License No. 815-100/NICSI/2009-DS dated 20.11.2009 (surrendered by NICSI on 31.03.2017 and accepted by DoT) and payment of License Fee and Spectrum Charges to DOT thereon.

NICSI had surrendered the DoT License on 31.03.2017 and accepted by DoT. As per the mandate given by DoT, NICSI has since paid entire amount towards License Fee / Spectrum Charges till 31.03.2017 on the revenue related to this activity only. Also, the amounts from MHA/NDRF are received. However, the O/o the Pr. CCA Office, DoT has levied interest / penalty on NICSI by taking revenue of entire company, for which MeitY had taken up the matter with DoT.

O/o the Pr. CCA DoT, vide letter dated 17.07.2020, has withdrawn all Demand Notices against NICSI towards License Fee and Spectrum Usage Charges (based on Hon'ble Supreme Court of India Judgement dated 11.06.2020 and DoT OM No. 12-25/2019-LFP dated 17.07.2020. The P&T Audit Office has accordingly, been informed by NICSI, vide letter dated 20.07.2020.

49. Operating Margin (Administrative Charges) on NKN Project

As per the minutes of the High Level Committee meeting held on 19/07/2011 towards NKN Project, specific approval from Integrated Finance Division (IFD) of Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) towards levying 1% Operating Margin on the expenditure under NKN Project was required. The matter had been discussed by NICSI NICSI Audit Committee, in

its 4th meeting held on 26.07.2019, under the Chairmanship of the then Additional Secretary & Financial Advisor, MeitY and it was felt that since the NKN Proposal involving Rs.5990 crore was initially concurred-in by IFD, MeitY (including 1% Administrative Charge to NICSI) and approve by the CCI based on MeitY's recommendations, there appeared no need to get the matter re-examined for IFD Concurrence. It was subsequently noted by NICSI Board of Directors, in its 110th meeting held on 30.07.2019.

50. Income/Expenditure on National Data Centre Project, Shastri Park, Delhi

National Data Centre, Shastri Park, Delhi had been set up with financial assistance from MeitY and NIC and had become operational in July, 2011. As per approval by the Standing Finance Committee, NICSI was to bear Operational Expenditure thereon @ Rs.800 Lakhs per annum for initial 2 years. To meet its Operational Expenditure, NICSI was to get income from 60 Racks allotted to it. While NICSI continued to meet Operational Expenditure thereon even after 2 years, MeitY had approved that from 01-04-2014 onwards, NICSI would be incurring operational expenditure head-wise on the National Data Centre, Shastri Park, Delhi upto Rs.800 Lakhs on the heads Rent & Maintenance/ Basic Infrastructure Maintenance/ Basic Infrastructure O & M Manpower and NIC would reimburse the expenditure from its Budgetary Provision to NICSI towards Electricity & Diesel Charges/ Physical Security & Housekeeping Charges/ Water Charges/ Logistics Support/ Contingency Charges upto 3% of all these charges, after these expenditure are initially incurred by NICSI. With the setting-up of National Data Centre at Bhubaneswar, NICSI and NIC had worked out an arrangement for operation and management of the same and also, for National Data Centre at Shastri Park, Delhi. NICSI Board of Directors, in its 108th meeting held on 27.12.2018, had considered the same and approved as under with retrospective effect from 01 April 2018: -

- NICSI may create a separate project pool account for Shastri Park and Bhubaneswar Data Centers
- Income generated through Co-location Services at both these Data Centers shall be pooled under the proposed project heads.
- Income shall be used for meeting the O&M expenditure and up-gradation of basic infrastructure at both these Data Centers.
- In addition to existing 60 Racks being used for co-location service at Shastri Park by NICSI, NIC may add more Racks to generate enough funds to meet O&M expenses for years to come and also for upgrading the basic infrastructure.
- NICSI would not incur Rs.800 Lakhs per annum towards O&M Expenditure at Shastri park from F.Y.2018-19 and onwards. Revenue generated per annum through said 60 Racks and more Racks to be added by NIC, would be utilized for meeting O&M expenditure and up-gradation of basic infrastructure.
- NICSI would charge its 7% Operating Margin and Taxes thereon as per Board approval from F.Y.2018-19 and onwards on the said O&M Expenditure.

NICSI has accordingly booked its Income & Expenditure in F.Y.2019-20 at National Data Centres.

51. LTC to NICSI employees on deputation from NIC

The company had reimbursed an amount of Rs. 189 Lakhs towards LTC, based on the Service Rules of NICSI to the NICSI employees deputed from NIC during the Financial Years 2010-11 to 2013-14. This amount had been reimbursed by the Company based on the Service Rules approved by the Board of Directors in its 49th meeting held on 17.05.2006 and amended in 69th meeting held on 24.09.2010, which were not in line with DPE/ DOPT guidelines & CCS LTC Rules. These Service Rules had thereafter, been sent by NICSI to NIC/MeitY on 11.11.2014 for ratification. As per Board approval that the recovery be made in installments, NICSI had recovered the amount from the salary of employees in May, 2015. Against the same, the employees had filed a Writ Petition in the Hon'ble Delhi High Court against the recovery and the Court, vide "Order" dated 09.06.2015, had granted the "Stay" on the recovery of amount from the employees, pending the final decision by the Court in the matter. Finally, the Hon'ble Delhi High Court, in its judgment dated 18.03.2016, had decided that "Service conditions which induce the present appellants to apply for NICSI for deputation and continue their held out a liberalized LTC option. That option was availed of continuously. The LTC regulations were amended further-it is not in dispute that the original regulations of NICSI and the amendments continue in force. In these circumstances, the recovery sought to be made without altering the conditions of service could not have been upheld. Accordingly, the respondents are permitted to recover only amounts paid in excess of the deputation terms either pre-

2010 as existing with some of the employees joined the organization or those which are contrary to the 2010 amendments. The Appeal is allowed to that extent".

MeitY, vide letter dated 14.07.2016, had directed NICSI to continue recovery of over-payment to the employees who had irregularly drawn LTC. NICSI, vide letter dated 29.07.2016, informed MeitY that in view of the current directives, NICSI has re-started the process of recovery of over-payment made to the employees on account of LTC and an Office Memorandum was also issued towards the same on 29.07.2016 itself, informing that the recovery would start from the salary for the month of August, 2016. The matter was simultaneously submitted by NICSI to MeitY on 16.08.2016.

The affected employees had then gone to Hon'ble Delhi High Court by filing a contempt petition against the re-started process of recovery as per the said NICSI O.M. dated 29.07.2016, in which NICSI and MeitY were both made Respondents. MeitY had re-considered the matter and advised NICSI, vide note dated 17.03.2017, to adhere to the said decision dated 18.03.2016 from Hon'ble Delhi High Court in the matter. Based on MeitY directive, NICSI issued O.M. dated 21.03.2017 mentioning "not to effect recovery of LTC claims by NIC/ NICSI employees and further, the recovery of amounts already made to be paid back to concerned officers in due course. The Respondents accordingly, informed the decision to Hon'ble Delhi High Court in its hearing on 23.03.2017 by handing over a photocopy of the O.M. dated 21.03.2017. The contempt petition was thus treated as disposed off as satisfied and the respondents were directed to forthwith give effect to the O.M. dated 21.03.2017. NICSI had accordingly taken action and refunded the recovered amount to each individual.

In the meantime, the matter was included by the C&AG Office in its "Report for the year ended March, 2014 – Union Government (Communications & IT Sector) – No. 55 of 2015" presented to Parliament. It is currently with Public Accounts Committee (PAC) of Parliament.

MeitY had informed the C&AG Office as per above, including the said Hon'ble Delhi High Court decision. The C&AG Office had thereafter, desired the copy of the Hon'ble Court decision and also, the Government approval towards ratification of NICSI Service Rules. While the copy of Hon'ble Court decision was provided to the C&AG Office, it was informed that the matter towards ratification of NICSI Service Rules was still under consideration of the Government. The para is thus, still under consideration of the PAC for want of ratification of NICSI Service Rules from the Government. The status in the matter is same as in previous year.

52. Project Incentive to NICSI employees on deputation from NIC

Based on an Audit Observation from the P&T Audit office, NICSI had sent its "Project Incentive Guidelines" in November, 2014 to NIC / MeitY for ratification. As the approval thereon was not received, NICSI has not been paying Project Incentive to its employees after F.Y.2013-14. Hence, no provision has been made related thereto in its Accounts for F.Y.2019-20.

53. Transport Allowance and House Rent Allowance to NICSI employees on deputation from NIC

The Company has paid an excess amount of Rs. 49 Lakhs towards Transport Allowance and Rs. 17 Lakhs towards House Rent Allowance to the NICSI employees deputed from NIC during the period from 01.07.2007 to 31.03.2014. This amount has been paid by the Company based on the Service Rules approved by the Board of Directors in its 49th meeting held on 17.05.2006 which is not in line with GOI Rules. These Service Rules have been sent by NICSI to NIC/ MeitY on 11.11.2014 for ratification. Further feedback in the matter is awaited. However, as per approval by the Board of Directors, NICSI has followed Government Rules towards these allowances in F.Y.2018-19. The status in the matter is same as in previous year.

54. Interest on Un-utilized fund of Grant in Aid projects.

NICSI has worked out the interest in GIA Projects in FY 2019-20 on actual basis as per the interest rates on which NICSI had made FDs in the year and in F.Y.2018-19 it had also provided the differential interest in each ledger of the respective project for the period upto 31.03.2018, F.Y.2018-19 and F.Y. 2019-20, as per below:

₹ in Lakhs

Period	**NKN Project**	**Other GIA Projects**	**Total**
For the period upto 31.03.2018	1414.74	3351.27	4766.01
For F.Y.2018-19	77.45	535.60	613.05
For F.Y.2019-20	27.87	397.49	425.36

55. Draft Audit Para from P&T Audit Office on Refund of Interest in GIA Projects.

Till F.Y. 2011-2012, the Company was treating the amount received from Grantor Institution for execution of projects as 'Advances received from customer' instead of treating them as Grant in Aid receipt and accordingly, no interest was provided on un-utilized fund to Grantor Institution.

Board of Directors, vide meeting dated 21-12-2011, had approved to calculate and refund the interest earned on un-utilized fund available in Grant in Aid Projects from time to time as per the rate of interest applicable in the Saving Bank Accounts in the Public Sector Banks. Accordingly, the Company had calculated and refunded the amount of interest to the Grantor institution i.e. rate of interest applicable in the Saving Bank Accounts in the Public Sector Banks, whereas as per terms and conditions laid down by the Grantor Institution, the actual interest earned on un-utilized balance of Grant in Aid projects is to be refunded. The grantor departments have accepted the interest as credited to the individual project till F.Y.2016-17 and most of these projects are since completed and their accounts settled. However, a para is continuing from the C&AG Office towards less refund of interest in GIA Projects by the company to the Government. NICSI had provided the reply on the para and it is still under consideration of the C&AG Office.

In the meantime, the Board of Directors, in its 100th meeting held on 28.03.2017, had re-considered the matter and advised NICSI to refund the interest on Grants-in-Aid Projects on actual basis.

Accordingly, in F. Y. 2018-19, NICSI has worked out the interest in GIA Projects on actual basis as per the interest rates on which NICSI had made FDs in the past and also, in F.Y.2018-19 and based on that, has provided the differential interest in each ledger of the respective project for the period upto 31.03.2018 and for F.Y.2018-19, as per below:

Accordingly, in F. Y. 2018-19, NICSI has worked out the interest in GIA Projects on actual basis as per the interest rates on which NICSI had made FDs in the past and based on that, has provided the differential interest in each ledger of the respective project for the period upto 31.03.2018 Totalling to Rs.4766.01 Lakh (i.e. Rs.1414.74 Lakh in NKN Project and Rs.3351.27 Lakh in other GIA Projects.

P&T Audit Office, vide letter no. AMG-II / Rep PSU / DAP / 9993 /NICSI / D-2024 dated 14.01.2020, has provided a Draft Audit Para (DAP) to NICSI on "Loss of Rs.26.36 crore and understatement of liability by Rs.78.38 crore due to non-compliance of terms & conditions governing grants in aid projects". The Audit observation is that NICSI has deducted the Corporate Tax paid on its GIA Interest Income during past years and while refunding the differential interest, it has deducted the Corporate Tax already paid and thus, it should take-up the matter with CBDT / Income Tax Department regarding refund of Corporate Tax paid previously. NICSI, vide reply dated 09.12.2019 to their Audit Memo No. 12 dated 04.12.2019 and also, vide letter dated 12.06.2020 has informed the P&T Audit office that since the Corporate Tax is paid to the Government of India i.e. Income Tax Department continuously since F.Y.2012-13, it has not taken up the matter with the Income Tax Department, since even after refund of the Corporate Tax to NICSI, it would have to refund again to the Government of India (i.e. Grantor Departments).

56. Trade Receivables

NICSI implements a large number of new projects every year from various Ministries/ Departments / Organizations of the Government of India and States / UTs. As per the provisions in the General Financial Rules (GFRs), they restrict the release of advances to NICSI to 40% or so, whereas in many cases mainly related to procurement of ICT Hardware, NICSI has to release the work orders to full extent and after delivery / installation of those items, NICSI has to release the payments to the vendors as per the payment terms in the work orders. This, on many occasions, result in Trade Receivables, disclosed in note no. 10 of the financial statements, amount of trade receivables of Rs. 27,422.87 Lakhs (PY Rs. 27,287.68 Lakhs) as at March 31, 2020, which is followed up by NICSI from time to time with the concerned Departments /Organizations to recover the same.

57. Prior Period Depreciation towards 5th Floor, Shastri Park, Delhi

NICSI had given interior work to M/s NBCC Ltd. for 5th Floors, Shastri Park, Delhi after completion of works, the floors had become operational during F Y 2016-17. However, the final payments to M/s NBCC Ltd. has been made by NICSI during FY 2018-19. Accordingly, the Depreciation of Rs.455.22 Lakhs for FY 2016-17 & 2017-18 has been charged under other equity in FY 2018-19.

58. Provision for Doubtful Debt amounts un-likely to be recovered.

As per Accounting Policy of the Company, a provision @ 5% is recognized towards trade receivables which are outstanding for

more than 3 years at balance sheet date. P&T Audit has observed that the adopted policy for provision for doubtful debts of the company is deficient.

Considering the above observation of P&T Audit and assurance given by NICSI to that office on previous year's accounts, a Committee was formed in NICSI to review and give their recommendations towards making provision in the Accounts for F.Y.2019-20 for the doubtful amounts un-likely to be recovered.

The "Provision" has been made in NICSI Accounts for F. Y. 2019-20 towards doubtful amounts un-likely to be recovered as per below: -

₹ in Lakhs

Duration	Outstanding amount	Provision in %age	Provision in F.Y.2019-20	Provision in F.Y.2018-19
More than 10 years	5,410.02	100	5,410.02	5,105.01
5 to 10 years	4,389.95	50	2,194.98	3,926.59
3 to 5 years	3,321.39	25	8,30.35	858.00
Upto 3 years	14301.51	NIL	NIL	NIL
Total	**27,422.87**		**8435.35**	**9,889.60**

59. Provision for Advances to Suppliers.

P&T Audit while conducting the Audit for FY 2017-18 had observed that "Advances to Suppliers amounting to Rs.984.16 Lakhs are more than 3 years old. Being more than 3 years old provisioning should have been created in this respect. Non-provision has resulted into overstatement of current assets and understatement of provisions leading to overstatement of profit".

Considering the above observation of P&T Audit, a Committee was formed in NICSI to review and give their recommendations to consider and recommend the provision to be made towards Advances to Suppliers un-likely to be settled.

The provision towards Advances to Suppliers amounting to Rs.1319.16 Lakhs has been made in Accounts for F. Y. 2019-20 for amounts outstanding for more than 3 years as on 31.03.2020 and un-likely to be settled (as against Rs.1712.20 lakh in PY 2018-19), except for NKN Project. During the year FY 2019-20 an amount of Rs. 58.27 Lakhs has been recovered hence net provision towards advances to suppliers is Rs.1260.88 Lakhs as on 31-03-2020.

60. Classification of Assets and Liabilities into current and non-current

The company provides the bifurcations of Assets & Liabilities into 'Current' and 'Non-Current' in the financial statements on the basis of estimation of recoverability/payment within operating cycle.

61. Expenditure of Corporate Social Responsibility (CSR)

NICSI has made contribution of Rs. 40 Lakh in the Accounts for F.Y.2019-20 (PY 176.00 Lakhs) towards expenditure of Corporate Social Responsibility (CSR) as ratified by NICSI Board of Directors in its 113th meeting held on 29.06.2020, based on CSR Committee Recommendations, in its 5th meeting held on 26-06-2020.

62. Grants-in-Aid Projects

As per the terms & conditions stipulated in the sanctions towards grants in aid projects, the Company is getting the accounts of all such projects audited from a CA firm. For the current year, the accounts of all the GIA Projects are since audited.

63. District 2.0 – Augmentation of District Infrastructure to cater to Digital India Initiative"

The Board of Directors, in its 100th meeting held on March 28, 2017, had considered the project and approve at a Total outlay of Rs.9,900 Lakhs for Phase-I to be met entirely by NICSI out of its "Cash Reserves". However, there would be no "Revenue" income in the project, as it involves augmentation only of ICT Infrastructure at NIC's some District Centers. Since, no income is there in

the project and the assets created neither belong to NICSI nor in its possession, NICSI has directly routed the entire expenditure of Rs. 26.79 Lakhs (PY Rs.5804.99 Lakhs) towards it during the year to Income & Expenditure Account as an expense.

64. Provision towards Income Tax & Sales Tax etc.

P&T Audit while conducting the Audit for FY 2017-18 had observed that "an amount of Rs. 2,281.03 Lakhs on account of TDS/ Income Tax recoverable pertaining to FY 2007-08 to 2014-15 is pending from Income Tax Department. The above amount being relating to more than 3 years old, provision in this regard should have been created by the company. However, no provision has been created. Non provision of this amount has resulted into overstatement of current assets and understatement of provision leading to overstatement of income".

Considering the above observation of P&T Audit, a Committee was formed in NICSI to review and give recommendations on the provision to be made in Accounts for F.Y.2018-19 for the amounts towards Income Tax refund, Sales Tax recoverable and TDS on Work Contract un-likely to be recovered. Based on the Committee recommendations the provision has been made in NICSI accounts for FY 2019-20 as per below: -

₹ in Lakhs

Particulars	**Year Ended March 31, 2020**	**Year Ended March 31, 2029**
Income Tax	1802.91	1,646.55
Sales Tax/VAT/DVAT	117.91	117.70
TDS on Works Contract	2.54	2.34
Total	**1923.36**	**1,766.59**

65. Obsolete Items

The Company has certain obsolete items of Fixed Assets as on 31-03-2020. While conducting review on NICSI Accounts for F.Y.2017-18, the P&T Audit team had observed that the provision was not made in Accounts for that year towards difference between Depreciated Value of the Obsolete items as on 31st March and Estimated Sale Value against the same. Accordingly, a Committee had been set up in NICSI to examine and recommend the "Provision" to be made in NICSI Accounts for F.Y.2018-19 towards obsolete items as on 31.03.2019 between the Depreciated Value and the Estimated Sale Value. The Committee had recommended that the Depreciated Value of the Obsolete Asset items as on 31.03.2019 i.e. Rs.49.89 Lakhs be taken as the Estimated Sale value and therefore, no Provision on this account was required to be made in the Accounts for that year. Similarly, based on the physical verification of assets, the value of obsolete asset items as on 31.03.2020 has been worked out at Rs. 3.13 Lakhs (PY 49.42 Lakhs) and since a Committee has again recommended that the depreciated value of obsolete asset item as on 31.03.2020 i.e Rs. 3.13 Lakh be taken as the Estimated Sale value and therefore no Provision in this Accounts is required to be made in the Accounts for that year.

66. Prior Period Items

NICSI has a cut-off date approved by Management upto which the invoices of the vendors are submitted for the services rendered upto 31st March and accounted for accordingly as expenditure in previous year. Income realized till that date for the period upto 31st March is also accounted for in same financial year. Accordingly, matching concept has been ensured in F.Y.2019-20

The company has treated errors & omissions as prior period. In current year no error or omission is there and hence, no prior period expense or income is there.

67. COVID-19 Impact

The Company has assessed the possible effects that may result from the pandemic relating to COVID-19 on the carrying amounts of Receivables, Fixed Deposits and other assets / liabilities. In developing the assumptions relating to the possible future uncertainties in the global economic conditions because of this pandemic, the Company, as at the date of approval of these financial statements has used internal and external sources of information. As on current date, the Company has concluded

that the impact of COVID – 19 is not material based on these estimates. Due to the nature of the pandemic, the Company will continue to monitor developments to identify significant uncertainties in future periods, if any.

68. Previous year figure reclassification

The company has re-classified previous year figures to confirm current year classification.

As per our report of even date
For **Agarwal & Saxena**
Chartered Accountants
Firm Registration No. 002405C

Sd/-
Akshay Sethi
Partner
Membership No.539439

For and an behalf of the Board of Directors of
National Informatics Centre Services Inc.

Sd/-
Prashant Kumar Mittal
Managing Director
DIN: 08710751

Sd/-
Dr. Rajendra Kumar
Chairman
DIN:02677079

Sd/-
Sunny Jain
Company Secretary
ACS: 31700

Sd/-
Deepak Saxena
FA&CA

Place: New Delhi
Date: July 29, 2020

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.

Report on the Audit of the Ind AS Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the Ind AS Financial Statements of National Informatics Centre Services INC. ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2020, and Income and Expenditure account, the Statement of Changes in Equityand the Statement of cash flows for the year then ended, and notes to the Ind AS Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31st, 2020 and its profit, changes in equity and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

1. The Company implemented the ERP accounting software w.e.f July 01, 2017 till March 31, 2020 without being validated by a Systems Audit carried out by an external independent agency. Impact, if any, on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure as disclosed in the Ind AS Financial Statements on account of possible system weakness in the data integrity is presently not ascertainable.

2. In our opinion, the internal controls existing in the Company with respect to physical verification of Property Plant & Equipment, revenue recording, purchases recording, settlement of advances to employeesreconciliation/ confirmation of vendor/user balances, process of releasing the Vendors Performance Bank Guarantees, direct deposits by clients into the bank account through e-payment/ otherwise and recovery of dues should be commensurate with the size and nature of its operations. (Refer to Annexure "A")

3. Balances relating to Trade Payables (Note19), Trade Receivables(Note10), Advances received from customers (Including Grants-in-aid project) (Note21), Earnest Money Deposits receipts(Note20), Security depositsPayable (Note18) and Advances to Suppliers (Note 9 &15)are subject to the confirmations having been obtained/ received and/ or the consequential reconciliation being drawn up as at the year end. Impact, if any, on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure consequent to such confirmation and reconciliation is presently not ascertainable.

4. Reference is invited to Note No. 21 of the Ind AS financial statement with respect to the Advances received from customers amounting to Rs. 1,24,647.66 lakhs. Review of individual accounts reveal numerous customers wherein the balances have remained outstanding for more than 3 year as at the year end. These advances received mostly from Public Sector Undertakings (PSUs) and Government of India Ministries have been invested by the Company in Fixed deposits with various banks at varied rates of interest and maturity profiles.

   In view of the fact that such idle funds with respect to the Advance from Customers have remained unutilised and invested in Fixed Deposits, the management needs to review each such Advance and return the same based on the corresponding terms and conditions of the contract with each of the customer. In the absence of the documents, contracts and details being available in respect of each such Advance, the overall impact of matters referred to in the preceding paras on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure consequent to such details being available is presently not ascertainable.

5. The corresponding revenue of the work done for which the expenses incurred of Rs 496.91 lakhs were booked under various heads of Income and Expenditure Account in FY 2019-20 are recorded in the next financial year (i.e 2020-21) resulting into the non-compliance of matching concept.

   Consequently, that results in the understatement of Income before tax by Rs 531.69 lakhs and Revenue from Operations Rs. 531.69 lakhs respectively.

6. With reference to the note no. 66 of Income & Expenditure Account, the expenditure that is not recorded in the Ind-AS Financials of FY 2019-20 due to non-submission/late submission of the invoices by the vendors has resultant into non-compliance of cut off procedures.

   Such bills are recorded in the subsequent reporting periods after post-approval by the competent authority Impact, of such late recording of expenditures on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure on aid projects cannot be ascertained reliably due to non-availability of quantum of bills that were not submitted by vendors as on reporting date.

7. The Company has not complied with Ind AS 115 on "Revenue from Contracts with Customers" prescribed by the Companies (India Accounting Standards) Rules 2015 with respect to erroneously recognising revenue on Sales of goods at the time of generating the invoice in terms of the Significant Accounting Policy (Refer to Note 2 (vii)) instead of recognising the same at the time of transfer of "control" i.e. on acceptance of goods by the customer. Impact of the same on the reported income, loss and assets/ liabilities of the Company consequent to recognising revenue in terms of Ind AS 115 is presently not ascertainable.

The impact of matters referred to in the above paragraphs (1) to (7) on the assets/liabilities and/or income/expenditure and profit/loss for the year is not ascertainable.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Ind AS Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Ind AS Financial Statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

Emphasis of Matter

1. Reference is invited to note no. 50whereby on account of the direction of the Ministry of Electronics & Information Technology, Department of Information Technology during the year, the Company's Operating Margin with effect from FY 2018-19 was corelated and approved at 7% of the O&M expenditure and upgradation cost of the basic/ ICT infrastructure. This has resulted in a substantial decrease in the operating margin accruing to the Company during the year with respect to the Shastri Park and Bhubaneshwar National Data Centre with a resultant impact on the profit reported in the Income & Expenditure Account for the year.

2. We draw attention to the note No. 44 of the Ind-AS Financial Statements whereby the conveyance/ title deed in respect of the building at BhikajiCama place, New Delhi amounting to Rs. 931.50 lakhs is pending for registration as at the year end.

Our opinion is not modified in respect of the matters reported in paragraphs (1) to (2) above.

Information other than the Ind AS Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Director's Report (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon). The Directors Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Ind AS financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Ind AS Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Ind AS Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial

performance, comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company in accordance with the Ind AS and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Ind AS Financial Statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Ind AS Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level ofassurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Ind AS Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Ind AS Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Ind AS Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Ind AS Financial Statements, including the disclosures, and whether the Ind AS Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation

- Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating

the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. Matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013 have not been commented upon since the said order is not applicable to the Company in view of the exemption available to a company licensed to operate under Section 8 of the Companies Act, 2013.

2. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

    a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

    b) Except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

    c) The Balance Sheet, the Income and Expenditure Account, the Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flow dealt with by this report are in agreement with the books of account;

    d) Except for the matters described in basis of qualified opinion, in our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards (Ind AS) specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;

    e) The matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, in our opinion, may have an adverse effect on the functioning of the company;

    f) Since the company is a Government company, sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 regarding director's disqualification, is not applicable to the Company in terms of Notification No. GSR-463 (E) dated 05.06.2015;

    g) The qualifications relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith are as stated in the Basis for Qualified Opinion paragraph above;

    h) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses a qualified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting;

    a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company being a Government company, the provisions of Section 197 read with Schedule V to the Act are not applicable to the Government company in terms of Notification No. GSR-463 (E) dated 05.06.2015;

    b) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Ind AS financial statements (Refer Note no. 36 to the Ind AS financial statements);

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

3. Our separate report on directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013 is attached as Annexure B.

For Agarwal & Saxena
Chartered Accountants
(FRN002405C)

AkshaySethi
Partner
Membership No.: 539439
UDIN:- 20539439AAAACN6992

Place: New Delhi
Date: 29 July 2020

Annexure 'A' to the Independent Auditor's Report on the Ind AS Financial Statements of National Informatics Centre Services Inc. for the year ended 31st March 2020

(Referred to in paragraph under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" Section of our Report of even date)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of National Informatics Centre Services Inc. ("the Company") as of March 31, 2020 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act 2013,Act.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the IND AS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Ind AS financial statements for external purposes in accordance

with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Ind AS financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the IND AS financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, we have qualified our audit opinion on the financial statements for the year ended March 31, 2020 in respect of the following matters wherein the existing internal controls need to be strengthened:

a. Reconciliation/confirmation of vendor balances as the same could potentially result in material misstatement of the outstanding balances;

b. Release of the Performance Bank Guarantees of the vendors as it could potentially result in non-recovery of damages from defaulting vendors;

c. Accounting of the amounts directly deposited/electronically transferred in the bank account of the Company by the clients/departments to avoid possible inefficient utilization of the available funds;

d. Recovery and follow up of the dues from clients and advance to vendors as this could possibly result in a material misstatement of the outstanding dues from the Clients and Advance to Vendors; and

e. Physical verification of Property Plant & Equipment which could materially impact the accounting, classification and disclosure of the aforesaid.

f. Company have not complied with cut off procedures and matching concept at the time of recording the income and expense bill.

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual Ind AS financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2020, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2020 Ind AS financial statements of the Company, and these material weaknesses do not affect our opinion on the Ind AS financial statements of the Company.

For Agarwal & Saxena
Chartered Accountants
(FRN002405C)

AkshaySethi
Partner
Membership No.: 539439
UDIN:- 20539439AAAACN6992

Place: New Delhi
Date: 29 July 2020

Annexure 'B' to the Independent Auditor's Report on the Ind AS Financial Statements of National Informatics Centre Services Inc. for the year ended March 31, 2020

Report on Directions issued by the comptroller and auditor general of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013

1. **Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.**

   The Company has an accounting system in place to process all the accounting transactions through an ERP accounting software which was implemented during the previous year w.e.f. July 01, 2017. However, the ERP software was implemented during the previous year without being validated by a Systems Audit by an external independent agency. Impact, if any, on the assets/ liabilities and/ or income/ expenditure as disclosed in the Ind AS Financial Statements on account of possible system weakness in the data integrity is presently not ascertainable.

   Furthermore, Fixed Assets accounting with respect to addition/ deletion/ depreciation is currently being done manually and thereafter uploaded into the ERP system as no automation module is available in the ERP. It is advisable that the said process is also automated at the earliest to avoid possible errors on account of manual intervention

2. **Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interests etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.**

   Not applicable as the company did not have any outstanding loan during the year 2019-20. Accordingly, therewas no case of waiver/write offof debts/loans/interest etc. made by any lender to the company due to the company's inability to repay the loan.

3. **Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.**

   During the year 2019-20 no funds were either received or receivable by the company from any Central/State agencies. Hence the question of their proper accounting and utilisation does not arise.

For Agarwal & Saxena
Chartered Accountants
(FRN002405C)

AkshaySethi
Partner
Membership No.: 539439
UDIN:- 20539439AAAACN6992

Place: New Delhi
Date: 29 July 2020

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC. (NICSI) FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020.

The preparation of financial statements of National Informatics Centre Services Inc.(NICSI) for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act,2013(Act) is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditor/Auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act are /is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29.07.2020

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of NICSI for the year ended 31 March 2020 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personal and selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

1. Balance Sheet

Assets-Current Liabilities-Financial liabilities

Trade payable (Note No 19)- ₹ 24408.60 lakh

The above head is understated by ₹ 1118.02 lakh due to the non accountal of expenditure related to the Services received from the vendor during the year 2019-20. This includes the following two categories of expenditure:

a) The services worth ₹ 675.96 lakh for which invoices were raised between 28 February 2020 and 31 March 2020.

b) The services worth ₹ 442.06 lakh for which invoices were raised between 01 April 2020 and 23 June 2020.

This has resulted in understatement of Current Liabilities (Trade payable) and understatement of expenses by ₹ 1118.02 lakh.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Date: 23.10.2020
Place: New Delhi

Sd/-
(Manish Kumar)
Principal Director of Audit
(Finance & Communication)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INCORPORATED

CIN : U74899DL1995NPL072045

Design & Printed by: VIBA PRESS PVT. LTD. - 9810049515